1. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सदस्यों के जीवन काल में वैश्विक स्तर पर शायद ही ऐसा कठिन समय आया हो जैसा आजकल चल रहा है। तबाही के इस मंज़र में यूक्रेन में, गाज़ा में, ईरान में हजारों औरतें, बच्चे, स्कूली बच्चियाँ जल कर राख हो रही हैं। युद्ध उन्माद के इस युग में संवेदना, सहनशीलता, नैतिकता, और मर्यादा का लगातार हनन हो रहा है। जीवन मूल्य अब Short Term Deal में परिवर्तित हो चुके हैं और मानवता ताक पर रख दी गई है। निरंकुश सत्ता के ऐसे तांडव की आज से कुछ साल पहले तक, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज दुनिया तीसरे महा युद्ध की कगार पर खड़ी है। यह लड़ाई कब पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले लेगी यह कहा नहीं जा सकता।

2. Hormuz Strait के बंद होने से तेल और LNG की आपूर्ति लगभग एक चौथाई ठप्प हो गई है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। विश्व में आर्थिक मंदी के साथ–साथ महंगाई की आहट सुनाई दे रही है। समुद्री व्यापार धीमा और महंगा हो गया है। गैस सिलेण्डर की कीमत बढ़ गई और आपूर्ति में कमी आई है। इस बीच रुपये के मुकाबले डॉलर महंगा होता जा रहा है। इन सब का सीधा असर पूरे विश्व, हमारे देश और प्रदेश पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। अगर इन संघर्षों, युद्धों का शीघ्र अंत न हुआ तो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे और हम ऐसी मंहगाई के दौर में चले जाएंगे जहाँ हम सभी को, विशेषकर गरीब परिवारों को जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

3. इन विकट परिस्थितियों के बीच माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2026–2027 का व मेरी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले मैं 16वें वित्त आयोग

की सिफ़ारिश पर भारत सरकार द्वारा RDG बंद करने के अन्याय के बारे में बात करना चाहूंगा। हम पहले भी इस सदन में इस बारे चर्चा कर चुके हैं।

4. RDG को बंद करना स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा 280(3)(b) की भावना के विपरीत है। राजस्व घाटा अनुदान तय करने के लिए राज्यवार 'Need of Assistance' निर्धारित करना अनुच्छेद 275(1) की आत्मा है। लेकिन 16वें वित्तायोग ने ऐसा किया ही नहीं। राज्यवार आवश्यकता का मूल्यांकन न करना हमारे प्रदेश की जनता के प्रति धोखा है।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से बार–बार आग्रह करता रहा कि RDG बंद होने से जो आर्थिक संकट आया है, उसे हल करने में हमारा साथ दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है कि विपक्ष ने बातें तो बहुत की, लेकिन काम कुछ भी नही किया। इस कठिन समय में विपक्ष ने प्रदेश का साथ छोड़ दिया। ऐसे सभी लोग जो हिमाचल के साथ खड़े नही रहे, उन्हे प्रदेश कभी माफ नही करेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों मेंः–

"समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध।
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध।।"

6. माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश तथा अधिकांश पहाड़ी राज्य आर्थिक रूप से केन्द्रीय करों के सही एवं संवैधानिक आवंटन पर निर्भर है। इन राज्यों का गठन यहां के निवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति लिए हुआ था न कि एक स्वतन्त्र आर्थिक ईकाई के रूप में।

7. हम सबको पता है कि दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण इन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी

जैसी बुनियादी सुविधाएँ तथा Infrastructure विकसित करने में अन्य राज्यों के मुकाबले 2–3 गुणा अधिक खर्च होता है। इन चुनौतियों को देखते हुए ही पहाड़ी राज्यों को कई दशकों से विशेष श्रेणी राज्य (Special Category State) माना गया तथा इनके वित्तीय प्रबंधन के लिये ऐसे उपाय किये गए कि ये राज्य अपने संवैधानिक दायित्वों का समुचित निर्वहन कर सकें।

8. कुछ लोग हिमाचल की तुलना उत्तराखंड व असम जैसे पहाड़ी राज्यों से करते हैं, यह तुलना ठीक नहीं है। इन राज्यों का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मैदानी है, इसलिए उद्योग, कृषि और बुनियादी सुविधाओं की लागत इनमें कम आती है।

9. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में हम Revenue Surplus हो ही नहीं सकते है, इसके कुछ बुनियादी कारण है। पहला जिसका मैंने उल्लेख किया है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हमारी Inherent चुनौतियाँ हैं। दूसरा हमारे पास Resources के रूप में केवल जंगल व बहता हुआ पानी ही है। जंगल हम काटेंगे नहीं, हमने खुद ही इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उत्तरी भारत के Lungs और Water Bowl होने की एक बड़ी कीमत हम चुकाते है। वन विभाग ने Indian Institute of Forest Management से पिछले साल एक Study करवाई थी, जिसका निष्कर्ष है कि प्रति वर्ष हिमाचल देश के लिए 90 हज़ार करोड़ रूपये की Ecological Services देता है। हमारे वन, बहती हुई नदियाँ, हमारी Ecology एक ओर मिट्टी, पानी व जलवायु संरक्षण में मदद करती हैं, वहीं दूसरी ओर हम एक प्राकृतिक कार्बन कैप्चर सिंक का काम भी करते हैं। कहाँ तो हमें इस सबके बदले 'ग्रीन बोनस' मिलना चाहिए था और यहाँ हमारी RDG ही खत्म कर दी गई है।

"वो ज़हर देता तो सब की निगाह में आ जाता।
सो ये किया कि मुझे वक्त पे दवा न दीं।।"

10. हमारे पानी का भी मूल्य अन्य Raw Material जैसे कोयले आदि की तरह हमें नही मिलता तथा जो, लगभग 13 हज़ार MW बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, उसमें भी फ्री पावर देने के नाम पर हमें ठगा जाता है। 12–18–30 प्रतिशत रॉयल्टी तो छोड़िए, 12 प्रतिशत की फ्री पॉवर भी नहीं मिल रही है। 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट फ्री हो रहे हैं वे भी International Norms के अनुसार हमें वापस नहीं किए जा रहे हैं। तीसरा अन्याय हमारे साथ ये हो रहा है कि कानूनी हक़ हमें नही मिल रहा है। BBMB के लगभग 7 हज़ार करोड़ रूपये के एरियर्स पिछले 14 सालों से हमें नहीं मिले, शानन का पॉवर हाउस भी वापस नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्राकृतिक आपदाओं की क्षति के आँकड़ों को भारत सरकार द्वारा ठीक मानने के बाद भी हमें उचित धन–राशि जारी नहीं हो रही।

11. इन सब के अतिरिक्त एक अन्य बड़ा कारण है GST। GST regime में राज्यों ने अपनी टैक्स की पॉवर केंद्र सरकार को Surrender कर दी। GST Compensation भी 2022 में बंद हो गया। हम एक छोटे घरेलू बाज़ार वाले प्रदेश हैं, और GST एक Destination Based और Consumer Driven Tax है। हिमाचल प्रदेश में जो औद्योगिक उत्पादन होता है वह पूरा लगभग बाहर बड़े राज्यों में बिकता है जिसका लाभ उन्हें मिलता है, हमें नहीं। सरकार का आकलन है कि GST लागू होने से अब तक, व हाल ही हुए GST Rationalization से हुए नुकसान को अगर जोड़ें तो पिछले आठ सालों में प्रदेश के Revenue को लगभग 25 हज़ार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है।

12. एक अन्य बात मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से 2018 से 2025–26 के समय को देखें तो पाएंगे कि पूर्व सरकार को पाँच वर्षो में RDG के रूप में 47 हजार करोड़ रूपये और GST Compensation के 13 हजार

करोड़ रूपये प्राप्त हुए। साथ ही पूर्व सरकार ने पाँच वर्षो में 30 हजार करोड़ रूपये का Loan भी लिया था। पिछली सरकार जब सत्ता में आई थी तब प्रदेश पर 47 हज़ार 904 करोड़ रूपये का Loan था। पिछली सरकार ने पांच साल में प्राप्त लगभग 47 हज़ार करोड़ की RDG और लगभग 13 हज़ार करोड़ की GST Compensation का सदुपयोग किया होता और Loan का 50 प्रतिशत भी वापिस किया होता तो आज प्रदेश Debt Trap पे न फंसता। अब हालात यह हैं कि हम जितना ऋण एक साल में उठाएंगे, उससे अधिक Loan की वापसी और ब्याज के भुगतान के लिये खर्च करना पड़ेगा। यह Debt Trap की स्थिति है। अब Populist फैसले लेने का समय नहीं हैं। संसाधनों के सही इस्तेमाल का समय है। हमें अपनी ऋण अदायगी को बढ़ाना होगा, व्यर्थ के संस्थान बंद करने होंगे और Unproductive खर्चों को कम करना होगा।

13. यहां यह भी आवश्यक है कि हम केन्द्र द्वारा दी जा रही अन्य सहायता के सत्य को भी समझ लें। अक्सर यह कहा जाता है कि केन्द्र सरकार SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) के तहत हिमाचल को सहायता देती है। सच्चाई यह है SASCI के तहत दी जाने वाली राशि Grant नहीं है बल्कि Loan है। यह 50 साल के लिये दिया जाने वाला loan है जिसे राज्य को वापिस करना पड़ता है। अतः प्रदेश पर Outstanding Loan का भार हर साल बढ़ रहा है। यह भी हिमाचल के Debt Trap में फंसने का कारण बन रहा है। अतः साफ है कि हिमाचल को आर्थिक दृष्टि से बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है।

"हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।।"

14. इसीलिए हमने व्यवस्था परिवर्तन से शुरूआत की। हिमाचल के विकास की जो परिकल्पना की है,

उसके रास्ते में जो भी बाधाएं आयेंगी हम उनका हिम्मत के साथ मुकाबला करेंगे। यह बजट इस परिकल्पना को साकार करने का रास्ता भी दिखाता है और कठिन समय में कड़े फैसले ले सकने की हमारी हिम्मत और ताकत को भी दिखाता है।

15. हम हिमाचल के लोग पहाड़ के लोग हैं, हमारा इरादा पहाड़ जैसा है और हमारा हौंसला पहाड़ से भी ऊंचा है। हम झुकना नहीं जानते हम अपना हक लेना जानते हैं। मैं हिमाचल के हित में पूरे हिमाचल से कहना चाहूँगाः–

"वक्त का तकाज़ा है, तूफानों से लड़ो।
कहां तक चलोगे किनारे–किनारे।।"

16. पिछले तीन सालों में हमने न सिर्फ नीतियों में बदलाव लाकर सरकार की दशा और दिशा ठीक की बल्कि दूरगामी परिवर्तन की नींव डाली। हमने खर्चों को कम किया है और आमदनी के साधनों को बढ़ाया है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि हमें कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने Old Pension Scheme (OPS) दी इसलिये RDG बंद की गई है, हमने महिलाओं को पन्द्रह सौ रुपये देने की शुरुआत की है इसलिए RDG बंद की गई है। यह चुनी हुई लोकतान्त्रिक सरकार का और प्रदेश की जनता का अपमान है। यह कहा जा रहा है कि क्योंकि हमने अपने चुनावी घोषणापत्र को सरकार का नीतिगत दस्तावेज़ बनाया है जिसमें दी गई गारंटियों को हम पूरा कर रहे हैं इसलिये RDG बंद की गई है। इस भ्रामक प्रचार से हम अपने फ़ैसलों से पीछे नहीं हटेंगे।

17. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि वर्ष 2020–21 से वर्ष 2025–26 तक हिमाचल प्रदेश को Revenue Deficit Grant के तौर पर 48 हज़ार 630 करोड़ रुपये मिले हैं। अब 16वें वित्त आयोग की

सिफ़ारिशों को केन्द्र सरकार ने मान लिया है। इसका मतलब यह है हमें पिछले वित्त आयोग के मानकों के अनुसार प्रति वर्ष औसतन 8 हज़ार 105 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। Inflation,Time Value of Money के सिद्धांत के मुताबिक इस Grant को आगामी वर्षों में बढ़ाकर कम से कम 10 हज़ार करोड़ रुपये प्रति वर्ष करना चाहिये था परन्तु इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि हमें मजबूरन बजट के कुल आकार को कम करना पड़ रहा है। वर्ष 2025–26 में हमारे बजट का आकार 58 हज़ार 514 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष 2026–27 के लिये 54 हज़ार 928 करोड़ रुपये का होगा।

18. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदेश की रीढ़ मानते हैं और हमारी सभी नीतियां प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मेहनतकश लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के आधार पर खड़ी हैं। मैंने पिछले तीन सालों के बजट में हिमाचल को एक हरित राज्य, पर्यटन राज्य, ऊर्जा राज्य और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की पहल की है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने जो वायदे प्रदेश की जनता से किये थे उन्हें पूरा करने का काम सरकार बनते ही शुरू कर दिया था। हमने कैबिनेट की पहली बैठक के बाद Old Pension Scheme(OPS) लागू की। यह एक राजनीतिक निर्णय नही था बल्कि यह मेरा संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी निर्णय था। नही तो हम इसे 2027 में भी ला सकते थे।

19. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिये दूध के न्यूनतम खरीद मूल्य को देश में सबसे अधिक किया। गोबर की खाद की खरीद शुरू की, हिमाचल को हल्दी, प्राकृतिक गेहूँ तथा मक्की की फ़सल का समर्थन मूल्य देने वाला पहला राज्य बनाया, युवाओं के स्वरोज़गार के लिए 650 करोड़ रुपये के परिव्यय

से **Rajiv Gandhi Start-up योजना** की शुरुआत की, सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से English Medium शुरू किया, प्रदेश की महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से पन्द्रह सौ रुपये प्रति महीना देने की शुरुआत की। अगर कोई यह सोचता है कि RDG बंद होने से इन फैसलों को बदल दिया जायेगा तो इस बजट के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम अपनी सभी चुनावी घोषणाओं और 10 गारंटियों को सौ प्रतिशत पूर्ण करेंगे और हिमाचल की विकास यात्रा को भी एक Planned तरीके से जारी रखेंगे व हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे।

20. हम विकास की गति को रुकने नहीं देंगे। आर्थिक तंगी के बाद भी हम सामाजिक और आर्थिक बदलाव के कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। पिछले लगभग दो महीने में एक लम्बी प्रक्रिया के तहत हमने प्रदेश में चल रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की और उनमें से ऐसे कार्यों को चिन्हित किया जो 60 से 70 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं। इसके बाद इन कामों को जनहित की प्राथमिकता के आधार पर वरीयता के क्रम में आंका गया। साथ ही हमने ऐसे कार्यों को भी शामिल किया है जिन्हें जनहित में शुरू करना और आगामी एक वर्ष में पूरा करना आवश्यक है।

21. माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्तरों पर कई चरणों में की गई चर्चा के बाद हमने लगभग 300 अधूरे कार्यों की सूची तैयार की है। ये अधूरे कार्य जनहित से जुड़े हैं, इनके पूरा होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग, ऊर्जा, बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास एवं अन्य क्षेत्रों की ऐसी सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण की जा सकेंगी, जो लम्बे समय से लटकी हुई हैं। इनके पूरा न होने से प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक हानि उठानी पड़ रही है। मैं इन सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ।

22. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा प्रदेश में संस्थागत स्तर पर पिछली सरकार की एक बड़ी कमी यह रही कि बिना सोचे–समझे बहुत सी Buildings बना दी गई। आज सैंकड़ो भवन खाली पड़े हैं। इन सभी भवनों का सदुपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए खाली पड़े भवनों को विभिन्न विभागों को आवश्यकतानुसार देना शुरू कर दिया है। आवश्यकता पड़ने पर इन भवनों को निजी भागीदारी में समुदाय के लिए उपयोगी परियोजनाओं में काम में लाए जाने पर विचार किया जाएगा।

23. माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं बजट में विभागवार चर्चा प्रारम्भ करूँ, मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह है, सेब पर आयात Tariff। अमेरिका, न्यूजीलैंड व यूरोपियन यूनियन के साथ हुए Trade Agreements हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख देगें–विशेषकर सेब आधारित बागवानी क्षेत्र को। हमारी विशिष्ट ग्रामीण परिस्थितियों, जलवायु परिवर्तन व Imported सेब पर उन देशों का संरक्षणवाद की पृष्ठभूमि में आयात शुल्क कम करना हमारे किसानों व बागवानों के साथ अन्याय है। मैंने स्वयं भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्री जी से भेंट कर उन्हें एक प्रतिवेदन दिया है। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार इस विषय पर गम्भीरता से विचार करे।

24. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के विकास के आंकड़े प्रस्तुत करता हूँः–

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

- 2025–26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.4 प्रतिशत् की दर से बढ़ने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 3.1 प्रतिशत् की वृद्धि दर अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश की प्रति

व्यक्ति आय 2 लाख 19 हज़ार 5 सौ 75 रूपये अनुमानित है।

प्रदेश अर्थव्यवस्था

- अध्यक्ष महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को मापने का प्रमुख सूचक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत् रहने का अनुमान है। 2025-26 के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत् की वृद्धि के साथ 2 लाख 83 हज़ार 626 रुपये रहने का अनुमान है, जोकि देश की प्रति व्यक्ति आय से 64 हज़ार 51 रूपये अधिक है। 2025-26 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 54 हज़ार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

पशुपालन

25. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से समृद्ध हिमाचल की परिकल्पना को आपसे सांझा करता हूँ। दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हमने डेयरी क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया है। एक लाख पचास हजार लीटर दूध प्रोसेसिंग प्रतिदिन की क्षमता वाले 200 करोड़ रूपये लागत के कांगड़ा में स्थित ढ़गवार दूध प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से नाहन व नालागढ़ में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स तथा हमीरपुर एवं ऊना में मिल्क चिलिंग प्लांट्स पर काम शुरू किया जाएगा। इतना बड़ा निवेश हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

"बात अनमोल बहुत है ये ज़िंदगी के लिए,
बता रहा हूँ फ़लसफ़ा मैं हर किसी के लिए।
पोंछ सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आँसू,
न जिएं आप केवल अपनी ही ख़ुशी के लिए।।"

26. आपको विदित ही है कि पिछले तीन वर्षों में हमने गाय के दूध का Procurement Price 31 रूपये 80 पैसे से बढ़ाकर 51 रूपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का क्रय मूल्य बढ़ाकर 61 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह देश में सबसे अधिक है। सरकार के इन्हीं प्रयासों के कारण पिछले तीन वर्षों में HP Milkfed द्वारा खरीदे गए दूध की मात्रा लगभग दोगुणा बढ़कर 4 करोड़ लीटर प्रति वर्ष से 8 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हो गई है। यह वृद्धि सीधे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचा रही है।

27. माननीय अध्यक्ष महोदय, ढगवार व नए प्लांटस् को चलाने के लिए दूध की उपलब्धता भी आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर नई डेयरी सहकारी समितियों को स्थापित कर रही है, जिनमें महिलाओं की समितियों को प्राथमिकता दी जा रही है। डेयरी सहकारी समितियों की संख्या इस वर्ष के अन्त तक दोगुनी कर 2 हज़ार तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इन समितियों को आधुनिक और सशक्त बनाने हेतु चरणबद्ध तरीके से Advanced Milk Analyzers, फर्नीचर और आवश्यक परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अमूल पैटर्न पर एक Integrated Mobile App के माध्यम से दूध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य तथा Procurement प्रणाली को पारदर्शी व सरल किया जाएगा।

28. डेयरी क्षेत्र में Private Entrepreneurship को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में लगने वाले Bulk Milk Cooler की स्थापना, डेयरी क्षेत्र में Quality Improvement और युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए 10 Advance Comprehensive Vehicles उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये वाहन गाँव–गाँव जाकर दूध का एकत्रीकरण, दूध की गुणवत्ता की जाँच, पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक परामर्श सेवाएँ प्रदान करेंगे। इनकी ख़रीद के लिए 65 प्रतिशत Capital Subsidy DBT के माध्यम से दी जाएगी।

29. कृषि एवं पशुपालन विभाग मिलकर प्रमाणित डेयरी इकाईयों के माध्यम से प्राकृतिक A2 Milk का उत्पादन सुनिश्चित करेंगें। दूध के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास को देखते हुए हमारी सरकार HIM A2 Milk की Testing व Branding करके इसे Himachal Pradesh Milk Federation के माध्यम से 100 रूपये प्रति लीटर की कीमत पर खरीदने की व्यवस्था बनाएगी।

30. मेरी सरकार ने पिछले साल से दूध के Procurement से जुड़ी हिमाचल प्रदेश की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के लिए एक Milk Incentive Scheme प्रारंभ की थी। जिसके अंतर्गत सरकार कुछ संस्थाओं से जुड़े किसानों को DBT के माध्यम से सीधा उनके Account में 3 रूपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दे रही है। क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित दूध का खरीद मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है और हम यह चाहते है कि इन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए किसानों को भी समुचित लाभ मिले, इसलिए मेरी सरकार अगले वित्तीय वर्ष से 3 रूपये प्रति लीटर की इस DBT की सहायता को बढ़ाकर 6 रूपये प्रति लीटर करेगी। इससे किसानों को DBT के माध्यम से उनके खाते में 11 करोड़ रूपये प्राप्त होंगे।

31. मैं आगामी वित्त वर्ष से गाय के दूध का क्रय मूल्य को 51 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 61 रूपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का क्रय मूल्य 61 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 71 रूपये प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूँ। हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करते हुए पैसा बिचौलिओं के हाथों में न जा कर सीधा मेरे किसान भाई–वहनों के हाथों में जाए।

32. सदियों से हमारे पारम्परिक चरवाहे, हमारे पुहाल न केवल अपनी आजीविका चलाते हैं, बल्कि वे दुर्गम सीमाओं के प्रहरी के रूप में भी देश की सेवा करते हैं। इन समुदायों के गौरव को बनाए रखने के लिए

वित्त वर्ष 2026–2027 के लिए हमारी सरकार 300 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ **PEHEL(Pastoralists Empowerment in Himalayan Ecosystems for Livelihood) Scheme** प्रारम्भ करने का प्रयास करेगी। यह ऐतिहासिक पहल गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा और अन्य सम्बन्धित समुदायों के 40 हज़ार से अधिक परिवारों के लिए एक सशक्त आधार बनेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक चरवाहे को एक डिजिटल कार्ड मिलेगा, जिससे उन्हें सभी सरकारी लाभ आसानी से मिल सकेंगे और उनके पशुधन का पूरा रिकार्ड रखा जा सकेगा। उन्हें जीवन बीमा भी प्रदान किया जाएगा, ताकि उनके जोखिम भरे जीवन में एक सुरक्षा का कवच मिल सके। भेड़–बकरी पालन को लाभप्रद बनाने हेतु रामबौलेट(Rambouillet) जैसी उन्नत नस्लों का आयात और स्थानीय चेगू बकरी तथा गद्दी कुत्तों की नस्लों का संरक्षण भी किया जाएगा।

33. माननीय अध्यक्ष महोदय, भेड़–बकरी पालकों, पुहालों के चरागाह परमिट वर्ष 1970 से निलम्बित पड़े हैं, जिस कारण भेड़–बकरी पालकों,पुहालों को प्रवास के दौरान कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार ने चरागाह परमिट नीति की समीक्षा करवाई है। हम वर्षों से चली आ रही पशु संख्या या चराई क्षेत्र की पाबन्दियों में उचित छूट देने में विचार कर रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाएगा जिसमें चरवाहों/पुहालों से सम्बन्धित सभी सूचनाएं एक जगह ही उपलब्ध हों। पुहालों के प्रवास के मार्गों/जल स्त्रोतों/रात्रि ठहराव की जगहों की सुरक्षा एवं Geo-tagging करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके प्रवास और अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार कर्नाटक राज्य के मॉडल पर आधारित एक नया कानून लाएगी।

34. प्रदेश के भेड़ पालकों को ऊन बेचने में दिक्कत पेश आती है। इसका कारण यह है कि ऊन की कटाई, सफाई, Testing, Grading और Packing की

वैज्ञानिक व्यवस्था आज तक नहीं बन सकी है। मैं भेड़ पालन से जुड़ी गैर–सरकारी संस्थाओं और Farmer Producer Organizations के साथ मिलकर इस व्यवस्था को बनाए जाने के लिये 2 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करता हूँ। ऊन के खरीद मूल्य को स्थिर करने के लिये मैं ऊन के लिये Market Stabilization Scheme के तहत 100 रुपये प्रति किलोग्राम के Support Price की भी घोषणा करता हूँ। यदि भेड़ पालकों को इस मूल्य से कम कीमत पर बाजार मूल्य मिलेगा तो सरकार बिक्री मूल्य और 100 रुपये के बीच का अन्तर DBT के माध्यम से नुकसान की भरपाई के लिये देगी।

35. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों में मुर्गी पालन के क्षेत्र में 52 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रगति को और गति देने के लिए मैं आगामी पांच वर्षों में 62 करोड़ रूपये की लागत से स्वरोजगार की उड़ान–Comprehensive Himachal Integrated Commercial Poultry Scheme (CHIC) को Public Private Partnership मोड में लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत 3 हजार से 10 हजार पक्षियों की क्षमता वाली एक हजार Commercial Broiler Units की स्थापना की जाएगी। इससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को लगभग प्रति 10 हज़ार पक्षियों की यूनिट से लगभग 84 हजार रूपये प्रतिमाह आय का अनुमान है। ऐसी एक यूनिट को लगाने में लगभग 2.5 कनाल भूमि की आवश्यकता होगी। प्रत्येक यूनिट को 30 प्रतिशत तक Capital Subsidy तथा बैंक ऋण पर 3 प्रतिशत Interest Subvention की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

36. हमारी सरकार ने हमेशा गौ–संरक्षण और बेसहारा पशुओं के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बीते वर्षों में हमने कई गौ–अभ्यारण्य (Cow Sanctuaries) और बड़े गौसदन स्थापित किए हैं। प्रदेश के अधिसूचित मंदिरों की आय में से 15 प्रतिशत आय गौ सदनों के लिये दिए जाने का निर्णय कुछ बरस पहले लिया गया

था, परन्तु इसे व्यवहारिक कारणों से लागू नहीं किया जा सका। मंदिरों की आय से एक निश्चित राशि गौ–सेवा के लिये दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो इसके लिये कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। यदि कोई प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन (NGO) या व्यापारिक घराना किसी सरकारी गौसदन या गौ–अभयारण्य (Cow Sanctuary) को गोद लेना चाहता है, तो हमारी सरकार इसे अनुमति प्रदान करेगी। हमारा मानना है किः–

जहाँ आस्था का मान हो,
वहाँ सेवा का भी दान हो,
गौ–माता के चरणों में,
सबका थोड़ा योगदान हो।

पशुपालन के क्षेत्र में कुल 7 सौ 34 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित हैं।

कृषि

37. अध्यक्ष महोदय, कृषि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आज भी राज्य की अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका का मुख्य आधार है। हमारी सरकार ने **राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना** से किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर करते हुए सतत् कृषि के क्षेत्र में देशभर में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

38. राज्य में लगभग 2 लाख 23 हज़ार किसान लगभग 38 हज़ार 455 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गेहूँ, मक्का, जौ और हल्दी जैसी फसलों की Marketing प्रारम्भ हो चुकी है। गुणवत्ता और Nutritional Value का वैज्ञानिक परीक्षण एवं Certification सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों और उनसे बने Processed उत्पादों की जाँच हेतु

Quality Assurance Laboratories में High-Sensitivity Instruments की आवश्यकता महसूस हुई है। अतः इस दिशा में Processed Market Products की Nutritional Profiling Facilities के एकीकरण के लिए जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं वाली प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, एक Dedicated Marketing Cell की स्थापना की जाएगी, जो Marketing को पेशेवर बनाएगा और हमारे प्राकृतिक उत्पादों को प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा।

39. हमारी सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पहले ही प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूँ, मक्का, पांगी घाटी की जौ और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिया जा रहा है। मैं प्रदेश के किसानों और उनकी मेहनत के सम्मान के लिए निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- गेहूँ के MSP को 60 रूपये से बढ़ाकर 80 रूपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा।
- मक्का के MSP को 40 रूपये से बढ़ाकर 50 रूपय प्रति किलोग्राम किया जाएगा।
- पांगी घाटी के जौ के MSP को 60 रूपये से बढ़ाकर 80 रूपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा।
- हल्दी के MSP को 90 रूपये से बढ़ाकर 150 रूपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त मैं प्रदेश में पहली बार अदरक के लिए MSP को 30 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।

40. बदलते मौसम और बाहरी Hybrid बीजों पर निर्भरता ने किसानों को Chemical Inputs की ओर धकेला है। इस परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार बीज सम्प्रभुता (Seed Sovereignty) सुनिश्चित करने हेतु “बीज गाँव” की स्थापना करेगी, जिसमें 50 से 100 किसानों के

समूह पारम्परिक बीजों का उत्पादन करेंगे। चुने हुए गाँवों में सामुदायिक बीज बैंक बनाया जाएगा। Climate-Resilient फसलें जैसे देसी मक्का, मसूर, लाल चावल, कोदा, अदरक, राजमा, माश आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीज उत्पादकों को 5 हज़ार रूपये प्रति बीघा की बीज उत्पादन सब्सिडी दी जाएगी तथा प्रत्येक बीज गाँव को 2 लाख की एकमुश्त Infrastructure Grant प्रदान की जाएगी, जिससे सौर ऊर्जा संचालित, नमी नियंत्रित सामुदायिक बीज भंडारण इकाई का निर्माण हो सके।

41. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रदेश के लोगों को दी गई एक और गारण्टी पूरी करने की घोषणा करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के किसानों की लम्बे समय से चली आ रही माँग को ध्यान में रखते हुए, मेरी किसान हितेषी सरकार प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग अधिनियम के माध्यम से **"हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग"** का गठन करेगी। यह आयोग किसानों की समस्याओं को सुनने, उनके हितों की रक्षा करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कार्य करेगा।

42. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा Himachal Pradesh Crop Diversification Promotion Project के अंतर्गत लगभग 203 करोड़ रूपये के व्यय से वर्ष 2026–2027 में निम्न महत्वाकांक्षी कार्य किए जाएंगेः–

- 109 Micro Irrigation Works पूरे किए जाएंगे तथा 56 अतिरिक्त उप–परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- 396 हेक्टेयर क्षेत्र में Micro Irrigation Systems स्थापित किए जाएंगे।
- लगभग 19 किलोमीटर Farm Access Roads का निर्माण होगा तथा 60 हज़ार रनिंग मीटर फार्म फेंसिंग की जाएगी।

- लगभग 2 हज़ार प्रशिक्षण कार्यक्रम सामुदायिक जागरूकता पर आयोजित होंगे।
- Vegetables Promotion and Food Grain Productivity पर क्रमशः 8 हज़ार 550 तथा एक हज़ार 448 Training cum Method Demonstration आयोजित करवाए जाएंगे।
- कृषि विज्ञान केन्द्र हमीरपुर स्थित बड़ा में किसानों के प्रशिक्षण केंद्र 4 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। साथ ही यहां पर Hydroponic के लिए Centre of Excellence एक करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किया जाएगा।
- Livelihood Support के अन्तर्गत 400 डेयरी फार्मिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, 600 लाभार्थियों को सेवा क्षेत्र (जैसे सिलाई, प्लंबिंग, मोटर मैकेनिक आदि) में सहयोग दिया जाएगा तथा 10 करोड़ रूपये की सहायता फार्म मशीनरी पर 50:50 के अनुपात में Cost Sharing के आधार पर दी जाएगी।

43. माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि सुरक्षा के संकल्प के साथ हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए **मुख्यमंत्री खेत बाड़बन्दी योजना** में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

बागवानी

44. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र एक प्रमुख आधार स्तंभ है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों तथा बागवानों द्वारा प्रगतिशील विकास कार्यक्रमों को अपनाने के कारण इस क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जाएंगे।

45. नवीनतम किस्मों की उच्च गुणवत्ता वाले Planting Material की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए

Himachal Pradesh Nursery Management Society (HPNMS) के माध्यम से विभिन्न Progeny cum Demonstration Orchard (PCDOs) में लगभग 5 लाख Grafted फल पौधे तैयार किए जाएंगे, जिनमें से 3 लाख Temperate और 2 लाख Sub-tropical फल पौधे वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान बागवानों को उपलब्ध करवाए जाएंगें।

46. HPSHIVA परियोजना लगभग एक हज़ार 292 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, सोलन, सिरमौर और ऊना के 52 विकास खण्डों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 6 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में 400 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 15 हज़ार किसान परिवार सीधे लाभान्वित होंगे और किसानों को Sub-Tropical फलों जैसे मीठा संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, Plum, Pecan Nut और Persimmon की आधुनिक, Commercial एवं Market/Export-Oriented खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और लगभग एक हज़ार 140 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधों का रोपण सफलतापूर्वक किया गया है। अब तक परियोजना पर लगभग 330 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

- परियोजना के अन्तर्गत किसानों को विश्वसनीय एवं Sustainable सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 142 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 99 योजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है, शेष 43 योजनाएं 2026–27 में पूरी की जाएंगी।
- राज्य में गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला कांगड़ा के शाहपुर और जिला सिरमौर के बागथन में लगभग 5 करोड़ रूपये की लागत से दो आधुनिक फाउंडेशन ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे।

- किसानों को ज्ञान, नवाचार और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने हेतु मण्डी जिले के हराबाग और समराहण में लगभग 12 करोड़ रूपये की लागत से दो टेक्नोलॉजी सेंटर–Farmer Advisory & Capacity Development Centre (FACDC) और Farmer Enterprise Incubation Centre (FEIC) स्थापित किए जा रहे हैं।
- Crop Diversification और High-Value Horticulture को बढ़ावा देने हेतु एवोकाडो, ब्लूबेरी, मैकाडामिया नट, ड्रैगन फ्रूट और कीवी के सामुदायिक क्लस्टर लगभग 300 हैक्टेयर क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे।
- लगभग 5 करोड़ की अनुमानित लागत से नगरोटा बगवां (कांगड़ा), दधोल (बिलासपुर) और नादौन (हमीरपुर) में तीन Post-Harvesting Management Facilities स्थापित की जाएंगी।
- परियोजना के दूसरे चरण हेतु लगभग 2 हज़ार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में 200 क्लस्टरों का टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है, जिसे जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- लगभग 2 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी विकास गतिविधियां तेज की जाएंगी और लगभग 60 करोड़ रूपये की लागत से 50 नई सिंचाई योजनाएं बनाई जाएंगी।
- 2 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में Orchard Layout & Field Preparation का कार्य 65 करोड़ 19 लाख रूपये की लागत से किया जाएगा।
- HPSHIVA परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लगभग 325 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
- इस परियोजना के अन्तर्गत किए जा रहे फल रोपण का उपयोग Voluntary Carbon Market Registration के लिए किया जाएगा ताकि क्लस्टर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकें। इस बारे जागरूकता हेतु

कार्बन कक्षा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम से परियोजना क्षेत्र में किसानों की वार्षिक आय में लगभग 6 से 8 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

47. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2025 तक लगभग 550 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मत्स्य क्षेत्र के माध्यम से सुदृढ़ करने तथा इससे जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मैं निम्नलिखित घोषणाएँ करता हूँः– **मत्स्य पालन**

- मैं प्रदेश के मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा मछुआरों के कल्याण के लिए **मुख्य मन्त्री मछुआरा सहायता योजना** शुरू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के तहतः–

  - ✓ मैं मछुआरों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए प्रदेश के इतिहास में पहली बार जलाशयों की मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता हूँ। जलाशयों की मछली का कम्पोजिट समर्थन मूल्य सौ रुपये प्रति किलोग्राम रहेगा। अगर नीलामी में जलाशयों की मछली प्रति किलोग्राम 100 रूपये कम लागत पर बिकेगी तो प्रदेश सरकार मछुआरों को अधिकतम बीस रुपए प्रति किलोग्राम तक का अनुदान DBT के माध्यम से प्रदान करेगी।
  - ✓ चालू वर्ष हमारी सरकार ने जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों पर रॉयल्टी की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया है। आगामी वित्त वर्ष के लिए मैं इस

रॉयल्टी को और भी घटाकर **"एक प्रतिशत"** करने की घोषणा करता हूँ। इससे राज्य के 6 हज़ार से अधिक जलाशय मछुआरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

- ✓ माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षा ऋतु के दौरान जब मछली पकड़ना संभव नहीं होता या प्रतिबन्धित रहता है, उस अवधि में मछुआरा परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं 3 हज़ार 5 सौ रूपये प्रति वर्ष की एकमुश्त सम्मान निधि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- ✓ इसके अतिरिक्त 4 हज़ार सक्रिय नदीय मछुआरों को कास्ट नेट तथा 3 हज़ार सक्रिय जलाशय मछुआरों को गिल नेट पर 90 प्रतिशत अनुदान DBT के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- ✓ आवश्यकता मापदण्डों के आधार पर मछुआरों को नौका(Boat) की खरीद पर 70 प्रतिशत की Subsidy DBT के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- ✓ 5 MT की क्षमता वाली 20 कोल्ड स्टोरेज़ की इकाइयों व Freeze Dry की 10 इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहकारी संस्थाओं/ निजी निवेशकों/ युवाओं/ स्वयं सहायता समूहों/ मछुआरों इत्यादि को 70 प्रतिशत सब्सिडी DBT के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- ✓ 20 Refrigerated Vans, जो मछलियों को दिल्ली और चण्डीगढ़ जैसी मण्डियों तक पहुँचाने में सहायक होंगी, उनकी खरीद पर भी 70 प्रतिशत सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

- ➢ राज्य में मछली पालन और मत्स्य पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज़िला हमीरपुर के

नादौन में 25 करोड़ रुपये की लागत से एक Integrated Aqua Park का निर्माण किया जाएगा।

- निजी क्षेत्र में 10 Biofloc Culture Units, 03 Trout Hatcheries, 02 Fish Feed Mills, 02 Ice Plants तथा 05 Biofloc Fish Ponds की स्थापना की जाएगी, जिन पर कुल 4 करोड़ 35 लाख रुपये का व्यय होगा।
- मछली के सुरक्षित एवं स्वच्छ परिवहन हेतु राज्य के मछुआरों एवं मछली पालकों को Three-Wheeler तथा 50 मोटर साइकिल Ice Box सहित वितरित किए जाएंगे।
- ट्राउट किसानों को आपदा से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य के सक्रिय ट्राउट किसानों के लिए Risk Fund Scheme लागू की जाएगी, जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये का Corpus fund उपलब्ध कराया जाएगा।
- ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में विभिन्न सम्भावित ठण्डे पानी वाले जिलों में कुल 5 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से 100 नई ट्राउट इकाइयां बनाई जाएंगी।
- राज्य में रेनबो ट्राउट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेनमार्क से मंगवाए गए 5 लाख अण्डों (Eyed Ova) से रेनबो ट्राउट की नई ब्रीडिंग लाइन तैयार की जाएगी।
- पहले से चल रही मुख्यमन्त्री कार्प मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ कुल पांच हैक्टेयर में नए मछली तालाबों का निर्माण किया जाएगा।

"यह जुनून, यही ख्वाब मेरा है।
दिया जला कर रोशनी कर दूँ जहां अन्धेरा है।।"

वन विभाग

48. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं **"मिशन 32 प्रतिशत"** प्रारम्भ करने की एक महत्वकांक्षी योजना शुरू करने की घोषणा करता हूँ। यह हिमाचल प्रदेश

को हरित हिमालय राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। राज्य का Forest Cover जो वर्तमान में 29.5 प्रतिशत है, को वर्ष 2030 तक 32 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। Forest Cover का यह विस्तार जैव विविधता को बढ़ाएगा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी संवेदनशीलता को स्पष्ट करेगा। इसके अतिरिक्त इस पहल से ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा होंगे।

49. वन वृक्षारोपण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिनमें CAMPA भी शामिल हैं। वर्ष 2026–27 के लिए CAMPA, EAPs तथा अन्य प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए 8 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसमें फलदार वृक्षों के रोपण को प्राथमिकता दी जाएगी।

50. पिछले वर्ष आरम्भ की गई **राजीव गांधी वन संवर्धन योजना** के द्वारा प्रदेश ने वृक्षारोपण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2025 के दौरान लगभग 300 महिला मण्डलों, 70 युवक मण्डलों और 75 अन्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगभग ग्यारह सौ हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। 2026–27 में हम इस पहल को बड़े पैमाने पर करेंगे। हमने लगभग 4 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में एक हज़ार 100 सामुदायिक समूहों द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। जिसमें 60 प्रतिशत महिला मण्डल, 20 प्रतिशत युवक मण्डल और 20 प्रतिशत अन्य स्वयं सहायता समूह होंगे। इसके लिए लगभग 55 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम में वर्ष 2026–27 में 15 हज़ार महिलाओं के वृक्षारोपण गतिविधियों में शामिल होने की सम्भावना है। प्रत्येक समूह को प्रति हेक्टेयर एक लाख 20 हज़ार रूपये दिए जाएंगे और वें 2 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करेगें। वृक्षारोपण का एक वर्ष बाद मूल्यांकन किया जाएगा तथा जहां

वृक्षों के जीवित रहने की दर 50 प्रतिशत से अधिक होगी वहां समूहों को प्रति 2 हेक्टेयर के लिए एक लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

51. सरकार ने महिलाओं, युवक मण्डलों और कृषि समुदायों की आय बढ़ाने तथा वन क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए **मुख्य मंत्री वन विस्तार योजना** और **Rajiv Gandhi Green Adoption Scheme** लागू की है। ये योजनाएं ग्रीन हिमाचल की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी।

52. सरकार ने योजनाबद्ध रूप से ईको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य ने 17 पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर ईको–टुरिज्म स्थल विकसित किए हैं। वर्ष 2026–27 में 50 नए स्थल ईको–टूरिज्म के लिए विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 50 प्रमुख वन विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑन लाइन किया जाएगा, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

53. कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनखण्डी में एक बड़ा Zoological Park निर्मित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा पिछले वर्ष के बजट सत्र में की गई थी। इसके निर्माण की कुल लागत 609 करोड़ रूपये है। डिजाइन एवं निर्माण में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर ऊर्जा तथा प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सम्मिलित किया जाएगा। सीमा दीवार, पहुँच मार्ग, जल संरक्षण संरचना, जल आपूर्ति तथा चेक दीवार एवं बाँधों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा एन्ट्री प्लाजा (Entry Plaza) एवं प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण हेतु 100 करोड़ रूपये की निविदा की जा चुकी है। आने वाले वित्तीय वर्ष में Lion Safari, Official Residences एवं Wild Life Training Facility का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2026–27 में इसके लिए 220

करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि इस Zoo को पिछले वर्ष IGBC Green Landscape Rating के अंतर्गत Pre-Certified Platinum Rating प्राप्त हुई है जो इसके Environmental Sustainability and Green Development दृष्टिकोण को दर्शाती है।

54. Forest Ecosystems and Climate Proofing Project के तहत Forest Ecosystems तथा ग्रामीण आजीविका को समर्थन प्रदाने करने हेतु लगभग 320 करोड़ रूपये के परिव्यय से इस परियोजना का दूसरा चरण प्रारम्भ किया जाएगा। इसमें से 60 प्रतिशत तक की राशि 'राजीव गाँधी वन संवर्धन योजना' के तहत व्यय की जाएगी, जिसमें स्थानीय महिला मण्डलों, युवक मण्डलों तथा अन्य स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा।

55. Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihood Project के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रूपये तथा Integrated Development Project (IDP) के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 50 करोड़ रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

56. माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख प्रेरक तत्व है तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग 7.78 प्रतिशत का योगदान देता है जिसको आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर 9 प्रतिशत के लिए सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2026 के प्रारम्भ तक हिमाचल प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र **"व्यवस्था परिवर्तन"** के दौर से गुजर रहा है, जिसके तहत इसे केवल ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल से आगे बढ़ाकर वर्षभर के वैश्विक ब्राण्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2025 के दौरान राज्य में कुल 3.11 करोड़ पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश बड़ी

संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

57. सरकार द्वारा Public Private Mode में एक सुरक्षित Digital Visitor Registration and Tourism Intelligence System प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली के अंतर्गत पर्यटकों का अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे व्यापक Tourism Intelligence व Visitor Tracking संभव हो सकेगी तथा राज्य के Gross Domestic Product (GSDP) में पर्यटन क्षेत्र के वास्तविक योगदान को अधिक यथार्थ रूप में प्रदर्शित करने में सहायक सिद्ध होगी।

58. राज्य सरकार Long Term Sustainability सुनिश्चित करने हेतु High Value Low Impact Tourism पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Sustainable and Inclusive Tourism Development Project in Himachal Pradesh के अंतर्गत राज्य में Skill Training and Support Consultant की स्थापना करेगी, जो संस्थागत सुधार, कौशल एवं उद्यमिता विकास तथा गंतव्य प्रबंधन एवं विपणन को सुदृढ़ समर्थन प्रदान करेगा, ताकि **"हिमाचल पर्यटन"** ब्रांड को पुनर्जीवित एवं सशक्त बनाया जा सके। वर्ष 2026–27 में लगभग 345 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि निम्न विकासात्मक कार्यों पर व्यय की जाएगीः–

- कालेश्वर महादेव में सड़क किनारे सुविधाओं का निर्माण।
- शिमला में वेलनेस सेंटर का निर्माण।
- नगरोटा बगवां में अत्याधुनिक फव्वारे का निर्माण।
- माउंटेन बाइकिंग मार्गों का निर्माण और विकास, इत्यादि।

59. मेरी सरकार हवाई कनेक्टिविटी को पर्यटन विकास हेतु प्राथमिकता मानती है। गगल, कांगड़ा

हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए तीन हजार 349 करोड़ रुपये (भूमि अधिग्रहण लागत सहित) की Rehabilitation and Resettlement Plan को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

60. सरकार काँगड़ा एयरपोर्ट के समीप **Kangra Aerocity** नामक एक नए शहर के विकास की योजना लाएगी, जहाँ पर्यटन राजधानी में आने वाले पर्यटकों को न सिर्फ विश्वस्तरीय सुविधाएँ मिलें बल्कि एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र का चौतरफ़ा विकास भी हो सके।

61. पर्यटन में New Destination Development को व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत किया जा रहा है। Decentralized Infrastructure Development की वृद्धि के उद्देश्य से कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, औहर में पर्यटन परिसर के दोनो चरणों का निर्माण, श्री ज्वाला जी होटल का विस्तार और पर्यटन परिसर का विकास, श्री नैना देवी जी रोड का चौड़ीकरण और अन्य सुविधाओं का विकास कार्य, नादौन में पर्यटन परिसर का निर्माण, देहरा में पर्यटन परिसर का निर्माण, शिमला के चौड़ा मैदान स्थित पीटरहॉफ भवन का पुनर्निर्माण, हिमाचल प्रदेश पर्यटन के लिए होटल किन्नर कैलाश में अतिरिक्त आवास निर्माण (कल्पा), शम्भू ताल व भोरंज में जल संचयन संरचना एवं सौंदर्यीकरण संबंधी परियोजना, बैजनाथ में खीर गंगा घाट पर जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कार्य, स्पीति में पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, करेरी झील का सौंदर्यीकरण, शिमला की सरपारा झील का सौंदर्यीकरण योजनाओं के लिए 317 करोड़ 8 लाख की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, तपोवन स्थित कन्वेंशन सेंटर (कांगड़ा), रेणुका जी झील तथा लुहनू हेलीपैड निर्माण व लुहनू हेलीपैड के लिए संपर्क मार्ग का सौंदर्यीकरण के लिए 155 करोड़ 75 लाख की धनराशि जारी की जाएगी।

62. धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार 35 करोड़ रुपये की लागत से होटल श्री ज्वालाजी एवं पर्यटन परिसर का विस्तार कर रही है। इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से होटल हॉलीडे होम(HHH) शिमला, होटल हमीर (जिला हमीरपुर), पर्यटन परिसर देहरा तथा नादौन का निर्माण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिस पर कुल 130 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

63. राज्य में पर्यटन Infrastructure के योजनाबद्ध एवं सतत् विकास हेतु सरकार पर्यटन–केंद्रित Land Bank स्थापित करेगी। जिसके अन्तर्गत निवेश आकर्षित करने हेतु अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध भूमि को Mapping, Classification एवं Digitalization करने के उपरान्त निवेशकों को होटल, रिसार्ट, होम–स्टे क्लस्टर, ईको–टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, रोपवे, कन्वेंशन सेंटर, पार्किंग सुविधाएँ तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी।

64. होमस्टे मालिक जो पर्यावरण–अनुकूल स्वच्छता, शून्य–अपशिष्ट प्रणाली, और स्थानीय परंपराओं को अपनाएँगे, उन्हें Sustainability प्रमाणपत्र मिलेगा। स्थानीय वास्तुकला को बढ़ावा देने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

65. सरकार द्वारा हाल ही में Tourism Investment Promotion Council का गठन किया है। यह परिषद् विशेष रूप से 50 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए Single Window, Timebound Facilitation Platform के रूप में कार्य करेगी। यह पहल Adventure Tourism, Wellness **एवं** Religious, Spiritual Circuits आदि क्षेत्रों में Eco-friendly Responsible Investment को प्रोत्साहित करेगी तथा पर्यटन क्षेत्र में Ease of Doing Business को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगी ।

66. Himalayan Ocarina Project for Entrepreneurs (HOPE) हमारी सरकार का संकल्प है, जिसके तहत ग्रामीण हिमाचल में स्लो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। स्लो टूरिज्म (Slow Tourism) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित अवधारणा है, जो अब एक आंदोलन का रूप ले रही है। हिमाचल प्रदेश में स्लो टूरिज्म को अति–पर्यटन(Excess Tourism) के विपरीत एक नई पहल के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में चयनित पंचायतों और गाँवों को "स्लो टूरिज्म स्पॉट्स" घोषित कर वहाँ गाँव भ्रमण, पारम्परिक भोजन, हस्तशिल्प, लोककथाएँ और किसानों–कारीगरों से संवाद जैसे अनुभवों को पर्यटन उत्पादों में बदला जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलेगा, सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित होगी और पर्यावरण–अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

67. प्रदेश में "HP Women's Tourism Fund" बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को होमस्टे, फूड स्टाल, हस्तशिल्प दुकान या गाइड का काम शुरू करने के लिए 3 लाख तक की सहायता (अनुदान) दी जाएगी। साथ ही स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कम ब्याज पर ऋण, पर्यटन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को स्टाइपेंड, और महिला स्टार्टअप्स को अधिकतम 10 लाख रूपये तक का मैचिंग ग्रांट दी जाएगी।

68. शिमला और मनाली को गत वर्ष एकल महिला पर्यटकों के लिए देश में सबसे सुरक्षित घोषित किया गया था। इसी कारण हिमाचल प्रदेश सरकार "She Travels" शीर्षक से महिला–केंद्रित Solo Travel प्रोटोकॉल प्रारम्भ करने जा रही है जो एकल महिला यात्रियों को सुरक्षित एवं विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करेगा और राज्य को एक प्रगतिशील एवं समावेशी पर्यटन गंतव्य के रूप में सुदृढ़ करेगा। भारत का पहला ऐसा राज्य बनना इस नीति का लक्ष्य हैं।

69. कारवां पर्यटन(Caravan Tourism) एक Flexible, Sustainable Travel and Tourism का नया स्वरूप है, जिसमें विशेष रूप से निर्मित वाहनों (Caravans/RVs) में बिस्तर, रसोई और शौचालय जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होती है। इस अनुभव को बढ़ावा देने हेतु सरकार प्रथम चरण में ज़िला सोलन एवं मण्डी में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर कारवां पर्यटन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखती है।

70. Weekend Tourism को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार Weekend Tourism Hotspots जैसे शिमला, मनाली, डलहौजी, कसौली, राजगढ़, नारकण्डा, रिवाल्सर, नादौन, पालमपुर, चिन्तपूर्णी, ज्वालामुखी एवं धर्मशाला जैसे स्थलों पर Weekend पर मेले, उत्सव तथा Adventure Sports Activities का आयोजन करेगी, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

71. प्रदेश को विश्वस्तरीय हाइकिंग गंतव्य बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार नए ट्रेकिंग ट्रेल्स की पहचान करेगी तथा मौजूदा ट्रेल्स का विकास करेगी।

72. फिल्में पर्यटन विकास में बहु–आयामी भूमिका निभाती हैं। मेरी सरकार HIM FILM Portal स्थापित करेगी, जो सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शूटिंग नियमों व अनुमति प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएगा। हम फिल्म पॉलिसी को सरल करेगें। इसके अंतर्गत विभिन्न संभावित फिल्म लोकेशनों की पहचान कर इनका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि फिल्म निर्माता, प्रोडक्शन हाउस तथा अन्य संबंधित संस्थाएं इन स्थानों पर शूटिंग के लिए आकर्षित हों। यह कार्य पर्यटन विभाग व लोक सम्पर्क विभाग मिलकर करेंगे।

73. हमारी सरकार ऐसे Content Creators/Actors/Social Media Influencer/Writers/Film Makers इत्यादि जो पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को विश्व मानचित्र पर प्रसिद्ध करें,

को नीति अनुसार Due Recognition देते हुए सम्मानित, प्रोत्साहित व पुरस्कृत करेगी।

74. "Development of Wedding Destination Clusters" व MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) Tourism को मेरी सरकार पर्यटन विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है और इसी लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में वेडिंग डेस्टिनेशन का चयन Public और Private Sector के सौजन्य से किया जायेगा। इसका उद्देश्य राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करना है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा हो सकें।

75. हिमाचल विश्व स्तरीय Motorized Expeditions के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। मेरी सरकार प्रदेश में एक "H.P. Drive Expedition & Overlanding Policy" शुरू करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में मोटर ड्राइव एक्सपेडिशन और ओवरलैंडिंग गतिविधियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और जिम्मेदार तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा।

76. Blue Economy के अंतर्गत प्रदेश में HP Policy for Regulation and Promotion of Tourism Activities near Water Bodies को लागू किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य जल स्रोतों के आसपास पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से विकसित करना तथा जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

77. Silver Economy के अंतर्गत बनूटी तथा नगरोटा बगवां मे Wellness Center का निर्माण किया जाएगा, जिससे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं विश्राम आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

78. पर्यटन को नए और अनुभवात्मक रूप (Experiential Tourism) में विकसित करने के लिए मेरी सरकार चयनित पर्यटन स्थलों पर "Night Picnic" की

एक अभिनव अवधारणा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखती है। इसके अन्तर्गत शिमला, मनाली, डलहौज़ी, कसौली, धर्मशाला तथा अन्य उपयुक्त गंतव्यों पर सुरक्षित एवं नियंत्रित वातावरण में शाम से देर रात तक खुली हवा में स्थानीय व्यंजन, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा Theme आधारित मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी। यह पहल Weekend Tourism, Slow Tourism जैसी नीतियों के साथ सामंजस्य बनाते हुए पर्यटकों को रात्रिकालीन अनुभव प्रदान करेगी, स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाएगी तथा युवाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए नए रोज़गार के अवसर सृजित करेगी। इस उद्देश्य से प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधाएँ, स्वच्छ शौचालय, सुरक्षा, पार्किंग तथा कचरा प्रबंधन जैसी आधारभूत संरचना के विकास पर आगामी वर्ष में चरणबद्ध रूप से आवश्यक बजटीय प्रावधान किया जाएगा।

79. होमस्टे ब्याज अनुदान योजना की सफलता को देखते हुए मेरी सरकार अब नए बनने वाले मध्यम दर्जे के होटलों और High-end Dhabas के लिए ब्याज अनुदान योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखती है। होमस्टे योजना के समान ही शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।

80. हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के रामपुर तथा संजौली हेलीपोर्ट के लिए Operational Authorization प्राप्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ये दोनों स्थल देश के प्रथम लाइसेंस प्राप्त हेलीपोर्ट बन गए हैं। इसी पहल के अंतर्गत प्रदेश भर में हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जिला मुख्यालयों तथा जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। रक्कड़ एवं पालमपुर (कांगड़ा), जसकोट (हमीरपुर), सुल्तानपुर (चम्बा) और रोड़ा (ऊना) में हेलीपोर्ट इस वर्ष पूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ ही

रिकांगपिओ (किन्नौर), रंगरिक व फूंक्यार (लाहौल–स्पीती), किलाड़ (पांगी) व भरमौर (चंबा), बसाल (सोलन) तथा धारक्यारी (नाहन–सिरमौर) में भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

81. हवाई सेवाओं में बुनियादी ढांचे के निवेश के अलावा हमारी सरकार ने पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों की सुविधा हेतु राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली 100 प्रतिशत VGF के अंतर्गत Fixed Wing हवाई सेवा के तौर पर दिल्ली–शिमला–दिल्ली तथा शिमला–धर्मशाला–शिमला मार्ग पर हफ्ते के सभी सात दिन उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, हेलीकॉप्टर सेवा चण्डीगढ़–संजौली–चण्डीगढ़ मार्ग पर हफ्ते में छह दिन, प्रतिदिन दो बार संचालित की जाएगी। इन सेवाओं पर विमान संचालन हेतु लगभग 35 करोड़ रूपये तथा हेलीकॉप्टर संचालन हेतु 4 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा, चण्डीगढ़–संजौली, संजौली–मनाली, संजौली–रामपुर–रिकांगपिओ तथा मंडी–चण्डीगढ़ मार्गों पर भी नई हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रस्तावित हैं।

82. RCS-UDAN के अंतर्गत चल रही सेवाओं के साथ–साथ Private, Commercial Operators को शामिल कर हेली ऑपरेशन्स का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसमें MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) सुविधाएँ, आपदा राहत, Medical Evacuation, देवी दर्शन सर्किट, एडवेंचर पर्यटन और चार्टर उड़ानों की व्यवस्था होगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

83. माननीय अध्यक्ष महोदय, कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। अगर आप मुझसे मेरे दिल के सबसे अधिक प्रिय विषय के बारे में पूछें तो मेरा उत्तर होगा "ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण"। अगर हमारे गाँवों के लोगों के पास आजीविका के मजबूत साधन

होंगे तो प्रदेश के विकास की अधिकतर समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। वर्ष 2026–27 का यह बजट ग्रामीण विकास की योजनाओं को सरल और जवाबदेह बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, पारदर्शी व्यवस्था को सुदृढ़ करने व पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में प्रस्तुत है।

84. प्रदेश में वर्तमान में 2 लाख 65 हजार BPL परिवार हैं। विशेष परिस्थितियों में समय–समय पर इन परिवारों में नए परिवारों को जोड़ने की शक्ति ग्राम सभा के पास है। यह सूची BPL परिवारों में से किसी परिवार के APL में आने के कारण भी बदली जाती है। आप सभी यह स्वीकार करेंगे कि BPL की सूची में सारे नाम पूरी तरह Objective और Transparent तरीके से नहीं चुने गए हैं और यह भी सत्य है कि कुछ ऐसे परिवार आज भी गाँवों में हैं जो BPL की सूची में नहीं हैं लेकिन गरीब हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि हम BPL की सूची को बदले बिना ऐसे परिवारों की पहचान करें जो अति गरीब "Poorest of the Poor" हैं। दूसरा, हम उन परिवारों को भी लाभ दें जो कि BPL सूची में तो नहीं है परन्तु ऐसे परिवारों के मुकाबले में अपेक्षाकृत गरीब हैं जो अभी BPL में हैं।

85. आजकल एक गलतफहमी यह फैली हुई है कि प्रदेश में 2 लाख 65 हजार BPL परिवारों को लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। यह सच नहीं है। जो Survey हम करवा रहे हैं उसका उद्देश्य है प्रदेश के गरीब परिवारों में से अति गरीब परिवारों की पहचान करना और उनकी Targeted तरीके से ऐसी मदद करना जिसकी उन्हें आवश्यकता है। कुछ ऐसे परिवार होंगे जिन्हें पक्का मकान चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें स्वरोज़गार के अवसर चाहिए। कुछ को Skill Training की आवश्यकता होगी, कुछ को अपना कामकाज शुरू करने के लिए Bank Loan चाहिए होगा।

86. माननीय अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिए हमारे सर्वेक्षण में एक चौंकाने वाला आँकड़ा सामने आया कि लगभग 27 हजार परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्का मकान भी नहीं है और इनमें से लगभग 10 हज़ार परिवार तो BPL की सूची में भी नही है। राज्य बनने के दशकों बाद भी ऐसी स्थिति वास्तव में दुःखद है।

"कहाँ तो तय थी रोशनी हर एक घर के लिए।
कहाँ रोशनी मिली नहीं पूरे शहर के लिए।।"

87. हम ऐसे हालात बदलना चाहते हैं, यही असली व्यवस्था परिवर्तन है। सरकार ने इस सर्वेक्षण को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से करवाने का प्रयास किया है। DCs व SDMs को इस चयन प्रक्रिया के प्रति जवाब देह बनाया गया है। मेरी सरकार का लक्ष्य है कि एक लाख अति गरीब परिवार सरकार के '**अपने सुखी परिवार**' बनें तथा उनके कल्याण व आर्थिक उत्थान को हम एक Graded आधार पर व इन परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप सुनिश्चित कर सकें। ये एक लाख परिवार हिमाचल के ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे वंचित परिवार हैं। हमारी सरकार इन परिवारों का सहारा बनेगी। इनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन ला कर हम अर्थव्यवस्था में समृद्धि के साथ प्रदेश की समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगें। मैं इन परिवारों को अपना परिवार मानते हुए इन परिवारों के लिए **मुख्य मंत्री अपना सुखी परिवार योजना** की घोषणा करता हूँ।

- इन परिवारों से प्रारम्भ करते हुए मैं सरकार की उन सभी महत्वपूर्ण गारंटियों को लागू करने का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूँ जिनकी शुरूआत अभी की जानी है या फिर जिनका विस्तार किया जाना है।
- मैं अपनी सरकार की एक गारंटी को Implement करते हुए इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह देने की घोषणा करता हूँ।

- इनमें से जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- मैं इन एक लाख **मुख्य मंत्री अपना सुखी परिवारों** की बहनों को **इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना** का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि देने की भी घोषणा करता हूँ। इसके बाद यह सम्मान राशि सभी पात्र महिलाओं को दी जाएगी।

88. मेरी सरकार का यह मानना है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत चलने वाली मनरेगा योजना को बंद करने व उसके स्थान पर VB-G RAM-G योजना चलाने का फैसला गलत है। यह निर्णय न केवल रोजगार गारंटी एक्ट की मूल भावना रोजगार की मांग आधारित 'गारंटी' को समाप्त करता है, बल्कि साथ ही राज्यों पर भी आर्थिक बोझ को बढ़ाता है। हम इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे कि महात्मा गाँधी जी के नाम के साथ चल रही योजना कानूनी गारंटी प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित हो, किंतु प्रदेश की गरीब जनता को रोजगार के अवसरों में कमी भी नहीं आए। हमारे प्रदेश में अगले साल हम लगभग चार करोड़ Mandays इस योजना के अंतर्गत सृजित कराना चाहते हैं। यह इसलिए भी आवश्यक है कि हमें लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमारा कृषि Season भी सीमित है, तथा हमें लगभग पूरे साल ही रोजगार के अवसर प्रदान करने पड़ते हैं। VB-G RAM-G में 60 दिन का ब्रेक देने का प्रावधान भी प्रदेश हित में नहीं है। साथ ही नई योजना को लागू करने पर हमें भारत सरकार द्वारा Fix किए Mandays के ऊपर जो भी Demand प्रदेश में होगी उसके लिए धनराशि अपने साधनों से उपलब्ध करवानी होगी। Demand Driven की

जगह Fixed Target Driven होने के कारण ऐसा प्रारंभिक अनुमान है कि हमारे संसाधनों पर 300 से 600 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मेरी सरकार भारत सरकार से बातचीत कर यह प्रयास करेगी कि हमारी विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए। फिर भी जो Mandays हमें आवंटित होंगे प्रदेश हित में उस अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम भारत सरकार से जारी होने वाले दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

89. आगामी वित्त वर्ष के दौरान HPSRLM के माध्यम से राज्य भर में 3 हज़ार स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 4 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि Revolving Fund और 15 करोड़ रूपये की राशि Community Investment Fund के तौर पर वितरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त NRLM के तहत 8 हज़ार महिला स्वयं सहायता समूहों को उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर एक सौ 50 करोड़ रूपये का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा 150 Vulnerability Reduction Plan (VRP) तैयार किए जाएंगे और जरूरतमंद लोगों को Vulnerability Reduction Fund के तौर पर 2 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। शिमला शहर में एक हिमाचल हाट और राज्य में पांच हिम–ईरा प्रीमियम Showrooms, SHG सदस्यों की आजीविका के लिए सोलन, धर्मशाला, पंडोह, धर्मपुर व कुल्लू स्थापित किए जाएंगे।

90. सरकार ने ग्राम पंचायतों के कुशल और सुचारू कामकाज के लिए पंचायत सचिव के 150 पदों को भरने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त चरणबद्ध तरीके से पंचायत चौकीदार के खाली पद भी भरे जाएंगे।

91. पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2026–27 में **"हिमाचल**

प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग" एवं पंचायती राज विभाग के **"Internal Audit Wing"** के माध्यम से शत प्रतिशत ऑनलाइन ऑडिट करवाने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही इन संस्थाओं के लम्बित ऑडिट पैरों के निपटारे/वसूली के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। पंचायतों के Records को डिजिटली Maintain किया जाएगा। पंचायती राज ट्रेनिंग संस्थानों को डिजिटल ट्रेनिंग पद्धति के उपयोग से आधुनिक बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त Training Infrastructure को मजबूत करने के लिए चम्बा, कुल्लू और केलांग जिलों में नए जिला पंचायत Resource Centers खोले जाएंगे।

92. 2026–2027 हेतु 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में विकास कार्य हेतु 481 करोड़ रूपये तथा राज्य वित्त आयोग के तहत 488 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

श्रम एवं रोज़गार

93. माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने हेतू सरकार वर्ष 2026–27 में 500 कैम्पस साक्षात्कारों को आयोजित करवाएगी।

94. इसके अतिरिक्त सरकार Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation को विदेश मंत्रालय के साथ भर्ती एजेंट के रूप में पंजीकृत करवाते हुए, प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेगा, जिसमें विदेशी रोजगार के अवसरों के लिए उपयुक्त अभ्यार्थियों को जागरूक एवं संगठित करेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में एक हज़ार युवाओं को विदेशों में रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा।

95. राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्टअप योजना, 2023 के अन्तर्गत युवाओं को ई–टैक्सी खरीदने हेतू 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में भी 500 युवाओं को ई–टैक्सी खरीदने हेतु 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त इन ई–टैक्सी लाभार्थियों को मिलने वाले मासिक भुगतान में 5 हज़ार रूपये की बढ़ोतरी की जा रही है।

96. इसी दिशा में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 500 युवाओं को e-Riksha की खरीद पर मैं 50 प्रतिशत Capital Subsidy के रूप में DBT के माध्यम से देने की भी घोषणा करता हूँ।

97. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 और सम्बन्धित नियमावली में संशोधन करेगी। संशोधन के अंतर्गत अधिनियम को पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा व दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को आवश्यकता अनुसार 24X7 संचालन की छूट दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को भी अपनी सुविधा अनुसार खरीददारी करने की स्वतंत्रता मिलेगी।

98. इसके अतिरिक्त The Code on Wages, 2019, The Industrial Relations Code, 2020, The Code on Social Security, 2020 तथा The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 के अन्तर्गत भी सरकार द्वारा नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है तथा इन्हें शीघ्र ही अधिसूचित कर राज्य में लागू किया जाएगा। इन संहिताओं के लागू होने से वर्तमान श्रम कानूनों को सरल एवं Systematic बनाया जाएगा, अनुपालन प्रणाली अधिक प्रभावी होगी तथा श्रमिकों के संरक्षण एवं कल्याण को सुदृढ़ करते हुए राज्य में Ease of Doing Business को भी बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन

99. हमारी सरकार एक "Green" और "Climate-Resilient Himachal Pradesh" के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है–ऐसा प्रदेश जो प्रकृति की रक्षा करते हुए ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बनाए।

100. वर्ष 2026–2027 में हम "Green Livelihood Initiative" प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इस पहल के अन्तर्गत State Biodiversity Board, आयुर्वेदिक उद्योग के साथ मिलकर किसानों/उत्पादकों द्वारा संयुक्त रूप से पहचानी गई औषधीय पौधों की खेती को विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में प्रोत्साहित करेगा व इनकी खरीद सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इस पहल के अंतर्गत, आगामी दशक में हर वर्ष किसानों को Elite Germplasm के 12 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।

101. हमारी सरकार Community-Oriented Climate Action और Sustainable Livelihoods को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में निम्नलिखित पहल की जा रही हैं:–

- Biochar और Forest Fire Mitigation: पाइन नीडल्स और अन्य Biomass से Biochar उत्पादन के लिए एक Memorandum of Agreement(MoA) किया गया है, जिससे जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को कम करने के साथ–साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर भी पैदा होंगे।
- Ecological Restoration और Green Livelihoods: एक अन्य MoA के तहत निजी कृषि भूमि पर Afforestation, Restoration and Revegetation (ARR) कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे Bio-Resources का संरक्षण और Ecological Resilience को बढ़ावा मिलेगा।

102. मैं **HiBiSCUS (Himachal Biodiversity Stakeholder-led Conservation Unified Scheme)** योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत औषधीय पौधों से संबंधित संरक्षण, सतत् दोहन, नर्सरी विकास तथा पारम्परिक ज्ञान के Documentation को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

103. हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने Non-Corpus Heads के तहत महत्वपूर्ण संसाधन जुटाए हैं। सरकार इन निधियों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए करेगी, ताकि राज्य में पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधरे और जनस्वास्थ्य सुरक्षित रहे।

104. राज्य में Science Learning & Creativity को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Centre for Science Learning & Creativity (CSLC), जिला शिमला के शोघी में Digital Planetarium स्थापित किया जा रहा है, जिसे National Council of Science Museums (NCSM) के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह की पहली और एक Flagship Project है, जो वर्तमान में पूर्णता के उन्नत चरण में है। इस परियोजना के Time-Bound Completion और Commissioning के लिए राज्य सरकार ने Himachal Pradesh State Pollution Control Board (HPSPCB) के Non-Corpus Funds से 3 करोड़ 31 लाख रूपये HIMCOSTE को प्रदान करने का निर्णय लिया है।

105. निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की समृद्ध पारम्परिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने तथा स्थानीय किसानों और कारीगरों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार ने Geographical Indication (GI) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की हैः–

- सरकार ने नौ उत्पादों–Spiti Seabuckthorn, सलूनी सफेद मक्का, चम्बा मेटल क्राफ्ट, सिरमौरी लोइया, हिमाचली टोपी, मण्डी की सेपू वड़ी, किन्नौरी सेब, किन्नौरी Jewellery तथा पांगी की ठांगी के Registration के लिए In-Principle approval कड़े प्रयासों के उपरान्त प्राप्त किया है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार GI Framework के अन्तर्गत चार और उत्पाद–चम्बा चुख, सिरमौरी

अदरक, पहाड़ी शहद तथा भोट जौ, को शामिल करने की पहल करेगी। GI Tagging से इन उत्पादों की Authenticity सुनिश्चित होगी, उनकी Branding मजबूत होगी, स्थानीय किसानों व कारीगरों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

106. जिला–स्तरीय जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए विभाग, UNDP के तकनीकी सहयोग से District Climate Adaptation Financing Strategies तैयार करेगा। ये रणनीतियाँ कृषि, आजीविका, बुनियादी ढाँचे और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव का आकलन करेंगी। हम वर्तमान अनुकूलन व्यय की समीक्षा करेंगे, वित्तीय अंतराल की पहचान करेंगे और बैंक योग्य विचारों के साथ Climate-Resilient Projects की प्राथमिकता वाली पाइपलाईन विकसित करेंगे। इससे प्रदेश को अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त जुटाने में सहायता मिलेगी।

107. प्रदेश में जलवायु–प्रभावित आपदाओं के बढ़ते प्रभावों से निपटने के लिए मेरी सरकार ने हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम के तहत विभिन्न रणनीतिक कार्य करने का निर्णय लिया है।

- इस पहल के तहत गाँव स्तर पर जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आकलन किया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन के जोखिमों पर आधारित अनुकूलन क्षमता की पहचान कर लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। यह हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकता के अनुकूलन रणनीतियों को प्राथमिकता देने में मदद करेगा। इसके लिए सरकार 13 करोड़ 35 लाख रुपये सभी 12 जिलों में खर्च करेगी।

- इसके अंतर्गत राज्य सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल किया जाएगा ताकि नीतियाँ, योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकें, जिसके लिए 35 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
- आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर नीतियों, उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, विभागों में समन्वय कर और प्रदेश की जनता में जलवायु अनुकूलन क्षमता का निर्माण कर मजबूत किया जाएगा। जिसके लिए 22 करोड़ 25 लाख रुपये सभी 12 जिलों में खर्च किए जाएंगे।

शिक्षा

108. गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए व्यवस्था परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश एक बार फिर देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में अपना स्थान बना पाने में सफल रहा है। National Achievement Test 2025 में हिमाचल देश में 5वें स्थान पर रहा है, जबकि 2021 में हुए पिछले सर्वेक्षण में हिमाचल का स्थान 21वां था। कक्षा 3 में हिमाचल देश में तीसरे, कक्षा 6 में 5वें और कक्षा 9 में चौथे स्थान पर रहा है। 2025 में जारी ASER(Annual Status of Education Report) रिपोर्ट में हिमाचल के बच्चों के सीखने का स्तर देश में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है।

109. प्रदेश सरकार ने न सिर्फ स्कूलों का Rationalization किया है बल्कि उनमें Quality Education की ओर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के 100 स्कूलों को Central Board of School Education (CBSE) से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया था। अभिभावकों के उत्साह को देखते हुए यह संख्या 150 तक पहुँच गई है। इन विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी जा रही है। वर्ष 2026-27 में इन विद्यालयों को क्रियाशील किया जाएगा और साथ ही हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 300 Senior Secondary Schools में भी

समकक्ष सुविधाएँ दी जाएँगी ताकि इन चिन्हित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। अगले वर्ष 150 और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को CBSE से सम्बद्ध किया जाएगा और 150 हिमाचल बोर्ड से जुड़े विद्यालयों को समकक्ष रूप से Upgrade किया जाएगा। इन सभी विद्यालयों के लिए एक Dedicated Cadre का भी सृजन किया जाएगा ताकि इन सभी विद्यालयों में अध्यापकों के सभी पद भरे जा सकें। सरकार ने चुने हुए सरकारी Senior Secondary Schools में Arts, Science और Commerce Streams के साथ–साथ Yoga, Music, Physical Education, Arts और Sports की Posts भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत इन विद्यालयों में School-Based भर्तियां की जाएंगी ताकि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विशेष कर जनजातीय और दुर्गम इलाकों में सभी पद भरे जा सकें। विभिन्न रिर्पोटों में यह सामने आया है कि हमारे बच्चों का स्तर अंग्रेज़ी, गणित और विज्ञान में अपेक्षाकृत कम रहता है। इसके लिए सरकार ने English, Maths और Science के Subjects के लिए विशेषज्ञ अध्यापक भरने की प्रक्रिया भी शुरू की है।

110. **मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना** के तहत बच्चों को सप्ताह में दो दिन अतिरिक्त पोषण की व्यवस्था की गई है। इसे जारी रखा जाएगा, जिसके लिए मैं 17 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान की घोषणा करता हूँ।

111. राजीव गांधी डे–बोर्डिंग स्कूलों के नए भवनों के निर्माण और वर्तमान में क्रियाशील विद्यालयों को Upgrade करने का काम चल रहा है। शिक्षा क्षेत्र में बेहतर Infrastructure और अन्य सुविधाएँ चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जा रही हैं। इस अभियान में तेजी लाने के लिए मैं 49 ऐसे स्कूलों को लगभग 99 करोड़ रुपये आवंटन करने की घोषणा करता हूँ।

112. प्रदेश में शिक्षा विभाग और युवा सेवाएँ एवं खेल विभाग के परस्पर सहयोग से Sports Hostels को

सुदृढ़ किया जाएगा। नादौन (हमीरपुर), सुन्दरनगर (मण्डी), पपरोला (कांगड़ा), सरकाघाट (मण्डी), संधोल (मण्डी), मतियाणा (शिमला), रोहड़ू (शिमला), जुब्बल (शिमला), माजरा (सिरमौर) और मोरसिंघी(बिलासपुर) में Sports Hostels के स्तर में व्यापक सुधार किया जाएगा और इनमें प्रशिक्षित कोच तथा अन्य स्टाफ नियुक्त किए जाएँगे।

113. प्रदेश के सभी Senior Secondary Schools में गत वर्षों में ICT Labs, Atal Tinkering Labs, Smart Class Rooms आदि की स्थापना से तथा अन्य सुविधाओं के प्रावधान से बहुमूल्य परिसंपत्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सभी Senior Secondary Schools में चौकीदार और Multi Task Workers के पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।

114. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2026–27 से प्रदेश के Under Graduate Courses को पूरे देश से align करने के लिये निम्नलिखित व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगाः–

- सभी UG कोर्स Semester System के माध्यम से चलाए जाएंगे।
- Flexible UG Degree Programme की शुरुआत की जाएगी और विद्यार्थियों को Multiple Entry और Multiple Exit का विकल्प दिया जाएगा।
- चुने हुए Degree Colleges में 4 वर्षीय Bachelor Degree with Honours और Research शुरू की जाएगी।
- Academic Bank of Credits (ABC) को शुरू किया जाएगा।
- Multi-Disciplinary Approach को बढ़ावा दिया जाएगा।
- चुने हुए Colleges में Apprenticeship Embedded Degree Programme शुरू किए जाएंगें।
- प्रदेश के Tier-I Colleges में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी।

115. उच्च शिक्षा में गुणवता सुनिश्चित करने के लिये मैं हमीरपुर में प्रदेश का पहला Science College और हरिपुर गुलेर (काँगड़ा) में प्रदेश का दूसरा Fine Arts College स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

116. प्रदेश के निम्न महाविद्यालयों को पहले चरण में Sports की दृष्टि से विकसित किया जाएगाः– GDC Ghumarwin, GDC Chamba, GDC Chowari, GDC Hamirpur, GDC Nadaun, GDC Dharamshala, GDC Palampur, GDC Dhaliara, GDC Kinnaur, GDC Kullu, GDC Mandi, GDC Sarkaghat, GDC Jogindernagar, GDC Saraswati Nagar, GDC Seema, GDC Rampur, GDC Reckong Peo, GDC Paonta Sahib, GDC Nahan, GDC Nalagarh, GDC Una और GDC Haroli

117. प्रदेश के Colleges में चल रहे Bachelor of Vocation Courses (B-Voc) का विस्तार करके इन्हें 50 महाविद्यालयों में Self Financing Mode में शुरू किया जाएगा।

118. प्रदेश में Academia Industry Connect को बेहतर करने के लिये CSR Initiatives और PPP Mode में Industry Oriented Courses शुरू किए जाने की पहल की जाएगी।

119. Colleges में Online Learning, Blended Learning और Digital Learning को बढ़ावा देने के लिए Dedicated Lease Line की व्यवस्था की जाएगी।

120. प्रदेश में कुछ Degree Colleges ऐसे हो गये हैं जिनमें छात्रों की संख्या सौ से भी कम रह गई है। ऐसे Colleges में छात्रों को मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास का सही अवसर नहीं मिलता और न ही वे आने वाले समय के लिये अपने आप को तैयार कर पाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी भी रहती है। पहले चरण में हम ऐसे Colleges के छात्रों को

जिनमें 75 से कम विद्यार्थी हैं, यदि वे District Head Quarter के Colleges में Admission लेते हैं तो उन्हें प्रति मास पांच हज़ार रूपये की राशि Stipend के तौर पर दी जायेगी। इस योजना को वर्ष 2026-27 में कार्यरूप दिया जायेगा।

121. प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न महाविद्यालयों Streams के अंतर्गत सहायक प्राध्यापकों के 389 पदों की भर्ती हेतु हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) को Requisition भेजा गया है तथा जल्द ही सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में कुल 9 हज़ार 660 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

तकनीकी शिक्षा

122. माननीय अध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा हमारे युवाओं को आधुनिक कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। यह न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देती है, बल्कि नवाचार और आत्मनिर्भरता की नींव भी रखती है। इस वर्ष तकनीकी शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

- वर्तमान परिस्थिति में तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार को जोड़ने हेतु एक Centralized Training and Placement Mechanism की आवश्यकता है। एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से Systematic Management of Student Data, Continuous Tracking of Training एवं Placement Outcomes तथा उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय सम्भव हो सकता है। इसलिए Training and Placement Portal बनाया जाएगा।
- युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार योग्यता को सुदृढ करने के लिए जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र में Self-Financing Mode के अन्तर्गत एक Skill Academy स्थापित की जाएगी। यहाँ उद्योगों की जरूरत के अनुसार Courses उपलब्ध

कराए जाएंगे जिससे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर सृजित होंगे।

- उभरती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा को Integrate करने के लिए 11 Government Polytechnics और एक Engineering College में New Age एवं Future-Oriented Courses शुरू किए जाएंगे।

सड़कें व पुल

123. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षो से मेरी सरकार शिल्हा–बधानी–भुभु–जोत–कुल्लू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने का प्रयास कर रही है। मैंने स्वयं रक्षा मंत्री के साथ इस विषय को उठाया व मैं धन्यवाद करता हूँ कि रक्षा मंत्रालय ने इसे सामरिक महत्व (Strategic Importance) की सड़क माना। इस सड़क को गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया और सदन को प्रसन्नता होगी कि NHAI ने इस सड़क को दो लेन का बनाने और पक्के शोल्डर प्रदान करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करने हेतु परामर्श सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं। इससे भुभु–जोत सुरंग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और मार्ग 55 किलोमीटर छोटा हो जाएगा। कांगड़ा से कुल्लू के बीच एक Alternate Connectivity उपलब्ध हो जाएगी। पर्यटन की दृष्टि से यह सड़क अभूतपूर्व वृद्धि का परिचायक होगी।

124. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संपर्क जीवन रेखा है। मुध–भावा सड़क के निर्माण की मांग लंबे समय से स्पीति घाटी से चली आ रही है। यह सड़क अतरगू में सम्धो–काजा–ग्रामफू सड़क से अलग होकर काफनू से गुजरते हुए एनएच–5 पर वांगटू में मिलेगी। इस सड़क के निर्माण से काजा से किन्नौर की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। सड़क की कुल लंबाई 106 किलोमीटर है और यह दो भागों में विभाजित है, एक भाग स्पीति

घाटी में और दूसरा भाग भावा टॉप से शुरू होकर किन्नौर में है। स्पीति भाग के 62 किलोमीटर के भाग के लिए आवश्यक एन0पी0वी0 और सी0ए0 वन विभाग में जमा कर दिया गया है और उस पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। भावा टॉप से किन्नौर की ओर सड़क की लम्बाई लगभग 44 किलोमीटर है और यह Wildlife and Forest Area में आती है, जिसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को FCA का मामला प्रस्तुत किया जा चुका है। लेकिन केंद्र सरकार की सामरिक राजमार्ग परियोजनाओं के FCA में हुए Amendments के अनुसार, यह सड़क अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के भीतर आती है। अतः इस वर्ष हम प्रयास करेंगे कि इसे FCA से छूट मिल जाए और पूरी सड़क पर काम प्रारम्भ किया जा सके।

125. माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बस्तियों तक सड़क सम्पर्क सुनिश्चित करना इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सड़क निर्माण का कार्य कठिन भू–भाग और अत्यधिक लागत के कारण चुनौतीपूर्ण है। राज्य सरकार PMGSY योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। PMGSY–IV के तहत, राज्य ने ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप्प के माध्यम से एक हज़ार 460 Uncovered बस्तियों का सर्वे किया है। सभी प्रस्तावित मार्गों का GIS सर्वे किया गया है और इसे पीएम गति शक्ति पोर्टल पर Integrate करके एक हज़ार 538 किलोमीटर सड़कों के लिए 294 विस्तृत परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 2 हज़ार 244 करोड़ 23 लाख रूपये है। इन सभी 294 कार्यों की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त PMGSY–IV के बैच–।। के अंतर्गत हम एक हज़ार 200 करोड़ रूपये की लागत से 800 किलोमीटर की सड़कों के लिए स्वीकृति प्राप्त करवाने का प्रस्ताव तैयार करवा रहे हैं।

126. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के निरंतर प्रयासों से, PMGSY–I के तहत निर्माणाधीन सड़कें जो अधूरी थीं जैसे डोडरा क्वार को पूरा करने के लिए 31–3–2027 तक का समय विस्तार भी प्राप्त हो गया है।

127. माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डी–गगल–चैलचोक– जंजैहली रोड का कार्य जल्दी शूरू होगा। अगले साल के लिए, छैला–नेरीपुल–यशवंतनगर–ओछघाट–लवास चौकी–प्रीत नगर सड़क (लगभग 204 करोड़ रूपये) की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। इसके इलावा कल्लर से बागछाल सड़क (लगभग 166 करोड़ रूपये) और हमीरपुर–सुजानपुर–थुरल–मरण्डा सड़क (लगभग 186 करोड़ रूपये) के प्रस्ताव भी तैयार हैं। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत, राज्य ने ब्यास नदी पर बसंतीपट्टन से खेरी सड़क पर 116 करोड़ की अनुमानित लागत से एक पुल और डाडासिबा–बौंगटा सड़क पर ब्यास नदी पर 315 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पुल का प्रस्ताव भी भिजवा दिया है।

128. राज्य सरकार CRIF के तहत धनराशि जारी करने और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है।

129. माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 500 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों, एक हज़ार 255 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज कार्यों, 950 किलोमीटर मेटलिंग और टारिंग, 47 पुलों के निर्माण, और एक हज़ार 500 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का प्रस्ताव करती है। सड़कों, पुलों एवं आधारभूत सरंचनाओं की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना हेतु लगभग एक हज़ार करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

130. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता सिर्फ सड़क निर्माण ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण का उचित रखरखाव भी है। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि अब हम Tunneling पर Focus करेंगे। चम्बा जोत टनल और जलोड़ी जोत टनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि स्थानीय पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को PPP मोड में करने की संभावनाओं को भी तलाशेगी।

131. हमारी सरकार द्वारा लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग में Joint Cadre के माध्यम से 149 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों को भरा जाएगा।

"सितारों से आगे जहाँ और भी हैं।
अभी इश्क के इम्तिहाँ और भी हैं।।"

राजस्व

132. हमारी सरकार राजस्व विभाग को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक–केंद्रित बनाने के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसानों के लिए एकीकृत डेटाबेस का निर्माण हमारी प्राथमिकताओं में है।

133. राज्य में राजस्व न्यायालयों के लम्बित मामलों को कम करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार ने अक्टूबर, 2023 से प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतों के आयोजन का निर्णय लिया है। इन लोक अदालतों के दौरान अब तक लगभग 4 लाख 82 हज़ार इंतकाल (Mutation), 31 हज़ार तकसीम (Partition), 54 हज़ार निशानदेही (Demarcation) और 15 हज़ार दुरुस्ती (Correction) संबंधी मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए जनवरी, 2026 से विशेष राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिनमें फरवरी, 2026 तक

तकसीम (Partition) के 4 हज़ार और दुरुस्ती (Correction) के दो हज़ार मामलों का निपटारा किया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य में राजस्व मामलों के निपटान में अभूतपूर्व तेजी आई है और लंबित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी है।

134. इसी क्रम में, मैं आगामी वित्त वर्ष हेतु निम्न प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लेख करना चाहता हूँः–

- राजस्व विभाग, ग्रामीण Land Records के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण करने हेतु 2 करोड़ 12 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे।
- Online Mutation Module का विकास अंतिम चरण में है। इसके अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष से म्यूटेशन आवेदन, सत्यापन एवं अनुमोदन पूर्णतः ऑनलाइन होंगे।
- विभाग द्वारा Land Records में आधार सीडिंग के साथ–साथ मोबाइल नंबर एवं मालिक के पते की प्रविष्टि की जा रही है। इससे अभिलेखों की शुद्धता, पहचान सत्यापन एवं नागरिकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित हो रहा है।
- राज्य में Farmer रजिस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसानों का एकीकृत एवं सत्यापित डेटाबेस तैयार होगा। इससे योजनाओं का लक्षित लाभ वितरण, Duplication की समाप्ति एवं नीति निर्माण में सहायता मिलेगी।
- SVAMITVA योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी देह क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को संपत्ति पर विधिक स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है। हमीरपुर जिले में अब तक 5 हज़ार से अधिक सम्पत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे पहली बार परिवारों को औपचारिक मालिकाना अधिकार प्राप्त हुए हैं। योजना की सफलता के फलस्वरूप इसका क्रियान्वयन प्रदेशभर में किया

जाएगा। इसके अन्तर्गत, Map 1.0 सम्बन्धित पटवारियों को Ground Truthing हेतु वितरित किया जा चुका है तथा सभी जिलों में भूमि एवं सम्पत्ति सीमाओं का सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिसके उपरांत अंतिम संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे पारदर्शी एवं विवाद–रहित संपत्ति अभिलेख सुनिश्चित होंगे।

- इसी क्रम में, इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में नक्शा (NAKSHA) परियोजना को पायलट आधार पर प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश के चार शहरी क्षेत्रों सोलन, मण्डी, पालमपुर और नादौन में भूमि स्वामियों और किरायेदारों के भू–मानचित्रों का निपटारा ड्रोन कैमरा तकनीक के माध्यम से किया जाएगा।
- राज्य सरकार लाइव जमाबंदी की दिशा में अग्रसर है, जिसमें म्यूटेशन के पश्चात स्वामित्व विवरण सीधे जमाबंदी में Update होगा। इससे नागरिकों को वास्तविक समय में Update एवं प्रामाणिक Land Records उपलब्ध होंगे।

135. हमारी सरकार नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए Sub-Registrar Offices को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक और तकनीक–सक्षम सेवा केंद्रों में बदलेगी। पिछले वर्षों में हमने National Generic Document Registration System (NGDRS) लागू किया है और दस्तावेजों की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था समाप्त कर दी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली और "My Deed" जैसे पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म से नागरिकों को सुविधा मिली है। अब इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए, Sub-Registrar Offices को आधुनिक ढांचे, बेहतर तकनीक और सुव्यवस्थित सेवा प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा। इस योजना का पहला पायलट सोलन जिले में शुरू किया जाएगा और बाद में इसे पूरे राज्य में विस्तार दिया जाएगा।

136. राजस्व विभाग में पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इस प्रतिपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

137. महिलाओं के नाम पर संपति का होना न केवल उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त करता है बल्कि समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा का भी प्रतीक है। इसीलिए हमने संपति की ख़रीद के समय महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली Stamp Duty पर छूट दी है। मैं घोषणा करता हूं कि 80 लाख से एक करोड़ तक की ख़रीद पर, महिला खरीदारों के लिए स्टांप शुल्क की दर 4 प्रतिशत रहेगी। यह कदम महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा।

138. मेरी सरकार READY-HP (Resilient Action for Development and Disaster Recovery) परियोजना के अंतर्गत राज्य में आपदाओं से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस परियोजना से वर्ष 2023 व उसके बाद प्रदेश की आपदाओं से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण, आजीविका व आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग 2 हजार 7 सौ करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

139. प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप आजीविका क्षेत्र (Livelihood Sector) को पुनः सुदृढ़ एवं पुनर्स्थापित करने के लिए इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण समुदायों को सुदृढ़ करने हेतु लगभग 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बुनाई, कढ़ाई, जूता निर्माण, धातु शिल्प, चीड़ पत्तियों से उत्पाद, ऊन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, विशिष्ट

फसलें तथा सामुदायिक आधारित पर्यटन सहित 12 प्रमुख क्षेत्रों में सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। यह पहल कारीगरों, लघु एवं सीमांत किसानों तथा ग्रामीण उद्यमों को Skill Development व बाजार संपर्क प्रदान करवाने मे सहायक होगी।

140. भविष्य में आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए Disaster Risk Reduction के तहत लगभग 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके तहत निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जाएंगेः–

- राज्य के नदी तटों एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जोखिम वाले क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान करने के लिए Flood Zonation Mapping तैयार की जाएगी।
- Disaster Risk Financing के माध्यम से आपदा के समय Immediate Relief and Rehabilitation कार्यों के लिए संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- राज्य में Early Warning System को सुदृढ़ किया जाएगा।

“गिरेगी बिजलियाँ और आंधियाँ भी आएंगी।
नशेमन फिर बनाएंगे, नशेमन फिर बनाएंगें।।”

सामाजिक कल्याण

141. महोदय, हमारी सरकार सदैव सामाजिक न्याय और कल्याण की दिशा में अग्रसर रही है। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। आगामी वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में सामाजिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत नई योजनाओं और सुधारात्मक कदमों को शामिल किया गया है, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुरक्षा, सहयोग और समान अवसर सुनिश्चित हो सकें।

142. हिमाचल प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग 7 हज़ार लाभार्थियों को प्रति माह सतरह सौ रूपये दिए जा रहे हैं। मेरे दृष्टिकोण में यह राशि 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। अतः उनके लिए हमारी सरकार पेंशन को तीन हज़ार रूपये प्रति माह करने की घोषणा करती है।

143. मानसिक बीमारी से ठीक हो चुके और परिवार द्वारा स्वीकार न किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य में वर्तमान में दो Half Way Home संचालित हैं, जिनकी क्षमता सीमित है। बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में दो अतिरिक्त हाफ वे होम स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। मानसिक बीमारी से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए हाफ वे होम्स की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य स्तरीय बहु–विषयक सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित संस्था को 25 निवासियों के लिए हाफ वे होम के संचालन और रख–रखाव के लिए 90:10 के अनुपात में सहायता अनुदान प्रदान करेगा और उन्हें 50 लाख रुपये के Recurring Expenditure और 10 लाख रुपये के Non-Recurring Expenditure के मद में व्यय करने की अनुमति होगी।

144. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुन्दरनगर स्थित विशेष योग्यताओं वाले बच्चों हेतु संस्थान, जो दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित बालिकाओं के लिए राज्य का एकमात्र सरकारी संस्थान है, की क्षमता को 150 से बढ़ाकर 200 सीटें करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 50 अतिरिक्त बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रावास सुविधा और देखभाल उपलब्ध कराई जा सकेगी।

महिला एवं बाल विकास

145. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य प्रायोजित महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास योजनाओं का पुनर्गठन बदलती सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं व चुनौतियों के अनुरूप किया जाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि कृषि, उद्यानिकी एवं सम्बद्ध गतिविधियों में दक्षता होने के बावजूद, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं संस्थागत ऋण एवं वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण अपनी क्षमताएं को आजीविका में परिवर्तन नहीं कर पा रही हैं। अतः मैं वित वर्ष 2026–2027 के लिए इस पृष्ठभूमि में निम्न योजनाओं की घोषणा करता हूँ :–

- **मुख्यमन्त्री महिला सशक्तिकरण योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की पात्र महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है, को हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित बैंकों द्वारा तीन लाख रूपये तक का ऋण डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, Food Processing, सिलाई, बुटिक, ब्यूटी पार्लर इत्यादि से सम्बन्धित स्वरोजगार इकाईयां स्थापित करने हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। उक्त ऋण पर देय ब्याज का 4 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता देने हेतु दो योजनाएँ **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** तथा **मुख्यमंत्री शगुन योजना** संचालित की जा रही हैं। वर्तमान व्यवस्था को अधिक सरल बनाने तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए लाभों में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मैं इन दोनों योजनाओं का एकीकरण करके एक नई योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ, जिसे **शुभ**

विवाह योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवार तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की 21 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी पात्र बालिकाओं/महिलाओं के विवाह के समय सरकार द्वारा 51 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें सरकार की किसी अन्य योजना से इस हेतु लाभ न मिल रहा हो।

- सरकार द्वारा **सशक्त महिला योजना** एवं **वो दिन योजना** संचालित की जा रही है। ये योजनाएं सूचना–शिक्षा–संचार (IEC) पर आधारित हैं तथा इनके उद्देश्यों में काफ़ी समानता है। अतः इन्हे प्रभावी बनाने व इनमें एकरूपता लाने तथा सार्वजनिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, मैं इन दोनों योजनाओं को **"सशक्त नारी, स्वस्थ परिवार – एकीकृत** (IEC) **मिशन''** के अन्तर्गत एकीकृत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह मिशन आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आशा कार्यकताओं, एएनएम, स्वयं सहायता समूहों एवं पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से राज्य के प्रत्येक परिवार तक पहुँच सुनिश्चित करेगा।
- वर्तमान में महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा यौन शोषण की शिकार बालिकाओं व महिलाओं के आत्मविश्वास व सम्मान के लिए एक Scheme for rehabilitation support to minor victims of rape, child abuse and objectification background चलाई जा रही है जिस के अंतर्गत पीड़ित बालिकाओं व महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाईयां आ रही हैं जिस के कारण योजना का पूरा लाभ पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा है। मैं इस योजना के स्थान पर **स्वाभिमान योजना** के नाम से एक नई योजना

आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ ताकि यौन शोषण से पीड़ित बालिकाओं व महिलाओं का मान–सम्मान, आत्मविश्वास तथा उनका आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

- ड्रग्स(चिट्टा) की समस्या हिमाचल प्रदेश की बड़ी समस्या बन गई है। इसके दृष्टिगत मादक पदार्थों के आदी लोगों के इलाज के लिए हमारी सरकार ने कोटला बरोग, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल ड्रग डी–एडिक्शन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है जिसका निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है। जिसके लिए 20 करोड़ रूपये का परिव्यय किया जाएगा। चूंकि कई मामले ऐसे भी ध्यान में आ रहे हैं जहां बच्चे नशे के आदी होने के साथ–साथ पैडलर भी बन रहे है। ऐसे बच्चों को पकड़े जाने पर ट्रायल के दौरान Observation Homes में तथा सजा होने पर Special Homes अथवा Places of Safety में रखा जाता है। इन बच्चों के बेहतर इलाज, देखभाल तथा पुनर्वास द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापिस लाने के उद्देश्य से मैं यह घोषणा करता हूँ कि कोटला बरोग, सिरमौर में बन रहे Model De-Addiction Center के पास ही दो करोड़ रूपये की लागत से एक Observation Home व एक Special Home स्थापित किए जाएंगे।
- मेरी सरकार अनाथ तथा बेसहारा बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे बाल देखरेख संस्थानों (Child Care Institutions) के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि इनमें रह रहे बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं व वातावरण दिया जा सके। अतः मैं बाल आश्रम घुमारवीं, सुजानपुर, कल्पा, साहो, गरली, कुल्लू, सुन्दरनगर, टूटीकण्डी तथा कोटला बड़ोग में भवन निर्माण व मुरम्मत हेतु दो करोड़ रूपये प्रति संस्थान देने हेतु 18

करोड़ रूपये की राशि का आवंटित करने की घोषणा करता हूँ।

- हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024 से विधवा, निराश्रित व परित्यक्त महिलाओं तथा दिव्यांग माता–पिता के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए **इन्दिरा गांधी सुख शिक्षा योजना** चलाई जा रही है जिसका लाभ वर्तमान में लगभग बाईस हजार लाभार्थियों को मिल रहा है। अभी इस योजना का लाभ केवल राज्य के सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्राप्ति हेतु ही उपलब्ध है। परन्तु यह देखने में आ रहा है कि इस वर्ग की महिलाओं तथा दिव्यांग माता–पिता के कई होनहार बच्चे राज्य के बाहर भी प्रतिष्ठित सरकारी व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं परन्तु वहां शिक्षा ग्रहण करने का खर्चा उन्हें इस योजना के माध्यम से नहीं मिलने के कारण उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2026–27 से इस योजना की पात्र महिलाओं व माता–पिता के सभी पात्र बच्चे, जो प्रदेश के बाहर भी IIT, NIT, IIM, AIIMS तथा NLUs जैसे प्रतिष्ठित सरकारी व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश पाएंगे, उनकी पाठ्यक्रम फीस, छात्रावास शुल्क तथा मैस शुल्क आदि पर आने वाला समस्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस कदम से इस वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे न केवल ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रेरित होंगे साथ ही अपने भविष्य को भी उज्जवल बना पाएंगे।

“जहाँ औरतों की इज्जत
और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान होती है।
वही बस्ती असल में
इंसानों का जहान होती है।।”

सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल, एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कुल एक हज़ार 544 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

आयुष

146. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को जन-जन तक पहुँचाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। हिमालयी जैव विविधता, पारम्परिक खेती और औषधीय पौधों की संपदा से हिमाचल आयुष का एक प्राकृतिक केंद्र है। इस बजट में हमारी सरकार आयुष को बढ़ावा देने हेतु निम्न कदम उठाने जा रही है :–

147. समर्पित आयुर्वेद अनुसंधान Wing की स्थापनाः मेरी सरकार प्रमाण–आधारित (Evidence Based) आयुर्वेद को बढ़ावा देने तथा प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद में एक समर्पित अनुसंधान Wing स्थापित करेगी। यह पहल पारम्परिक चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान, Clinical सत्यापन तथा नवाचार को सुदृढ़ करेगी।

148. उच्च हिमालयी क्षेत्रों की विशिष्ट औषधीय संपदा का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार लाहौल–स्पीति तथा अन्य उपयुक्त उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हर्बल–गार्डन स्थापित करने की संभावनाओं को तलाश करेगी। ये हर्बल–गार्डन संरक्षण, अनुसंधान तथा स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देंगे।

149. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल, शिमला तथा राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला में प्रारम्भ की गई वेलनेस पंचकर्म सेवाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार निम्न कदम उठाएगीः

- किन्नौर एवं लाहौल–स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।
- पपरोला में प्रवेश क्षमता 18 से बढ़ाकर 36 तथा क्षेत्रीय आर्युवैदिक अस्पताल छोटा शिमला में 18 से बढ़ाकर 24 की जाएगी।
- 12 अतिरिक्त अस्पतालों में यह पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे 196 नई सीटें जुड़ेंगी। इन उपायों से पंचकर्म तकनीशियनों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वर्तमान 36 से बढ़ाकर 256 हो जाएगी।

150. हमारी सरकार ने आयुर्वेदिक फार्मेसियों के आधुनिकीकरण हेतु वर्तमान में संचालित तीनों सरकारी फार्मेसियों को हिम–औषधम् (HIMOSHDHAM) सोसाइटी के अंतर्गत लाकर आगामी वित्त वर्ष से इसे पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का निर्णय लिया है। सोसाइटी का गठन सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसियों की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है। इसके प्रारंभिक संचालन हेतु राज्य सरकार एक करोड़ रूपये की अनुदान राशि प्रदान करेगी। साथ ही परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु मल्टी–टास्क वर्कर्स, प्रत्येक फार्मेसी के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

कानून व्यवस्था एवं पुलिस

151. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की युवा शक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा कानून–व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने कुछ माह पूर्व हिमाचल प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की थी। अब राज्य की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं तथा नशे विशेषकर 'चिट्टा' के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस में एक हज़ार अतिरिक्त कांस्टेबलों की भर्ती करेगी।

152. मेरी सरकार पुलिस बल में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का सम्मान करती है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार Honoarary Head Constable के रूप में प्लेसमेंट के लिए 20 वर्ष तथा Honorary ASI के रूप में प्लेसमेंट के लिए 32 वर्ष की सेवा आवश्यक है। चूँकि अधिकांश पूर्व सैनिक पुलिस में अपेक्षाकृत बाद में शामिल होते हैं, इसलिए उनके पास लंबी सेवा अवधि शेष नहीं रहती। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व सैनिकों को पुलिस में उनकी प्लेसमेंट के समय Honorary Head Constable तथा Honorary Assistant Sub Inspector के पदों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी।

153. राज्य सरकार द्वारा शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने (Decongestion) के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संस्थानों को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की नीति के अंतर्गत कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज मुख्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित किया जाएगा। इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य कार्यालयों को भी शिमला से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा।

154. राज्य में वर्तमान में 518 विशेष पुलिस अधिकारी (SPOs) स्वीकृत हैं, जिनमें चम्बा जिले में 478 और लाहौल में 40 SPOs तैनात हैं। पुलिस बल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इन SPOs का पुनर्वितरण कर पुलिस जिला नूरपुर, स्पीति और किन्नौर जैसे क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा, जिससे इन भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति और क्षमता को और मजबूत किया जा सके।

155. हमारी सरकार राज्य में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा त्वरित बनाने के लिए एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 को सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में पुलिस सेवाओं के लिए Emergency Response Support System-112 प्रणाली

सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अब इसे चरणबद्ध रूप से 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 101 अग्निशमन सेवा के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को एक ही नंबर पर त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एंटी चिट्टा अभियान को सुदृढ़ एवं सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा किसी भी सूरत में सूचना देने वाले का उजागर नहीं होगा। अतः बिना किसी संकोच के चिट्टा तस्करी की सूचना भी 112 नम्बर पर दी जा सकेगी।

156. जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल्लू जिले का ब्रौ पुलिस स्टेशन जिसका क्षेत्राधिकार भौगोलिक रूप से रामपुर के निकट है, उन्हें एसडीपीओ रामपुर के पर्यवेक्षण के अधीन लाया जाएगा। इस प्रशासनिक व्यवस्था से इन क्षेत्रों के नागरिकों को पुलिस सेवाओं तक अधिक सुगम और त्वरित पहुंच उपलब्ध हो सकेगी।

157. पुलिस बल में समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कॉन्स्टेबलों को हैड कॉन्स्टेबल पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक B-1 टेस्ट आयोजित किया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा वर्ष 2017 से आयोजित नहीं हुई है। इस निर्णय से लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिलेगी तथा पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा।

158. वर्तमान में पुलिस विभाग में Assistant Sub-Inspector से Inspector रैंक तक केवल 88 महिला अधिकारी कार्यरत हैं, जो आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त हैं। जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं जमीनी स्तर पर पुलिस बल को मजबूत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विशेष अभियान के अंतर्गत 50 महिला Sub Inspector के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

159. राज्य सरकार ने दिनांक 22.02.2025 को पुलिस थानों की Classification और Grading संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसके परिणामस्वरूप Inspector, Sub-Inspector, Head Constable, Constable, Cook और Driver जैसी विभिन्न श्रेणियों में लगभग एक हज़ार पदों की आवश्यकता है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरने पर विचार किया जाएगा।

160. शिमला शहर में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (ICCC) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस को ICCC के साथ पूरी तरह से एकीकृत (Integrate) किया जाएगा। इससे पुलिस को ट्रैफिक प्रबंधन, निगरानी, अपराध की रोकथाम तथा आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए इस आधुनिक तकनीकी प्रणाली का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

161. हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच में सहयोग तथा जन–जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पुलिस में **साइबर मित्र योजना (Cyber Volunteers Scheme)** प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है। इस पहल के अंतर्गत तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं तथा जिम्मेदार नागरिकों को "साइबर मित्र" के रूप में जोड़ा जाएगा, जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों और जिला साइबर सेल की सहायता गैर–पुलिसिंग कार्यों जैसे पीड़ितों को सहायता प्रदान करेगें।

162. पर्यटकों तथा स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। दिनांक 10 मार्च 2026 को शिमला के ISBT से हिमाचल प्रदेश पुलिस की प्री–पेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस प्री–पेड टैक्सी सेवा के माध्यम से यात्रियों को पूर्व निर्धारित किराए पर टैक्सी उपलब्ध होगी, जिससे अनावश्यक

विवाद, अधिक किराया वसूली तथा अन्य असुविधाओं की संभावना समाप्त होगी और यात्रियों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी।

163. डिजिटल युग में बच्चों और युवाओं द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा एवं साइबर हाइजीन से संबंधित एक विशेष मॉड्यूल को शिक्षा विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीकों और सोशल मीडिया का सुरक्षित, जिम्मेदार और जागरूक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है।

164. राज्य में चिट्टे के विरुद्ध चलाए जा रहे एंटी–चिट्टा जन आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इस अभियान में हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 114 के दायरे को गैर–नगर निगम क्षेत्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिट्टा/नशा संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

उद्योग

165. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गर्व का विषय है कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्ट–अप रैंकिंग के 5वें संस्करण में हमारे राज्य को देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इस सफलता को और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार आगामी वित्त वर्ष 2026–27 में औद्योगिक क्षेत्र में विशेष पहल करेगी व जल्द ही नई औद्योगिक नीति भी लाई जाएगी।

166. सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई Single Window प्रणाली पारदर्शी शासन, निवेशक सुविधा एवं प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण के प्रति सरकार की

मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अतः मैं सभी अनुमोदनों एवं स्वीकृतियों के लिए नई समय–सीमाएं/Milestones निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे मौजूदा Turnaround समय में कमी लाई जा सके और Ease of Doing Business एवं Ease of Living सुनिश्चित हो सके।

167. HIM MSME Fest 2026 की सफलता के बाद अब हमारी सरकार Startup Ecosystem को और सुदृढ़ करने तथा युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु आगामी औद्योगिक निवेश नीति के अंतर्गत एक नई HIM Startup Scheme तैयार करेगी, जिसके तहत इच्छुक Startup एवं Incubators को वित्तीय एवं गैर–वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

168. आगामी वित्त वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों की Value Chain एवं Value Addition को और मजबूत करने हेतु One District Three Products Programme शुरू किया जाएगा। जिसके माध्यम से प्रत्येक जिला तीन विशिष्ट उत्पादों की पहचान करेगा व जिन्हें आगामी औद्योगिक नीति के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।

169. रेशम उत्पादन हिमाचल प्रदेश में एक पारम्परिक, पर्यावरण–अनुकूल एवं श्रम–प्रधान कृषि–आधारित गतिविधि है, फिर भी खंडित जोत (Fragmented Holdings), पुरानी पालन अवसंरचना, सीमित Post-Cocoon Value Addition एवं Weak Market Integration के कारण उत्पादकता एवं आय सीमित बनी हुई है। इन संरचनात्मक कमियों को दूर करने हेतु, मैं HIM Silk Mission की घोषणा करता हूँ, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 2 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा तथा समावेशी विकास हेतु अनुसूचित जाति (SC) लाभार्थियों को योजना के लक्ष्यों में शामिल किया जाएगा।

170. वित्तीय वर्ष 2026–2027, के लिए मैं उद्योग विभाग के माध्यम से 10 हज़ार हिमाचली युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। इस पहल के अंतर्गत NSDC, CSR Funds इत्यादि के सहयोग से प्रत्येक Trainee को प्रति माह दो हज़ार रूपये का Stipend भी प्राप्त होगा।

जनजातीय विकास

171. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जनजातीय कल्याण हेतु निरन्तर प्रयासरत है। पांगी और लाहौल में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के नए परिसरों का प्रथम चरण पूरा किया जाएगा तथा भरमौर विद्यालय का निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिकता से करवाया जाएगा।

172. जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु मेले और उत्सव आयोजित किए जाएंगे।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन

173. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज IT केवल तकनीकी साधन नहीं, बल्कि सुशासन और नागरिक सशक्तिकरण की रीढ़ बन चुका है। विश्व स्तर पर Artificial Intelligence और Machine Learning स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इन तकनीकों का व्यापक उपयोग नागरिक सेवाओं को सरल एवं तेज बनाने, e-Governance को सशक्त करने, Data आधारित निर्णय लेने और पारदर्शिता बढ़ाने में किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026–2027 के लिए इस क्षेत्र में सरकार द्वारा निम्न कार्य प्रस्तावित हैः–

- सोलन स्थित वाकनाघाट में Centre of Excellence–IT स्थापित किया जाएगा। इसमें एक Artificial Intelligence एवं Machine Learning Lab स्थापित की जाएगी तथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजनाएं/नए उद्योग योजना के अंतर्गत Incubation Facility स्थापित की जाएगी। साथ ही यहाँ पर सफल Startups तथा IT/ITES कंपनियों

को वाणिज्यिक उपयोग हेतु किराए के आधार पर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

- शिमला में एक Centre of Excellence in Artificial Intelligence स्थापित किया जाएगा।
- राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास हेतु Information Technology/ Information Technology Enabled Services Projects के महत्व को देखते हुए, सरकार द्वारा जिला सोलन के वाकनाघाट में एक अत्याधुनिक Cyber City स्थापित की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के पास अनुकूल प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जो इसे आधुनिक तथा Green Data Centre के लिए एक उपयुक्त गंतव्य बनाते हैं। राज्य सरकार Green Energy आधारित Data Centres को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ऐसे संस्थानों को 3 रूपये प्रति यूनिट की दर से Green Energy उपलब्ध कराई जाएगी। कम्पनियाँ अपनी आवश्यकताओं के लिए Captive Solar Energy Plants भी स्थापित कर सकेंगी।
- इसके अतिरिक्त Artificial Intelligence (AI), डेटा साइंस तथा आधुनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बढ़ती वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में Global Capacity Centres (GCCs) की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे Start-up Ecosystem से जुड़े Professionals को अवसर प्राप्त होंगे तथा उन्हें वैश्विक स्तर पर कार्य करने के अवसर उपलब्ध होंगे।

174. राज्य सरकार ने **हिमपरिवार परियोजना** को 25 जनवरी 2025, पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रारम्भ किया। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को हिम परिवार कार्ड जारी किया गया है, जो आधार कार्ड की तर्ज पर एक विशिष्ट पारिवारिक पहचान प्रदान करता है। अब तक 19 लाख से अधिक परिवारों के 75 लाख 38 हज़ार 465 सदस्य

हिमपरिवार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। नागरिक अपना हिम परिवार कार्ड हिम परिवार पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा नजदीकी Lok Mitra Kendra के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच डेटा का Integration अत्यंत आवश्यक है। सभी विभाग अपने ऑनलाइन डेटाबेस को हिम परिवार के साथ Integrate करेंगे तथा अपने एप्लिकेशन पोर्टल्स में Him Access (Single Sign On) सेवा को लागू करेंगे, ताकि आवेदकों/लाभार्थियों का केवल सत्यापित डेटा ही विभिन्न विभागीय योजनाओं/एप्लिकेशन्स में दर्ज किया जा सके। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध तरीके से हिम परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी एवं लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त हर परिवार को "हिम परिवार Card" भी प्रदान किए जाएगा।

175. साथ ही, मोबाइल–आधारित Survey App का उपयोग विभागीय योजनाओं/लाभार्थियों के डेटा के सत्यापन, प्रमाणीकरण एवं शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा, ताकि हिम परिवार डेटाबेस के साथ Integration सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नागरिकों के उपयोग हेतु एक Golden Database एप्लिकेशन को भी विकसित किया जाएगा। इस पहल के लिए सुदृढ़ कानूनी एवं संस्थागत ढांचा प्रदान करने हेतु हिम परिवार अधिनियम अधिसूचित किया जाएगा।

176. प्रदेश में e-Governance को और सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलखित कार्य किए जाएँगे :–

- MMSS (Mukhyamantri Seva Sankalp) Helpline System एवं State Document Management Portal में Artificial Intelligence (AI) का प्रयोग किया जाएगा।
- सरकार एक AI-Enabled Knowledge and Decision Support Portal (HIM-ADAPT)विकसित करेगी। यह

पोर्टल सरकारी आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों और नीतियों को सुरक्षित रूप से केंद्रीकृत करेगा और AI-Based Search and Analysis की सुविधा देगा। अधिकारी विभागवार एंड विषयवार जानकारी आसानी से पा सकेंगे, पुराने निर्णयों तक पहुँच पाएँगे और समान मामलों में लागू नियमों को समझ सकेंगे।

- राज्य डेटा सेंटर में होस्ट की गई सभी सरकारी Applications एवं Websites को प्रभावित करने वाली सुरक्षा संबंधी घटनाओं की निगरानी, पहचान एवं प्रतिक्रिया के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर में सुरक्षा संचालन केंद्र (Security Operation Centre–SOC) की स्थापना की जाएगी जो साइबर खतरों के विरुद्ध सुरक्षा को मजबूत करेगा।
- राज्य स्तर पर डिजिटल माध्यम से शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक केंद्रीकृत Digital Library एवं Learning Management System की स्थापना की जाएगी।
- ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को स्थानीय भाषा में सरल Voice Command के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने हेतु एक Voice-enabled AI आधारित Citizen Services Assistant विकसित किया जाएगा।
- HPTU, AMRU तथा अन्य संस्थानों में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यकर्मों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।
- राजस्व प्रमाणपत्रों में अनाधिकृत संशोधन एवं धोखाधड़ी को रोकने हेतु Blockchain आधारित, Tamper-Proof सुरक्षा ढांचा लागू किया जाएगा।
- वर्तमान में विभागों के लिए Geographic Information System आधारित Resource Mapping हेतु कोई एकीकृत मंच नहीं है। अतः डिजिटल

प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग में एक GIS lab बनाई जाएगी।

- हिमाचल प्रदेश के आपदा संवेदनशील स्वरूप तथा वर्ष 2025 की आपदा के दौरान अनुभव की गई संचार सेवाओं की विफलताओं को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा सेवाओं एवं राहत कार्यों हेतु निर्बाध संचार सेवा सुनिश्चित करने के लिए Low Earth Orbit (LEO) उपग्रह आधारित संचार प्रणाली को अपनाया जाएगा।

हाऊसिंग

177. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक इन्सान साफ़ और स्वस्थ आबोहवा में जीवन बिताना चाहता है। इस दृष्टि से हिमाचल देश और देश से बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों की पहली पंसद बन सकता है। आज यह स्थिति है कि बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल के निवासियों ने प्रदेश के बाहर चण्डीगढ़, पंचकुला, मोहाली, और जीरकपुर में मकान खरीदे हैं।

178. इससे न सिर्फ प्रदेश की सम्पत्ति प्रदेश के बाहर जाती है बल्कि जब ये लोग प्रदेश के बाहर जा कर खरीद़दारी करते हैं तो प्रदेश को GST पर भी नुकसान होता है। इस कमी को दूर करने के लिये और हिमाचल को All Weather Destination और एक आदर्श Home in the Hills Destination के रूप में स्थापित करने के लिये हमने शिवालिक Hills में दो जगह पर Planned Modern Townships बनाएंगें।

179. हम चण्डीगढ़ के साथ शीतलपुर क्षेत्र बद्दी ज़िला सोलन में एक HIM Chandigarh तथा पंचकुला के साथ लगते सिरमौर जिले में एक HIM Panchkula Townships स्थापित करेंगे।

180. इसी तरह धौलाधार के अंचल में हम Kangra Valley Township स्थापित करेंगे। प्रत्येक शहर 10 हजार बीघा भूमि पर बनाया जाएगा है। इन शहरों के

निर्माण से हमारे प्रदेश में Balanced Regional Development सुनिश्चित होगी, प्रदेश के बड़े शहरों पर दबाब कम होगा, नये विकास केन्द्र स्थापित होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हजारों करोड़ का निवेश होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। चण्डीगढ़ और कांगड़ा Airports के समीप होने के कारण ये नये शहर हिमाचल के विकास के Economic Engine बन कर उभरेंगे।

181. उत्कृष्टता एवं वीरता के सम्मानस्वरूप एशियाई खेलों के पदक विजेताओं तथा शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को रियायती दरों पर Residential Plots आवंटित किए जाएँ, जिसके लिए हमारी सरकार शीघ्र ही नीति को अधिसूचित करेगी।

युवा सेवाएं एवं खेल

182. प्रदेश सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, नशामुक्त, स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण हेतु कृतसंकल्प है। इसी दिशा में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 में एक Flagshsip Policy Initiative **"खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान"** प्रारम्भ किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत, विशेषकर "**चिट्टा**" जैसी घातक प्रवृत्ति से दूर कर खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक जीवनशैली की ओर अग्रसर करना है। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय से तीन-स्तरीय प्रतियोगिताएँ कम्रशः ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय खेलो हिमाचल चैम्पियनशिप आयोजित की जाएँगी, जिनमें वॉलीबाल, कबड्डी और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल शामिल होंगे। इन प्रतियोगिताओं में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 50 हज़ार युवा भाग लेंगे। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु एक Sports Calendar तैयार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर नियमित खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास, युवा सेवाएं एवं खेल, पुलिस तथा ज़िला प्रशासन मिलकर करेगें।

183. महोदय, आगामी वित्त वर्ष 2026–27 में हमीरपुर ज़िले के नादौन (Kharidi) में Multipurpose Sports Complex at Kharidi, Nadaun को एक State-of-the-Art Centre of Excellence for Sports and Youth Development Centre के रूप में क्रियाशील किया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शूटिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, योग, बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जूडो, बास्केटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जम्प, हाई जम्प, डिस्कस थ्रो तथा शॉट पुट जैसे विभिन्न खेलों के लिए इनडोर एरेना, उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय सुविधाएँ, खेल विज्ञान, फिटनेस एवं रिकवरी सेंटर, पेशेवर कोचिंग एवं प्रशिक्षण हॉल, स्विमिंग पूल तथा वेलनेस अवसंरचना उपलब्ध होगी। यह राज्य के भीतर ही अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। इन व्यापक सुविधाओं के साथ यह कॉम्पलेक्स युवाओं की प्रतिभा पहचान, दीर्घकालिक खिलाड़ी विकास और उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। यह अत्याधुनिक खेल परिसर प्रदेश के युवाओं एवं खिलाड़ियों के लिए समर्पित होगा तथा इसे August 2026 तक आम जनता एवं खिलाड़ियों के लिए समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह राज्य के भीतर ही अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही यह परिसर राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप, प्रशिक्षण शिविर और टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रमुख स्थल होगा, जिससे हिमाचल प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा।

184. इसके अतिरिक्त हमारी सरकार Kalpa, Ghumarwin व कटासनी के Stadiums का कार्य शीघ्र पूर्ण करेगी।

185. हमारी सरकार Sports Ecosystem को सुदृढ़ करने और भावी चैम्पियनों को तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में एक व्यापक नीति पहल प्रारम्भ करेगी।

इस पहल के अंतर्गत युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गैर–सट्टेबाजी (Non-Betting) आधारित ई–स्पोर्ट्स एवं खेल आधारित डिजिटल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में ऐसे ई–स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा जो ओलंपिक के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि चेस, वर्चुअल साइक्लिंग, मोटर–स्पोर्ट रेसिंग सिमुलेशन, वर्चुअल सेलिंग तथा वर्चुअल ताइक्वांडो जैसी खेल आधारित स्पोर्ट्स सिमुलेशन ई–स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएँ, जिनका स्वरूप पूर्णतः खेल प्रतिस्पर्धा पर आधारित होगा।

186. ओलम्पिक 2036 को ध्यान में रखते हुए 10 से 12 साल के बच्चों के Potential की पहचान व उनके प्रशिक्षण पर एक सघन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

"युवा वो नहीं जिसकी उम्र कम हैं।
युवा वो है जिसके इरादों में दम हैं।।"

परिवहन/ रोपवे/ रेलवे

187. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है राज्य के नागरिकों को स्वच्छ, हरित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना तथा परिवहन क्षेत्र में कार्बन फुट–प्रिंट कम करना। इस उद्देश्य से 297 Electric बसों को खरीदा जा रहा है। इन बसों के लिए चार्जिंग Infrastructure की आवश्यकता को पूरा करने हेतु HRTC ने राज्यभर में 80 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ की है, जिनमें से 34 स्थानों पर कार्य Advance Stages में है।

188. प्रदेश में परिवहन के आधुनिकीकरण व पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छ, हरित परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, चरणबद्ध तरीके से एक हज़ार Type-II इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी जाएंगी।

189. महोदय, पिछले बजट वर्ष 2025–26 में की गई घोषणा के अनुसार, हमारी सरकार ने प्रदेश में चलने वाले 390 Routes को निजी क्षेत्र में आवंटित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। **राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट–अप योजना**–स्टेज–III के तहत इन रूटों पर बसों की खरीद के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026–27 में अतिरिक्त 700 Routes को भी निजी क्षेत्र को आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है।

190. यात्रियों की सुविधा हेतु व जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक ऑनलाइन समय सारणी प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसे बस ट्रैकिंग एप्लिकेशन से जोड़ा जाएगा।

191. हमारी सरकार नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में बस अड्डों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान थुनाग, दाड़लाघाट, बैजनाथ, हमीरपुर तथा भोरन्ज बस अड्डों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, तीन नए बस अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जो क्रमशः जयसिंहपुर, फतेहपुर और मण्डी–भराड़ी (बिलासपुर) में स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, चम्बा के पुराने बस अड्डे पर एक कार पार्किंग सहित बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन अवसंरचना उपलब्ध कराना है।

192. सरकार द्वारा फेसलेस सेवाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में, Goods Carriage, Contract

Carriage, पर्यटक वाहन, राष्ट्रीय परमिट की Authorisation आदि वाणिज्यिक वाहनों से संबंधित परमिट, निर्धारित शुल्क तथा आवश्यक दस्तावेजों की सफल ऑनलाइन जमा होने एवं सत्यापन के पश्चात स्वचालित स्वीकृति (Auto Approval) प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

193. राज्य में रेलवे यातायात को सुदृढ़ करने की दिशा में चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाइन परियोजना का कार्य प्रगति पर है और 31 दिसम्बर 2027 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है।

194. हमारे प्रदेश में अनेक धार्मिक और पर्यटन स्थल दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इन स्थलों तक पहुँचने में कठिनाई होती है तथा पारम्परिक परिवहन साधनों से यात्रा समय और लागत दोनों अधिक होती है। रोपवे परिवहन जहां एक ओर पर्यावरण अनुकूल है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करता है। मैं इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु तीन महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाएँ की घोषणा करता हूँः–

- बाबा बालक नाथ रोपवे– टैक्सी पार्किंग से बाबा बालक नाथ मंदिर तक एक किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना 65 करोड़ रूपये की लागत से DBFOT(Design-Build-Finance-Operate-Transfer) मोड पर निर्मित की जाएगी। परियोजना का कार्य अक्टूबर 2026 में आरंभ होकर दिसंबर 2028 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
- माता चिंतपूर्णी रोपवे– बाबा माया दास पार्किंग से माता चिंतपूर्णी मंदिर तक 1.1 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना 76 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) मोड पर निर्मित की जा रही है। परियोजना का कार्य अक्टूबर 2026 में आरंभ

होकर दिसम्बर 2028 तक पूर्ण होने की संभावना है।

- कुल्लू (ढालपुर) पीज रोपवेः ढालपुर को पीज से जोड़ने हेतु 1.20 किलोमीटर लम्बी रोपवे परियोजना 80 करोड़ रूपये की लागत से PPP मोड पर निर्मित की जा रही है। इसे दिसम्बर 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी विकास

195. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में शहरी विकास केवल भवनों और सड़कों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का संकल्प है। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ शहरी नियोजन और आधारभूत संरचना का विकास चुनौतिपूर्ण है। फिर भी, हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने, स्वच्छता, जल आपूर्ति, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है।

196. महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि The Economic Times द्वारा सरकार के One State One Portal For All Municipal Services के Initiative को Govtech Award 2026 से सम्मानित किया गया है। शहरी स्थानीय प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार की पहल One State One Portal के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसमें पहले से लागू 18 सेवाओं के अतिरिक्त हिम सेवा सुविधा व विभिन्न प्रकार की NOCs जारी करने इत्यादि प्रमुख ऑनलाइन नगर सेवाओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही, सभी शहरी स्थानीय निकायों में ऑनलाइन वित्त एवं लेखा मॉड्यूल के माध्यम से डबल अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा के लिए सिटिजन सेवा पोर्टल को मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

197. हमारी सरकार 14 स्थानों– चम्बा, घुमारवीं, नादौन, धर्मशाला, पालमपुर, मनाली, मण्डी,

सुन्दरनगर, शिमला, रामपुर, नाहन, बद्दी, ऊना और संतोखगढ़ में Municipal Shared Service Centers(MSSC) स्थापित करेगी। इस पहल के तहत प्रत्येक संपत्ति को QR-enabled Digital Door Plate प्रदान की जाएगी, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी होगी। इसके अतिरिक्त, एक Municipal Call Centre तथा एक State Level Implementation Centre(SIC) हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा।

198. नवगठित/उन्नयनित शहरी स्थानीय निकायों के विलय क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सेवाएँ, जैसे कि सड़कें, मार्ग, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, स्वच्छता, पार्क और पार्किंग सुविधाएँ, प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 01 करोड़ 25 लाख रुपये का विकास अनुदान जारी किया जाएगा। इसमें से एक उन्नयनित (Newly Upgraded) नगर परिषद् ज्वाली को 25 लाख रुपये तथा नवगठित 02 नगर पंचायतों (संगड़ाह और बीड़) को 50-50 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे।

199. राज्य सरकार ने Council of Scientific & Industrial Research-Indian Institute of Chemical Technology (CSIR-IICT), हैदराबाद के साथ बॉयोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत इस संस्थान की तकनीकी सहायता से शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ऊना, हमीरपुर, सोलन, पालमपुर और बद्दी में संयंत्रों की स्थापना हेतु Feasibility रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इन संयंत्रों से Renewable Energy उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और Landfills पर निर्भरता कम होगी।

200. "Central Business District" (CBD) परियोजना के अंतर्गत शिमला शहर में 400 करोड़ रूपये और हमीरपुर शहर में 200 करोड़ रूपये की लागत से वाणिज्यिक परिसरों का विकास किया जाएगा, ताकि

लोगों को आधुनिक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। इसे धीरे–धीरे राज्य के अन्य शहरों तक विस्तारित किया जाएगा।

201. Urban Challenge Fund के अंतर्गत शहरों के मुख्य स्थलों को Creative Redevelopment of Cities/Growth Hubs में रूपांतरण के लिए प्रदेश के 08 शहरों (शिमला, धर्मशाला, नादौन, ज्वालामुखी, सुबाथू, देहरा, सुन्नी व रामपुर) की 600 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना प्रगति पर है, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि बैंक लोन/PPP मोड के माध्यम से, 25 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार तथा 25 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

202. डक्ट निर्माण योजना (Construction of Ducts) के अंतर्गत प्रथम चरण में शिमला शहर में 140 करोड़ रुपये की राशि से डक्ट निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है तथा चरणबद्ध तरीके से में अन्य शहर जैसे बद्दी, हमीरपुर, देहरा, धर्मशाला, मण्डी, मनाली, सोलन और ऊना में डक्ट निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

203. स्ट्रीट वेंडिंग जोन निर्माण योजना के अन्तर्गत पर्यटन, धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर विश्व स्तरीय Street Vending Zones स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में प्रदेश में दो ऐसे स्थलों को चयनित कर विश्व स्तरीय Street Vending Zones स्थापित किए जाएंगे।

शहरी विकास के क्षेत्र में कुल 542 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

204. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पर्वतीय झरने, नदियाँ और जल स्रोत, हिमाचल को और पूरे उत्तर भारत को जीवन का अमृत शुद्ध जल प्रदान करते हैं। **जल शक्ति**

हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि स्वच्छ जल को हर घर तक उपलब्ध करवाया जाए। हम जल संरक्षण और जल प्रबंधन में नई व World Class तकनीकों को अपना रहे हैं ताकि हवा के साथ–साथ Higher Quality का पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके।

205. सरकार लगभग 2 हज़ार करोड़ रूपये की एक व्यापक परियोजना तैयार करेगी, जिसका लक्ष्य Water Quality में सुधार करना होगा व पुरानी स्कीमों का आधुनिकीकरण करना होगा। इसके लिए World Class Standards वाली Latest Technologies जैसे RO(Reverse Osmosis), Ozonation, Gaseous Chlorination इत्यादि को प्रयोग मे लाया जाएगा।

206. Ozone (ओज़ोन) पानी के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी कीटाणुनाशक और वायरसनाशक है जोकि स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित है। पूरे राज्य में इस वित्त वर्ष में 15 योजनाओं में पेयजल शोधन हेतु RO/ Ozonation/Gaseous Clorination के प्रयोग के साथ–साथ जल भण्डारण हेतु Latest Technology के Non-Reactive Tanks का उपयोग किया जाएगा।

207. वर्तमान मे जल शक्ति विभाग मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से जल आपूर्ति के कीटाणुशोधन के लिए क्लोरीन का उपयोग करता है। इससे जल में Smell बनी रहती है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं में प्रभावी क्लोरिनेशन के लिए यह प्रस्ताव है कि शुरू में एक हज़ार जल आपूर्ति योजनाओं में ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग को पूर्ण रूप से Chlorine Gas प्रणाली से बदल दिया जाएगा।

208. जनता को गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य में चरणबद्ध तरीके से उन सभी सतही एवं भूजल आधारित योजनाओं में जल शोधन संयत्र (WTPs) स्थापित किए जाएंगे, जहाँ अब तक संयंत्र नहीं

बने हैं या बने हुए संयंत्र निष्क्रिय हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2026–27 में 500 जल शोधन संयंत्रों के निर्माण का प्रयास किया जाएगा।

209. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) में Treated Wastewater को प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ने से पूर्व प्रभावी कीटाणुशोधन हेतु गैसीय क्लोरीनीकरण अत्यंत आवश्यक है। इससे हानिकारक Pathogenic Bacteria एवं Microorganisms का नाश होगा तथा जनस्वास्थ्य एवं पर्यावण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रथम चरण में 55 STPs में गैसीय क्लोरीनीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

210. जिन पाइपों की उपयोगी आयु समाप्त हो चुकी है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। लगभग 200 किलोमीटर पाइपों की Replacement की अनुमानित लागत 8 करोड़ रूपये है।

211. शहरी क्षेत्रों में बनने वाली पेयजल योजनाओं पाइपों को भूमिगत Duct के माध्यम से बिछाया जाएगा जिससे बार–बार सड़कों को होने वाले नुकसान व जन साधारण को होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा। यह व्यवस्था भविष्य में मूलभूत ढ़ाचे के रख–रखाव के खर्चे को भी कम करेगी।

212. कई स्थानों में जल योजनाओं में मौजूदा पम्पिंग मशीनरी प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई है। वहाँ इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की पुनर्स्थापना की जाएगी। इसके साथ–साथ जल शक्ति विभाग की योजनाओं की आधुनिक निगरानी, निरिक्षण व संचालन के लिए आधुनिक तकनीक जैसे कि SCADA(Supervisory Control & Data Acquisition)/ Automation/ Surveliance through CCTV Cameras, Sensors, Alarms & IoT (Internet of Things) को चरणबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्रों में 10 योजनाओं में उपयोग किया जाएगा।

213. भारी वर्षा, हिमपात एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्रोत एवं मुख्य वितरण बिंदुओं पर बैलेंसिंग रिजर्वायर का निर्माण आवश्यक है। Buffer Storage से Intake संरचनाओं को क्षति, विद्युत आपूर्ति बाधा अथवा ट्रांसमिशन व्यवधान के दौरान जल आपूर्ति की निरंतरता बनी रहेगी। लगभग 150 योजनाओं में 3 लाख लीटर क्षमता के टैंक निर्माण आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए जाएंगे।

214. उन योजनाओं में जहाँ विभाग के पास भूमि या Roof Top Space उपलब्ध है, के Operation and Maintenance(O&M) व्यय को कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा का उपयोग प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा की संभावनाओं का दोहन कर विभाग द्वारा विद्युत शुल्क के बोझ को कम किया जाएगा। ये Solar Panel, Grid Connected होंगे। सरकार ने 34 योजनाओं को चिन्हित किया है जिसमें बिजली की खपत अत्यधिक है, इन्हें इस वित्तीय वर्ष में हरित योजना के अंतर्गत लिया जाएगा।

215. प्रमुख River Basins की Flood Plain Zoning से बाढ़ संभावित क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान संभव होगी, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण एवं भूमि उपयोग का प्रभावी नियमन किया जा सकेगा, बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी आएगी तथा राज्य में दीर्घकालिक बाढ़ जोखिम प्रबंधन एवं आपदा तैयारी को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

216. जल शक्ति विभाग के अंतर्गत पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

217. मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि शिमला शहर के लिए सतलुज नदी से पेयजल उपलब्ध

होना शुरू हो गया है। इस परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहें हैं और प्रतिदिन 42ML (Million Litres) पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है जिसे बढ़ा कर भविष्य में 67ML (Million Litres) भी किया जा सकता है। सतलुज नदी पर स्थापित इस परियोजना के जल शोधन संयंत्र में बेहतर परिणाम हेतु Ozonization System of Disinfection, लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। शिमला शहर की पेयजल योजनाओं में Disinfection केवल Gaseous Chlorine से ही की जा रही है तथा इस वर्ष शहर की चिनहित क्षेत्र में Pilot आधार पर RO System भी स्थापित किया जाएगा। शिमला शहर में 24X7 पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य प्रगति पर है व इस वर्ष लगभग 10 हज़ार घरों को 24X7 पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।

218. रोज़गार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से भविष्य में जल विभाग में जलापूर्ति योजनाओं में कार्मिकों की नियुक्ति पैरा नीति के अंतर्गत की जाएगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

219. प्रदेश के ग्रामीण एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मेरी सरकार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2026–2027 के लिए मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

220. Government Medical College टाण्डा, Government Medical College हमीरपुर तथा AIMSS शिमला स्थित चमियाणा में एक–एक Track Based Integrated Total Laboratory Automation System वाली Advance Testing Lab स्थापित की जाएगी। प्रत्येक प्रयोगशाला पर 25 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

221. IGMC शिमला, Government Medical College टाण्डा, Govt Medical College हमीरपुर तथा Government Medical College नेरचौक में 20 करोड़ रूपये की लागत

से Bone Marrow Transplant & Apheresis Units स्थापित की जाएंगी।

222. Government Medical College हमीरपुर, तथा Government Medical College नेरचौक के लिए लगभग 46 करोड़ रूपये की लागत से PET Scan मशीनें खरीदी जाएगी। साथ ही PET Scan की सुविधा को Government Medical College टाण्डा व IGMC Shimla में भी जल्द ही शुरू किया जाएगा।

223. AIMSS शिमला स्थित चमियाणा में 20 करोड़ रूपये की लागत से एक Digital Subtraction Angiography मशीन खरीदी जाएगी।

224. इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (IGMC), शिमला में रोबोटिक सर्जरी हेतु आवश्यक एनेस्थीसिया उपकरणों की खरीद के लिए 5 करोड़ रूपये, OBG विभाग की यूनिट स्थापना एवं रोबोटिक सर्जरी हेतु मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए 3 करोड़ 68 लाख रूपये, मशीनरी व उपकरणों की खरीद हेतु 2 करोड़ 38 लाख रूपये, शल्य चिकित्सा विभाग में 4K Laparoscopic Sets एवं Electro Surgical Station की खरीद हेतु 5 करोड़ रूपये निर्धारित किए है।

225. Government Medical College नाहन में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद हेतु लगभग दो करोड़ रूपये की राशि जारी की जाएगी।

226. Government Medical College चम्बा में कौशल प्रयोगशाला (Skill Lab) निर्माण हेतु एक करोड़ 33 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

227. हमारी सरकार ने ZH कुल्लू, ZH ऊना, RH सोलन, Medical College चम्बा व नाहन और टाण्डा में Cath Labs स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे हर जिले में

प्रदेश की जनता को Angiography व Angioplasty की सुविधा सहज प्राप्त हो जाएगी।

228. Government Medical College चम्बा के फेस–II को शुरू किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 194 करोड़ रूपये है।

229. Government Medical College नाहन में कॉलेज के निर्माण हेतु 500 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।

230. Government Medical College चम्बा, Government Medical College हमीरपुर तथा Government Medical College नाहन में प्रत्येक संस्थान में 40 बिस्तरों वाली Intensive Care Units(ICUs) स्थापित की जाएगी।

231. Government Medical College टाण्डा में लेक्चर थियेटर निर्माण हेतु 14 करोड़ 86 लाख रूपये की राशि जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त कॉलेज के भवन के रखरखाव हेतू 2 करोड़ 27 लाख रूपये का प्रावधान किया जाएगा।

232. Government Medical College हमीरपुर के Super Speciality Block के निर्माण हेतु 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाएगा। परीक्षकों के आवास हेतु विश्राम गृह (Guest House) की सुविधा प्रदान करने के लिए 2 करोड़ रूपये तथा 15 करोड़ रूपये की लागत से छात्राओं के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

233. इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (IGMC), शिमला में लिफ्ट स्थापना हेतु 2 करोड़ 38 लाख रूपये तथा लेक्चर थियेटर निर्माण हेतु 6 करोड़ रूपये, छात्राओं के छात्रावास हेतु Corrostophen Estate, लक्कड़ बाजार में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाएगा।

234. हमीरपुर में 200 करोड़ रूपये की लागत से एक नए डेंटल कॉलेज की स्थापना का भी प्रस्ताव इस चरण में शामिल है। इसके अतिरिक्त Government Medical College, हमीरपुर में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 6 करोड़ रूपये तथा डॉक्टरों के आवास हेतु 7 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया जाएगा।

235. AIMSS Chamiana में क्रिटिकल केयर और एडिशनल ब्लॉक के Attic फ्लोर पर 10 करोड़ रूपये की लागत से हॉस्टल निर्माण किया जाएगा।

236. Government Medical College टाण्डा के नर्सिंग स्कूल हेतु 2 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया जाएगा।

237. Government Medical College मण्डी स्थित नेरचौक में छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण हेतु 8 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि जारी की जाएगी।

238. प्रदेश की Tertiary और Secondary स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण हेतु, पहले चरण में एक हज़ार 731 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है जिसका सर्वेक्षण एवं डीपीआर का कार्य प्रगति पर है। उसी की निरंतरता में द्वितीय चरण में चिकित्सा महाविद्यालयों का लगभग एक हज़ार 617 करोड़ से आधुनिकीकरण किया जाएगा।

239. इस चरण में सभी मैडिकल कॉलेजों को उन्नत जांच सुविधाओं और High-end उपकरणों के साथ आधुनिक शिक्षण अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें IGMC शिमला और Government Medical College टाण्डा में IVF एवं Embryo Transfer Units तथा Bone Marrow Transplant की स्थापना शामिल है। AIMSS चमियाना को कैथ लैब सहित Cardiac Hub और Advanced Maternal & Child Care Centre के रूप में

विकसित किया जाएगा। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को Tele-ICU एवं AI आधारित Diagnostics तथा मजबूत बुनियादी ढांचे से सशक्त किया जाएगा ताकि दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

240. राज्य में 18 डे–केयर कैंसर सेंटर्स (DCCCs) और चार टर्शियरी केयर सेंटर्स IGMC शिमला, Government Medical College टाण्डा, AIIMS बिलासपुर और Government Medical College मण्डी – के बीच बिना किसी रुकावट के तालमेल सुनिश्चित करने हेतु मेरी सरकार द्वारा Tele-Oncology सेवाएं स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

241. राज्य में इन–हाउस डायग्नोस्टिक सर्विस को मजबूत करने के उद्देश्य से 11 जिलों में एक करोड़ 25 लाख प्रति जिला की लागत से District Integrated Public Health Laboratories और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में 72 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (Block Public Health Units), 81 लाख रूपये प्रति ब्लॉक की अनुमानित लागत से स्थापित किए जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में जिला अस्पतालों और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में ये सभी सुविधाएँ चालू कर दी जाएंगी।

242. मेरी सरकार राज्य में पहली बार हेपेटाइटिस–B, हेपेटाइटिस–C और HIV जैसे ट्रांसफ्यूजन से फैलने वाले संक्रमणों की स्क्रीनिंग हेतु Nucleic Acid Testing शुरू करने जा रही है। यह उन्नत तकनीक संक्रमणों का शुरुआती चरण में ही पता लगाने में सक्षम है। इस पहल के तहत शिमला और कांगड़ा जिलों के ब्लड बैंकों में Trained Technicians के साथ दो NAT मशीनें स्थापित की जाएगी। 20 हज़ार रक्त नमूनों की स्क्रीनिंग हेतु 2 करोड़ रूपये का खर्च प्रस्तावित है।

243. Human Papillomavirus (HPV) से लगातार संक्रमण अब सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है। अतः मैं प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अन्तर्गत राज्य की 14–15 वर्ष की लड़कियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह वैक्सीन सभी योग्य लाभार्थियों, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 65 हज़ार है, को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस टीकाकरण गतिविधि को लागू करने के लिए 2 करोड़ 39 लाख रूपये का खर्च आएगा।

244. बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी मैडिकल कॉलेजों मे ई–लाईब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

245. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड़ 50 लाख रूपये के प्रावधान के साथ एक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू की जाएगी जो High-Risk Pregnant महिलाओं की शुरुआती पहचान व Real Time Tracking करेगी। इसमें दूरदराज और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

246. समाज में विशेषकर युवा वर्ग में बढ़ रही नशे की लत को दूर करने के लिए नीति आयोग की मदद से State Action Plan बनाया जाएगा।

247. विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषकर आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों के कैडर को बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा।

248. इसके अतिरिक्त, PG कोर्स या सीनियर रेजिडेंसी में चयन के कारण रिक्त हो रहे पदों को ध्यान में रखते हुए 300 पद Trainee Reserve के रूप में सृजित किए जाएंगे।

249. स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिकित्सा अधिकारी के 23 पद सृजित किए गए हैं तथा 232 पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु प्रक्रिया जारी है। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 4 पद सृजित किए गए हैं जिन्हे भरने की प्रक्रिया जारी है।

250. इसके अतिरिक्त 150 सहायक स्टाफ नर्स, 30 रेडियोग्राफर, 40 फार्मेसी ऑफिसर, 500 रोगी मित्र एवं 99 OTAs सहित अन्य पैरामेडिकल पद भी भरे जाएंगे।

251. सहायक स्टाफ नर्सों के 900 पदों, पैरा मैडिकल स्टाफ के 124 पदों तथा जेओए आईटी के 50 पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरने हेतु प्रक्रिया जारी है जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में विभिन्न संकायों के प्रवक्ताओं के 64 नए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जो कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे।

252. उपरोक्त के अतिरिक्त स्टेट केंसर संस्थान हमीरपुर क्रियान्वयन हेतु विभिन्न श्रेणियों के 469 पदों को (111 पद फैकल्टी, 180 पद नर्सिंग, 55 पद पैरा मेडिकल स्टाफ तथा 123 अन्य सहायक श्रेणियों के) सृजित किया गया है, जिन्हें आगामी वर्ष में भरा जाएगा।

सुविधाओं के अंबार ने बीमार कर दिया।
ठहरे हुये पानी की तरह बेकार कर दिया।।
न दौड़ है, तू खेल है, बस स्क्रीन का पहरा है।
इस सुस्त जिन्दगी ने हमें बीमार कर दिया।।

253. माननीय अध्यक्ष महोदय, जन सांख्यिकीय बदलाव और जीवनशैली में परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश में Non Communicable Diseases का बोझ बढ़ रहा है। इस चुनौती से निपटने हेतु मेरी सरकार Non-Alcoholic Fatty Liver Disease की रोकथाम, स्ट्रोक के त्वरित निदान और उपचार, क्रोनिक किडनी रोग की शुरुआती पहचान और प्रबंधन, Chronic Obstructive Pulmonary Disease के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता, तथा हार्ट अटैक के मामलों में Golden Hour Thrombolysis सुनिश्चित करने के लिए कार्डियक केयर नेटवर्क की स्थापना का प्रस्ताव करती है। ये कदम समयपूर्व मृत्यु को कम करेंगे, जीवन की गुणवत्ता सुधारेंगे और दीर्घकालिक स्वास्थ्य बोझ घटाएँगे।

254. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि "जैसा होगा अन्न, वैसा होगा मन"। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के अनुसार पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य सरकार माताओं, बच्चों तथा किशोरों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष में कुपोषण, एनीमिया तथा Micronutrient की कमी को दूर करने के उद्देश्य से पोषण अभियान के अनुरूप एक व्यापक State Nutrition Policy लाने की घोषणा करता हूँ। Food Security and Nutrition System को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा State Nutrition Coordination Cell की स्थापना, Composite Testing Laboratory कण्डाघाट के उन्नयन तथा धर्मशाला, मंडी शिमला और बद्दी में चार नई प्रयोगशालाओं की स्थापना अधिसूचित की गई है। इसके साथ ही इस उद्देश्य के लिए 51 पदों को भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। ये पहल विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देंगी, Food Testing Infrastructure को सुदृढ़ करेंगी तथा पूरे राज्य में स्वस्थ आहार संबंधी व्यवहार को प्रोत्साहित करेंगी।

मिलेगा पोषण तो बचपन निखर जाएगा।

देश का भविष्य फिर खुद संवर जाएगा।।

255. हमारी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के ऐतिहासिक सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों और अन्य वर्गों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

256. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 1 हज़ार 831 कर्मचारियों में से सात वर्ष पूर्ण कर चुके विभिन्न श्रेणियों के 823 कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2026 से एकमुश्त औसतन 14 हज़ार रुपये की वृद्धि प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी लम्बे समय की मांग पूरी होगी। इस वर्ग में मुख्यतः–

- स्वास्थ्य अधिकारी (आयुष) – 50 हज़ार 260 रुपये से 60 हज़ार 780 रुपये
- स्वास्थ्य अधिकारी डेंटल – 49 हज़ार 800 रुपये से 61 हज़ार 200 रुपये
- फार्मासिस्ट – 30 हज़ार 500 रुपये से 46 हज़ार 500 रुपये
- ए0एन0एम0 – 26 हज़ार 650 रुपये से 38 हज़ार 500 रुपये
- आशा कोऑर्डिनेटर – 30 हज़ार 775 रुपये से 45 हज़ार 750 रुपये
- ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर – 41 हज़ार 550 रुपये से 62 हज़ार 650 रुपये
- डेंटल हाइजीनिस्ट – 29 हज़ार रुपये से 42 हज़ार 650 रुपये
- अकाउंटेंट – 39 हज़ार 650 रुपये से 59 हज़ार 750 रुपये
- लैब टेक्नीशियन – 35 हज़ार 750 रुपये से 49 हज़ार 500 रुपये

257. इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों जैसे–

- स्टाफ नर्स–13 हज़ार 925 रुपये से 25 हज़ार रुपये

- लैब टेक्नीशियन–14 हज़ार 400 रुपये से 25 हज़ार रुपये
- फार्मासिस्ट –13 हज़ार 62 रुपये से 25 हज़ार रुपये
- ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन– 17 हज़ार 820 रुपये से 25 हज़ार रुपये
- डाटा एंट्री ऑपरेटर–14 हज़ार 400 रुपये से 18 हज़ार रुपये

258. जो शेष कर्मचारी सात वर्ष का लाभ इस वित्तीय वर्ष से प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2026 से मूल वेतन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि दी जाएगी।

259. इसके अतिरिक्त, चिकित्सा अधिकारी जो अभी तक नियमित नहीं हुए हैं, उनका मासिक वेतन 33 हज़ार 660 रुपये से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपये किया जाएगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 2 हज़ार 8 सौ 68 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

ऊर्जा

260. माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्जा क्षेत्र में व्यापक व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारा लक्ष्य वर्ष 2026–27 के लिये ढ़ाई हज़ार करोड़ रुपये ऊर्जा रॉयल्टी के रूप में प्राप्त करने का है जोकि अभूतपूर्व है। इसी दिशा में:–

- Directorate of Energy में एक Integrated Energy Management Centre की स्थापना की गई है। इससे बिजली की Trading को Efficient तरीके से किया जायेगा जिससे सरकार को अतिरिक्त आमदनी होगी।
- Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के तहत वर्ष में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये 450 करोड़ रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान है।

- सरकार ऊर्जा क्षेत्र में Global Standard हासिल करने के लिये Uniform Environment Social Policy Procedure लागू करेगी। इसके साथ ही Integrated Resource Planning System शुरू किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र में निर्माणाधीन Tidong-I (150 MW) और Soiel Dashal (9MW) इस वर्ष उर्जा उत्पादन शुरु कर देंगी।
- HP Power Corporation द्वारा निर्माणाधीन 450 MW शौंग–टोंग कड़छम जलविद्युत परियोजना के प्रथम चरण को इस वर्ष प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सोलर क्षेत्र में 49 MW क्षमता की 6 सौर परियोजनाओं– सनेहड़ (11MW), दभोटा (9MW), टिहरा खास (6MW), माजरा (8MW), घन्द्रान (10MW) और सुकोहन (5MW) को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इनमें Battery Energy Storage System (BESS) का प्रावधान भी किया जायेगा।
- प्रदेश सरकार ने कुनिहार, सोलन में लगभग 32 करोड़ रूपये की लागत से HP Transmission Asset Management Centre का निर्माण किया है। इस Centre ने 2 अक्तूबर 2025 से ट्रायल आधार पर कार्य करना शुरु कर दिया था। इस वर्ष यह केन्द्र पूरी तरह क्रियाशील कर दिया जायेगा। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अभी तक देश में इस स्तर का Centre केवल Power Grid Corporation India द्वारा ही संचालित किया जा रहा है।

- सिरमौर के पांवटा साहिब में उद्योगों एवं शहरी तथा आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिये 200 MVA क्षमता के 220/132 KV के GIS Substation का निर्माण लगभग 124 करोड़ रुपये की लागत से

किया जाना प्रस्तावित है। यह काम वर्ष 2026-27 में शुरु कर दिया जायेगा।

- Green Energy Corridor Phase-II के तहत काँगड़ा जिला के धर्मशाला और बैजनाथ में 63 MVA के दो GIS उपकेन्द्रों का निर्माण लगभग 221 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।
- धारकुण्डा से माजरा तक की 29 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य भी आंरभ किया जायेगा। इस 132 KV Double Circuit Transmission line पर लगभग 41 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
- **राजीव गांधी Start-up स्वरोजगार सौर योजना** के तहत 100 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने के लिये 90 आवेदन प्राप्त हुये हैं। शीघ्र ही इनका मूल्यांकन समाप्त करके इन्हे आंवटित किया जायेगा। इन परियोजनाओं के लिये जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्रों में 4 प्रतिशत बजट अनुदान दिया जायेगा।
- ग्राम पंचायतों में 500 KW Ground Mounted सोलर परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। अभी तक 4 ऐसी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और 13 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 7 अन्य पंचायतों में इन परियोजनाओं की स्थापना के लिये जगह का चयन कर लिया गया है। इन परियोजनाओं के क्रियाशील होने से प्रत्येक परियोजना से लगभग 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय होगी जिसका 30 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत को विकासात्मक कार्यों के लिये दिया जायेगा और इसका 20 प्रतिशत भाग पंचायत क्षेत्र के अनाथ, विधवा एवं वन्चित वर्गों के कल्याण पर खर्च किया जायेगा।
- राज्य के सभी सरकारी भवनों में GRID Connected Rooftop Solar प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। यह System Rooftop Solar Plant

Renewable Energy Service Company (RESCO) Mode में स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। इनसे सरकारी कार्यालयों में बिजली के बिलों में कमी आयेगी क्योंकि जो Company इन Plants को लगायेगी वह सरकारी कार्यालयों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवायेगी ।

- Sainj Hydro Project में HPPCL द्वारा Pilot आधार पर Round the Clock Green Energy उपलब्ध करवाने की पहल की जायेगी जिसमें Hydro Power को Green Energy के अन्य स्रोतों के साथ Bundle कर के बेचा जायेगा। इस व्यवस्था के परिणाम देखते हुये आने वाले समय में Energy Bundling को बढ़ावा देने पर विचार किया जायेगा।
- उर्जा निदेशालय के भवन का निर्माण Super Energy Conservation Building Code (ECBC) का प्रयोग करके इस वर्ष प्रारंभ किया जायेगा। यह प्रदेश की पहली ECBC Building होगी।
- ऊर्जा विभाग के अंतर्गत Electricity Distribution System एवं सम्बन्धित Infrastructure के सुधार एवं पुनर्स्थापन के लिए लगभग 250 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए है।

भाषा एवं संस्कृति

261. माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल राज्य अभिलेखागार ने लगभग 17 लाख महत्वपूर्ण अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitization) कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इन ऐतिहासिक और दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जो इस वर्ष क्रियाशील हो जाएगा। इससे शोधकर्ताओं को आसान ऑनलाइन Access प्राप्त होगी।

262. शिमला के बैंटनी भवन मे आधुनिक संग्रहालय का निर्माण कार्य पूर्ण करके इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। चम्बा के भूरी सिंह संग्रहालय में चम्बा कला और शिल्प की एक गैलरी के नवीनीकरण

का कार्य किया जाएगा। केलांग स्थित जनजातीय संग्रहालय को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाएगा।

संस्कृति है मान हमारा,
संस्कृति ही पहचान।
इसी से महकता है,
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान।।

263. हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति हमारी पहचान है। हमारे यहाँ प्राचीन मन्दिर, मेले और त्यौहार अपनी अनूठी परंपराओं के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ श्री नैना देवी जी, श्री चिंतपूर्णी जी, श्री बाबा बालक नाथ जी, श्री चामुण्डा देवी जी, श्री बज्रेश्वरी देवी जी जैसे विश्वप्रसिद्ध शक्ति पीठ हैं। किन्नर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, श्रीखण्ड कैलाश जैसे तीर्थ स्थल हैं। प्रदेश के कोने–कोने में आस्था के केंद्र स्थित हैं। प्रति वर्ष करोड़ों लोग हिमाचल के धार्मिक स्थलों में आते हैं और हिमाचल के स्वस्थ एवं सुन्दर वातावरण में शांति का अनुभव करते हैं। हम प्रदेश के सभी मन्दिरों को चरणबद्ध तरीके से विश्वस्तरीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करेंगे। प्रदेश के शक्ति पीठों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रथम चरण में बड़े मन्दिरों हेतु विशेषज्ञों के सहयोग से परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रुपये का व्यय चरणबद्ध तरीके से प्रस्तावित है। मैं इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के सुधार हेतु 65 करोड़ रूपये की राशि दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

264. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में कर एवं आबकारी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार खुदरा शराब की दुकानों के आबंटन की पूरी प्रक्रिया ई–आवंटन के माध्यम से

कर रही है तथा टोल बैरियरों का आवंटन भी वर्ष 2026–2027 के लिए ई–आबंटन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।

265. इसके अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर एक सप्ताह की अवधि का **जी0एस0टी0 करदाता स्वैच्छिक अनुपालन जागरूकता अभियान**(GST Taxpayer Voluntary Compliance Awareness Campaign) प्रारंभ किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत करदाताओं को GST कानून व प्रक्रियाओं का स्वेच्छा से अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अभियान का लक्ष्य Voluntary Compliance के माध्यम से कर विवादों में कमी लाने के साथ–साथ पारदर्शी GST पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना होगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

266. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अतः इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा वित वर्ष 2026–2027 के दौरान निम्न Policy Initiatives लेने जा रही है :–

- वर्ष 2026–2027 के दौरान सरकार Piped Natural Gas (PNG) के नेटवर्क को मज़बूत करेगी जो राज्य में घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए LPG की तुलना में अधिक सुरक्षित और सस्ता है। इसके अतिरिक्त डीजल और पेट्रोल के बजाय स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए राज्य में CNG(Compressed Natural Gas) स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार इस संबंध में City Gas Distribution Policy और CNG Policy लागू करेगी।
- राज्य में 5 हज़ार 3 सौ उचित मूल्य की दुकानों/डिपो का एक सशक्त नेटवर्क है जो खाद्यान्न वितरित कर रहा है। राज्य में 19 लाख 50 हज़ार राशन कार्ड धारकों और 72 लाख

50 हज़ार लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों/डिपो के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानों को वित्तीय रूप से Sustainable बनाने के लिए उचित मूल्य के दुकानदारों को अन्य गुणवत्ता वाले उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को खुले बाजार की तुलना में कम कीमत पर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे।

- निरीक्षण और Sampling Process को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकान, खाद्य थोक भण्डार के निरीक्षण व खाद्यान्न के Sampling हेतु e-Insamp-(Inspection Sampling) प्रणाली विकसित की जाएगी।
- राज्य में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत प्रदान करने और राज्य में उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु इस वर्ष Weight and Measures के लिए Online Verification System लागू किया जाएगा।

सैनिक कल्याण

267. माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के एक वीर सपूत Honorary Captain संजय कुमार जिन्हें कारगिल के युद्ध में देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला है, हाल ही में सेवा निवृत होने के पश्चात् अपने गृह जिले बिलासपुर वापिस आ गए हैं। प्रदेश सरकार ने उनसे आग्रह किया है कि वे हिमाचल प्रदेश के युवा जो कॉलेज, Senior Secondary Schools में पढ़ रहे हैं, भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके प्रोत्साहन से न केवल हमारे युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होगी बल्कि वे नशे व अन्य बुराईयों से भी बचेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि Honorary Captain संजय कुमार ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए हम उन्हें उचित मासिक सम्मान राशि देंगे तथा वह बिलासपुर के सैनिक कल्याण कार्यालय से ही अपनी सेवाएँ देने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य का सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक

निगम तथा शिक्षा विभाग शीघ्र ही इस विषय पर उचित आदेश जारी करेगा।

268. हमारे देश में लगभग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces) में 11 लाख कर्मी कार्यरत है, लगभग 20 लाख इन बलों के भूतपूर्व कर्मी हैं। इनकी ओर से यह सुझाव आया है कि राज्यों में भी एक Paramilitary Welfare Board गठित होना चाहिए जो Retired CAPF के कर्मियों के कल्याण तथा Rehabilitation आदि पर विचार कर सके। अतः मेरी सरकार द्वारा ऐसे बोर्ड का गठन किया जाएगा।

269. हमारी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 412 भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को विभिन्न विभागों की मांग अनुसार रोज़गार प्रदान किया। आगामी वर्ष में भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके साथ ही जिन माता–पिता के एक, दो या तीन बच्चे, जिन्होने युद्ध के दौरान देश में लागू आपातकाल के दौरान सेना में सेवा दी है, को मिलने वाली युद्ध ज़ागीर(आर्थिक सहायता) राशि 7 हज़ार रूपये को बढ़ाकर 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करता हूँ।

विधायक प्राथमिकताएं

270. अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 200 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

271. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूँ कि विधायकों को दी जाने वाली Discretionary Grant की वर्तमान सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाया जाएगा।

272. Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana के संबंध में भी हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले प्रति विधानसभा क्षेत्र दो करोड़ 20 लाख रुपये की राशि

उपलब्ध कराई जाती थी, जिसे अब वर्तमान वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर घटाकर एक करोड़ 10 लाख रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र किया जाता है।

कर्मचारी कल्याण

273. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यह मानती है कि प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का अभूतपूर्व योगदान है। हम कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दुर्भाग्यवश, पिछली सरकारों ने वेतन और पेंशन के Arrears की अदायगी नही की। जिससे बकाया देनदारियाँ लगभग 13 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गई हैं। मैं प्रदेश के मेहनती कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूँ कि उनके सभी भुगतान समयबद्ध तरीके से किए जाएंगें। वर्तमान सरकार यह संकल्प लेती है कि कर्मचारियों के सभी बकाया का पूर्ण भुगतान किया जाएगा, ताकि उन्हें उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिल सके। हमारी सरकार इस बोझ को समाप्त करने और कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

274. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की गम्भीर वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026–27 में किया जायेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनाँक 01.01.2016 से 31.12.2021 के दौरान सेवानिवृत हुए हैं उनके बकाया ग्रेच्युटी व Leave Encashment एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026–27 में किया जायेगा। उपरोक्त एरियर के भुगतान पर वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगें।

275. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष से Study Leave पर जाने वाले सभी

कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले Study Leave लिया है, उन्हें भी शेष वेतन का भुगतान किया जाएगा।

276. मैं घोषणा करता हूँ कि अनुबंध आधार तथा दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जो वर्तमान में वर्ष में केवल एक ही बार नियमित किए जाते हैं का अब पूर्व की भान्ति 31 मार्च, 2026 तथा 30 सितम्बर, 2026 को निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने पर नियमितीकरण किया जाएगा।

277. कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं, निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः–

- दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 450 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।
- आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 13,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा।

मानदेय वृद्धि

278. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज़ कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँः–

- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 11,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
- मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 1000 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 8,300 रुपये मिलेंगे।
- आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 1000 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 6,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- आशा वर्कर को 1000 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 6,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा।
- मिड डे मील वर्कर्ज़ को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल रक्षक को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- लोक निर्माण विभाग के Multi Task Workers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पंचायत चौकीदार को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- राजस्व चौकीदार को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- राजस्व लम्बरदार का 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- IT Teachers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- Part Time Multi Task Workers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

279. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को विदित है, प्रदेश इस समय एक गम्भीर Financial

Situation से गुजर रहा है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी है, बल्कि पिछली सरकार के कमज़ोर Financial Management और गलत प्राथमिकताओं का परिणाम है। इसके साथ ही, Revenue Deficit Grant (RDG) के बन्द होने से राज्य पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ है।

280. ऐसी परिस्थितियों में, इस चुनौती से बाहर निकलने के लिए हम सभी को मिलकर योगदान देना होगा। इसी भावना के साथ, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30 प्रतिशत तथा माननीय विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से Defer किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी Chairman, Vice-Chairman, Deputy Chairman and all Advisors (Political Appointees) के वेतन का 20 प्रतिशत भी इसी अवधि के लिए अस्थायी रूप से Defer किया जाएगा।

281. वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस एवं वन अधिकारियों के स्तर पर भी समान रूप से योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अंतर्गत, Chief Secretary, Additional Chief Secretaries एवं सभी Principal Secretaries के वेतन का 30 प्रतिशत, तथा Secretaries एवं सभी Heads of Departments (HoDs) का 20 प्रतिशत अस्थायी रूप से Defer किया जाएगा। इसी प्रकार, DGP एवं ADGPs का 30 प्रतिशत तथा IGPs, DIGs, SSPs एवं SPs स्तर तक के पुलिस अधिकारियों का 20 प्रतिशत, और HOFF, सभी PCCFs एवं Additional PCCFs का 30 प्रतिशत तथा CCFs, CFs एवं DFOs स्तर तक के अन्य वन अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन अस्थायी रूप से Defer किया जाएगा।

282. इसके साथ ही, Group-A एवं Group-B के अधिकारियों के वेतन का 3 प्रतिशत हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से Defer किया जाएगा,

जबकि Group-C एवं Group-D कर्मचारियों को पूर्णतः इससे बाहर रखा जाएगा और उन्हें पूरा वेतन मिलता रहेगा।

283. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि Boards, Corporations, PSUs, Autonomous Bodies, Universities तथा अन्य प्रमुख Societies, जो राज्य सरकार से Grant-in-Aid या किसी भी प्रकार का Budgetary Support प्राप्त करते हैं, वे भी इस निर्णय को सरकार के अनुरूप (In line with Government) अपनाएं।

284. माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका की संवैधानिक गरिमा और Independence का पूरा सम्मान करते हुए, राज्य सरकार यह आशा करती है कि वर्तमान Financial Situation को ध्यान में रखते हुए District Judges एवं Additional District Judges के स्तर पर 20 प्रतिशत तथा Judicial Establishment के Group-A एवं Group-B अधिकारियों के स्तर पर 3 प्रतिशत वेतन के Temporary Deferment पर, माननीय उच्च न्यायालय अपने Guidance एवं Concurrence से, सरकार के अनुरूप विचार करेगा। साथ ही, प्रदेश के प्रति एकजुटता और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करते हुए, यह अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय अपने विवेक से Senior Levels पर Voluntarily 30 प्रतिशत तक Deferment पर भी विचार कर सकता है।

285. मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह केवल Temporary Deferment है, और जैसे ही राज्य की Financial Condition बेहतर होगी, यह राशि वापस दे दी जाएगी।

286. यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहे, सभी को समय पर वेतन और पेंशन मिलते रहें, और जनता के लिए जरूरी Services और Development Works बिना किसी रुकावट के चलते रहें।

287. मुझे विश्वास है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी जनप्रतिनिधि, न्यायपालिका, अधिकारी एवं कर्मचारी राज्यहित में पूरा सहयोग देंगे।

बजट अनुमान

288. अध्यक्ष महोदय, अब, मैं 2025–26 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 44 हज़ार 537 करोड़ रुपये हैं। 2025–26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 54 हज़ार 349 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2025–26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 9 हज़ार 812 करोड़ रुपये का राजस्व Deficit अनुमानित हैं।

289. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2026–27 के लिए 54 हज़ार 928 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

290. वर्ष 2026–27 में राजस्व प्राप्तियाँ 40 हज़ार 361 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46 हज़ार 938 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6 हज़ार 577 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9 हज़ार 698 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत् है।

291. 2026–27 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से, वेतन पर 27 रुपये, पैंशन पर 21 रुपये, ब्याज अदायगी पर 13 रुपये, ऋण अदायगी पर 9 रूपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10 रुपये, जबकि शेष 20 रुपये पूँजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

292. माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल की आत्मा हमारे गाँवो में बसती है। जब हमारे गांव समृद्ध होंगे तभी हिमाचल सशक्त होगा। हमारे किसानों, बागवानों, पशुपालकों, युवाओं और माताओं बहनों की मुस्कान इस बजट का असली पैमाना है। इस बजट में केवल आंकड़े नहीं हैं प्रदेश की मेहनतकश़ जनता की आवाज़ है, इसमें उनका हौसला है और उनके सपनों की उड़ान है।

रोक सकता है भला कौन मेरी परवाज़ को।
मैं वो परिंदा हूँ जिसे उड़ने की आदत हो गई।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल वासी वो परिंदे हैं जो पखों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हम तमाम आर्थिक बाधाओं के बावजूद हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनायेंगे।

293. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिन्दु **अनुबन्ध** में दर्शाए गए हैं।

294. अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द – जय हिमाचल

बजट सांराश

बजट के मुख्य बिन्दु

- ❖ 54 हज़ार 928 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित।
- ❖ 2025–26 के दौरानः–
  - ➢ प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत्।
  - ➢ प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 83 हज़ार 626 रुपये अनुमानित।
  - ➢ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 54 हज़ार करोड़ रुपये अनुमानित।

1. **ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आजीविका सुदृढ़ीकरण**
2. **सतत् कृषि, बागवानी एवं वन**
3. **समावेशी सामाजिक कल्याण एवं महिला–बाल विकास**
4. **शिक्षा सुधार एवं लर्निंग संवर्धन**
5. **हरित हिमाचल– स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु प्रतिबद्धता**
6. **स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण**
7. **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विकास प्रोत्साहन**
8. **नशामुक्त हिमाचल, युवा सशक्तिकरण एवं खेल विकास**
9. **स्वच्छ जल मिशन– स्वस्थ हिमाचल**
10. **अवसंरचना प्रोत्साहन– सड़कें एवं परिवहन**
11. **ग्रामीण, पंचायती राज एवं शहरी विकास**
12. **आईटी एवं नवाचार पहल**
13. **कुशल गवर्नेंस– राजस्व एवं आपदा प्रबंधन**

14. उद्योग, आवास एवं आबकारी तथा कराधान

15. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

16. हरित पर्यावरण एवं जलवायु–सुरक्षित भविष्य

17. कर्मचारी कल्याण

18. मानदेय

19. वित्तीय अनुशासन

20. अन्य

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आजीविका सुदृढ़ीकरण

- ✓ डेयरी सहकारी समितियों की संख्या इस वर्ष के अन्त तक दोगुनी कर 2 हज़ार तक पहुँचाने का लक्ष्य
- ✓ निजी क्षेत्र में लगने वाले Bulk Milk Cooler की स्थापना तथा दूध एकत्रित करने के लिए खरीदे जाने वाले 10 वाहनों के लिए 65 प्रतिशत की Subsidy
- ✓ A2 Milk की Testing व Branding करके इसे Himachal Pradesh Milk Federation के माध्यम से 100 रूपये प्रति लीटर खरीदने की व्यवस्था।
- ✓ दुग्ध के Procurement से जुड़ी प्रदेश की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के किसानों को DBT के माध्यम से दिए जाने वाले Milk Incentive को अगले वित्तीय वर्ष से 3 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रूपये प्रति लीटर किया जाएगा।
- ✓ गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा और अन्य सम्बन्धित समुदायों के 40 हज़ार से अधिक परिवारों के लिए एक सशक्त बनाने हेतु 300 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ PEHEL (Pastoralists Empowerment in Himalayan Ecosystems for Livelihood) योजना प्रारम्भ की जाएगी।

- ✓ पशु संख्या या चराई क्षेत्र की पाबन्दियों में उचित छूट देने पर विचार

- ✓ ऊन की कटाई, सफाई, Testing, Grading और Packing की वैज्ञानिक व्यवस्था व ऊन के खरीद मूल्य को Market Stabilization Scheme के तहत 100 रुपये प्रति किलोग्राम के Support Price की घोषणा।

- ✓ मुर्गी पालन के क्षेत्र में आगामी पांच वर्षों में 62 करोड़ रुपये की लागत से स्वरोजगार की उड़ान–Comprehensive Himachal Integrated Commercial Poultry Scheme(CHIC) को लागू करने का प्रस्ताव

- ✓ गौ–संरक्षण और बेसहारा पशुओं के पुनर्वास को प्राथमिकता।

- ✓ मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा मछुआरों के कल्याण के लिए **"मुख्य मन्त्री मछुआरा सहायता योजना"** शुरू करने की घोषणा।

- ✓ जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों पर रॉयल्टी की दर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर **"एक प्रतिशत"** करने की घोषणा।

2. सतत् कृषि, बागवानी एवं वन

- ✓ गेहूँ का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा। मक्का का MSP 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। पांगी घाटी की जौ का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा। हल्दी का MSP 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा। राज्य में पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का MSP प्रावधान किया जा रहा है।

- ✓ सरकार बीज सम्प्रभुता सुनिश्चित करने हेतु "बीज गाँव" स्थापित करेगी, जहाँ 50–100 किसान पारंपरिक बीज उत्पादन करेंगे। उत्पादकों को प्रति बीघा 5,000 रुपये सब्सिडी और प्रत्येक गाँव को 2 लाख रुपये का एकमुश्त Infrastructure अनुदान मिलेगी।

- ✓ सरकार प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग अधिनियम के माध्यम से **"हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग"** का गठन करेगी।

- ➢ कृषि विज्ञान केन्द्र हमीरपुर स्थित बड़ा में किसानों के प्रशिक्षण केंद्र व Hydroponic के लिए Centre of Excellence स्थापित किया जाएगा।

- ➢ 400 डेयरी फार्मिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, 600 लाभार्थियों को सेवा क्षेत्र में सहयोग दिया जाएगा तथा 10 करोड़ रूपये की सहायता फार्म मशीनरी पर 50:50 के अनुपात में Cost Sharing के आधार पर दी जाएगी।

- ✓ वर्ष 2026–27 के लिए मुख्यमंत्री खेत बाड़बन्दी योजना में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

- ✓ HPSHIVA परियोजना लगभग एक हज़ार 292 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, सोलन, सिरमौर और ऊना के 52 विकास खण्डों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

  - गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला कांगड़ा के शाहपुर और जिला सिरमौर के बागथन में दो आधुनिक फाउंडेशन ब्लॉक की स्थापना का प्रस्ताव।

  - मण्डी जिले के हराबाग और समराहण में दो टेक्नोलॉजी सेंटर–Farmer Advisory & Capacity Development Centre (FACDC)

और Farmer Enterprise Incubation Centre (FEIC) की स्थापना का प्रस्ताव।

- लगभग 5 करोड़ की अनुमानित लागत से नगरोटा बगवां (कांगड़ा), दधोल (बिलासपुर) और नादौन (हमीरपुर) में तीन Post-Harvesting Management Facilities स्थापित की जाएंगी।

✓ **"मिशन 32 प्रतिशत"** के अर्न्तगत Forest Cover वर्ष 2030 तक 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य।

✓ 8 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य।

✓ राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अन्तर्गत लगभग 4 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में एक हज़ार 100 सामुदायिक समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, वृक्षारोपण का लक्ष्य।

✓ वर्ष 2026-27 में 50 नए स्थल ईको-टूरिज्म के लिए विकसित किए जाएंगे। लगभग 50 प्रमुख वन विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑन लाइन किया जाएगा।

✓ बनखण्डी, कांगड़ा में बन रहे Zoological Park के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 220 करोड़ का प्रावधान।

✓ Forest Ecosystems and Climate Proofing Project के अन्तर्गत लगभग 320 करोड़ रूपये के परिव्यय से इस परियोजना का दूसरा चरण का प्रारम्भ।

✓ Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihood Project के लिए 100 करोड़ रूपये तथा Integrated Development Project (IDP) के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 50 करोड़ रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

3. समावेशी सामाजिक कल्याण एवं महिला–बाल विकास

- ✓ दिव्यांगजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रति माह सतरह सौ रूपये से बढ़ाकर तीन हज़ार रूपये प्रति माह करने की घोषणा।

- ✓ मानसिक बीमारी से ठीक हो चुके और परिवार द्वारा स्वीकार न किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दो नए हाफ वे होम स्थापित करने की घोषणा।

- ✓ सुन्दरनगर स्थित विशेष योग्यताओं वाले बच्चों हेतु संस्थान की क्षमता को 150 से बढ़ाकर 200 सीटें करने का प्रस्ताव है।

- ✓ **मुख्यमन्त्री महिला सशक्तिकरण योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की पात्र महिलाएं को तीन लाख रूपये तक का Subsidized ऋण स्वरोजगार इकाईयां स्थापित करने हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा।

- ✓ 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' तथा 'मुख्यमंत्री शगुन योजना' का एकीकरण कर एक नई योजना 'शुभ विवाह योजना' प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत BPL परिवार तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत आने वाली 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र बालिकाओं/महिलाओं के विवाह के समय सरकार द्वारा 51 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- ✓ सरकार द्वारा **सशक्त महिला योजना** एवं **वो दिन योजना** को प्रभावी बनाने व इनमें एकरूपता लाने तथा सार्वजनिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, इन दोनों योजनाओं को **"सशक्त नारी, स्वस्थ परिवार – एकीकृत** (IEC) **मिशन''** के अन्तर्गत एकीकृत किया जाएगा।

- ✓ यौन शोषण से पीड़ित बालिकाओं व महिलाओं का मान–सम्मान, आत्मविश्वास तथा उनका आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास हेतु एक नई योजना आरम्भ करने की घोषणा।

- ✓ कोटला बरोग, सिरमौर में बन रहे Model De-Addiction Center के पास ही दो करोड़ रूपये की लागत से एक Observation Home व Special Home स्थापित किया जाएगा।

- ✓ बाल आश्रम घुमारवीं, सुजानपुर, कल्पा, साहो, गरली, कुल्लू, सुन्दरनगर, टूटीकण्डी तथा कोटला बड़ोग में भवन निर्माण व मुरम्मत हेतु दो करोड़ रूपये प्रति संस्थान देने हेतु 18 करोड़ रूपये की राशि का आवंटित करने की घोषणा।

- ✓ "इन्दिरा गांधी सुख शिक्षा योजना" में विस्तार करते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 से इस योजना की पात्र लाभार्थियों के बच्चे, जो प्रदेश के बाहर भी IIT, NIT, IIM, AIIMS तथा NLUs जैसे प्रतिष्ठित सरकारी व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश पाएंगे, उनकी पाठ्यक्रम फीस, छात्रावास शुल्क तथा मैस शुल्क आदि पर आने वाला समस्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

4. शिक्षा सुधार एवं लर्निंग संवर्धन

- ✓ प्रदेश सरकार ने न सिर्फ स्कूलों का Rationalization किया है बल्कि उनमें Quality Education की ओर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के 100 स्कूलों को Central Board of School Education (CBSE) से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया था। अभिभावकों के उत्साह को देखते हुए यह संख्या 150 तक पहुँच गई है। इन विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी जा रही है।

- ✓ साथ ही हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 300 Senior Secondary Schools में भी समकक्ष सुविधाएँ दी जाएँगी। अगले वर्ष 150 और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को CBSE से सम्बद्ध किया जाएगा और 150 हिमाचल बोर्ड से जुड़े

विद्यालयों को समकक्ष रूप से स्तरोन्नत किया जाएगा। इन सभी विद्यालयों के लिए एक Dedicated Cadre का भी सृजन किया जाएगा।

- ✓ मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में दो दिन अतिरिक्त पोषण की व्यवस्था जारी रखने हेतु 17 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान।

- ✓ राजीव गांधी डे–बोर्डिंग स्कूलों के नए भवनों के निर्माण और वर्तमान में क्रियाशील विद्यालयों को Upgrade करने का काम चल रहा है। 49 ऐसे स्कूलों को लगभग 99 करोड़ रुपये आवंटन करने की घोषणा ।

- ✓ नादौन (हमीरपुर), सुन्दरनगर (मण्डी), पपरोला (कांगड़ा), सरकाघाट (मण्डी), संधोल (मण्डी), मतियाणा (शिमला), रोहडू (शिमला), जुब्बल (शिमला), माजरा (सिरमौर) और मोरसिंघी(बिलासपुर) में Sports Hostels के स्तर में व्यापक सुधार और इनमें प्रशिक्षित कोच तथा अन्य स्टाफ नियुक्त किए जाएँगे।

- ✓ प्रदेश के सभी Senior Secondary Schools Senior Secondary Schools में चौकीदार और Multi Task Workers के पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।

- ✓ वर्ष 2026–27 से प्रदेश के Under Graduate Courses को पूरे देश से Align करने के लिये निम्नलिखित व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगाः–

- सभी UG कोर्स Semester System के माध्यम से चलाए जाएंगे।
- Flexible UG Degree Programme की शुरुआत और विद्यार्थियों को Multiple Entry और Multiple Exit का विकल्प दिया जाएगा।
- चुने हुए Degree Colleges में 4 वर्षीय Bachelor Degree with Honours और Research शुरू की जाएगी।

- Academic Bank of Credits (ABC) को शुरू किया जाएगा।
- Multi-Disciplinary Approach को बढ़ावा दिया जाएगा।
- चुने हुए Colleges में Apprenticeship Embedded Degree Programme शुरू किए जाएंगें।
- प्रदेश के Tier-I Colleges में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी।

✓ हमीरपुर में प्रदेश का पहला Science College और हरिपुर गुलेर (काँगड़ा) में प्रदेश का दूसरा Fine Arts College स्थापित करने की घोषणा।

✓ प्रदेश के निम्न महाविद्यालयों को पहले चरण में Sports की दृष्टि से विकसित किया जाएगाः– GDC Ghumarwin, GDC Chamba, GDC Chowari, GDC Hamirpur, GDC Nadaun, GDC Dharamshala, GDC Palampur, GDC Dhaliara, GDC Kinnaur, GDC Kullu, GDC Mandi, GDC Sarkaghat, GDC Jogindernagar, GDC Saraswati Nagar, GDC Seema, GDC Rampur, GDC Reckong Peo, GDC Paonta Sahib, GDC Nahan, GDC Nalagarh, GDC Una और GDC Haroli

✓ प्रदेश के Colleges में चल रहे Bachelor of Vocation Courses का विस्तार करके इन्हें 50 महाविद्यालयों में Self Financing Mode में शुरू किया जाएगा।

✓ प्रदेश में Academia Industry Connect को बेहतर करने के लिये CSR Initiatives और PPP Mode में Industry Oriented Courses शुरू किए जाने की पहल की जाएगी।

✓ Colleges में Online Learning, Blended Learning और Digital Learning को बढ़ावा देने के लिए Dedicated Lease Line की व्यवस्था की जाएगी।

- ✓ प्रदेश में कुछ Degree Colleges ऐसे हो गये हैं जिनमें बच्चों की संख्या सौ से भी कम रह गई है, पहले चरण में हम ऐसे Colleges के बच्चों को जिनमें 75 से कम विद्यार्थी हैं, यदि वे District Head Quarter के Colleges में Admission लेते हैं तो उन्हें प्रति मास पांच हज़ार रूपये की राशि Stipend के तौर पर दी जायेगी।

- ✓ प्रदेश के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 389 पदों की भर्ती जल्द ही सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

- ✓ तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार को जोड़ने हेतु Training and Placement Portal बनाया जाएगा।

- ✓ जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र में Self-Financing Mode के अन्तर्गत एक Skill Academy स्थापित की जाएगी।

- ✓ 11 Government Polytechnics और एक Engineering College में New Age एवं Future-Oriented Courses शुरू किए जाएंगे।

5. हरित हिमाचल– स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु प्रतिबद्धता

- ✓ Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के तहत वर्ष में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये 450 करोड़ रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान है।

- ✓ ऊर्जा क्षेत्र में Global Standard हासिल करने के लिये Uniform Environment Social Policy Procedure लागू व Integrated Resource Planning System शुरू किया जायेगा।

- ✓ 6 Battery Energy Storage System (BESS) युक्त सौर परियोजनाओं– सनेहड़ (11MW), दभोटा (9MW), टिहरा खास (6MW), माजरा (8MW), घन्द्रान (10MW) और सुकोहन (5MW) को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

- ✓ सिरमौर के पांवटा साहिब में 200 MVA क्षमता के 220/132 KV के GIS Substation का निर्माण लगभग 124 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। यह काम वर्ष 2026–27 में शुरु कर दिया जायेगा।
- ✓ काँगड़ा जिला के धर्मशाला और बैजनाथ में 63 MVA के दो GIS उपकेन्द्रों का निर्माण लगभग 221 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।
- ✓ धारकुण्डा से माजरा तक की 29 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य भी आंरभ किया जायेगा। इस पर लगभग 41 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
- ✓ राजीव गांधी Start-up स्वरोजगार सौर योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने के लिये जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्रों में 4 प्रतिशत बजट अनुदान दिया जायेगा।
- ✓ ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 500 KW Ground Mounted की सोलर परियोजनाओं के क्रियाशील होने पर आय का 30 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत और इसका 20 प्रतिशत भाग पंचायत क्षेत्र के वन्चित वर्गों के कल्याण पर खर्च किया जायेगा।

6. स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

- ✓ प्रत्येक पर 25 करोड़ रूपये व्यय के साथ Government Medical College टाण्डा, हमीरपुर तथा AIMSS शिमला स्थित चमियाणा में एक–एक Track Based Integrated Total Laboratory Automation System वाली Advance Testing Lab स्थापित की जाएगी।
- ✓ IGMC शिमला, Government Medical College(GMC) टाण्डा, हमीरपुर तथा नेरचौक में 20 करोड़ रूपये की लागत से Bone Marrow Transplant & Apheresis Units स्थापित की जाएंगी।
- ✓ GMC हमीरपुर, तथा नेरचौक के लिए लगभग 46 करोड़ रूपये की लागत से PET Scan मशीनें खरीदी जाएगी।
- ✓ PET Scan की सुविधा को Government Medical College टाण्डा व IGMC Shimla में भी जल्द ही शुरू किया जाएगा।

- ✓ AIMSS शिमला स्थित चमियाणा में 20 करोड़ रूपये की लागत से एक Digital Subtraction Angiography मशीन खरीदी जाएगी।
- ✓ IGMC, शिमला में;
  - रोबोटिक सर्जरी हेतु आवश्यक एनेस्थीसिया उपकरणों की खरीद के लिए 5 करोड़ रूपये,
  - OBG विभाग की यूनिट स्थापना एवं रोबोटिक सर्जरी हेतु मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए 3 करोड़ 68 लाख रूपये,
  - मशीनरी व उपकरणों की खरीद हेतु 2 करोड़ 38 लाख रूपये,
  - शल्य चिकित्सा विभाग में 4K Laparoscopic Sets एवं Electro Surgical Station की खरीद हेतु 5 करोड़ रूपये निर्धारित किए है।
  - लिफ्ट स्थापना हेतु 2 करोड़ 38 लाख रूपये तथा लेक्चर थियेटर निर्माण हेतु 6 करोड़ रूपये, छात्राओं के छात्रावास हेतु Corrostophen Estate, लक्कड़ बाजार में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाएगा।
- ✓ Government Medical College नाहन में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद हेतु लगभग दो करोड़ रूपये की राशि जारी की जाएगी।
- ✓ Government Medical College चम्बा में कौशल प्रयोगशाला (Skill Lab) निर्माण हेतु एक करोड़ 33 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
- ✓ ZH कुल्लू, ZH ऊना, RH सोलन, Medical College चम्बा व नाहन और टाण्डा में Cath Labs स्थापित की जाएंगी।
- ✓ Government Medical College चम्बा के फेस–II को शुरू किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 194 करोड़ रूपये है।
- ✓ Government Medical College नाहन में कॉलेज के निर्माण हेतु 500 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।
- ✓ Government Medical College चम्बा, हमीरपुर तथा नाहन में प्रत्येक संस्थान में 40 बिस्तरों वाली Intensive Care Units(ICUs) स्थापित की जाएगी।

- ✓ Government Medical College टाण्डा में लेक्चर थियेटर निर्माण हेतु 14 करोड़ 86 लाख रूपये व कॉलेज के भवन के रखरखाव हेतू 2 करोड़ 27 लाख रूपये का प्रावधान किया जाएगा।
- ✓ Government Medical College हमीरपुर के Super Speciality Block के निर्माण हेतु 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाएगा।
- ✓ हमीरपुर में 200 करोड़ रूपये की लागत से एक नए डेंटल कॉलेज की स्थापना का भी प्रस्ताव इस चरण में शामिल है। इसके अतिरिक्त Government Medical College, हमीरपुर में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 6 करोड़ रूपये तथा डॉक्टरों के आवास हेतु 7 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया जाएगा।
- ✓ AIMSS Chamiyana में क्रिटिकल केयर और एडिशनल ब्लॉक के Attic फ्लोर पर 10 करोड़ रूपये की लागत से हॉस्टल निर्माण किया जाएगा।
- ✓ Government Medical College टाण्डा के नर्सिंग स्कूल हेतु 2 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया जाएगा।
- ✓ Government Medical College मण्डी स्थित नेरचौक में छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण हेतु 8 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि जारी की जाएगी।
- ✓ 18 डे–केयर कैंसर सेंटर्स (DCCCs) और चार टर्शियरी केयर सेंटर्स IGMC शिमला, Government Medical College टाण्डा, AIIMS बिलासपुर और Government Medical College मण्डी–के बीच Tele-Oncology सेवाएं स्थापित की जानी प्रस्तावित है।
- ✓ प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए Human Papillomavirus (HPV) टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव।
- ✓ समाज में बढ़ रही नशे की लत को दूर करने के लिए नीति आयोग की मदद से State Action Plan बनाया जाएगा।
- ✓ चिकित्सा अधिकारी के 23 पद सृजित किए गए हैं तथा 232 पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु प्रक्रिया जारी है।
- ✓ 150 सहायक स्टाफ नर्स, 30 रेडियोग्राफर, 40 फार्मेसी ऑफिसर, 500 रोगी मित्र एवं 99 OTAs सहित अन्य पैरामेडिकल पद भी भरे जाएंगे।

- ✓ सहायक स्टाफ नर्सों के 900 पदों, पैरा मैडिकल स्टाफ के 124 पदों तथा जेओए आईटी के 50 पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरने हेतु प्रक्रिया जारी है।
- ✓ मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में विभिन्न संकायों के प्रवक्ताओं के 64 नए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
- ✓ स्टेट केंसर संस्थान, हमीरपुर क्रियान्वयन हेतु विभिन्न श्रेणियों के 469 पदों को (111 पद फैकल्टी, 180 पद नर्सिंग, 55 पद पैरा मेडिकल स्टाफ तथा 123 अन्य सहायक श्रेणियों के) सृजित किया गया है, जिन्हें आगामी वर्ष में भरा जाएगा।
- ✓ आगामी वर्ष में कुपोषण, एनीमिया तथा Micronutrient की कमी को दूर करने के उद्देश्य से पोषण अभियान के अनुरूप एक व्यापक State Nutrition Policy लाने की घोषणा।
- ✓ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सात वर्ष पूर्ण कर चुके विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को एक अप्रैल, 2026 से एकमुश्त औसतन 14 हज़ार रुपये की वृद्धि प्रदान की जाएगी।
- ✓ जो शेष कर्मचारी सात वर्ष का लाभ इस वित्तीय वर्ष से प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2026 से मूल वेतन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि दी जाएगी।
- ✓ चिकित्सा अधिकारी जो अभी तक नियमित नहीं हुए हैं, उनका मासिक वेतन 33 हज़ार 660 रुपये से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपये किया जाएगा।
- ✓ प्रमाण–आधारित (Evidence Based) आयुर्वेद को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित आयुर्वेद अनुसंधान विंग स्थापित किया जाएगा।
- ✓ उच्च हिमालयी क्षेत्रों की औषधीय संपदा के उपयोग हेतु लाहौल–स्पीति और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में हर्बल गार्डन स्थापित करने की संभावनाएँ तलाशी जाएंगी।
- ✓ वर्तमान में चल रही तीन सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसियों को HIMOSHDHAM सोसाइटी के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि उनका आधुनिकीकरण हो सके। प्रारंभिक संचालन हेतु एक करोड़ रुपये की अनुदान प्रदान दिया जाएगा और प्रत्येक फार्मेसी में मल्टी–टास्क वर्कर नियुक्त किए जाएंगे।

7. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विकास प्रोत्साहन

- ✓ Public Private Mode में एक सुरक्षित Digital Visitor Registration and Tourism Intelligence System प्रारम्भ करने का प्रस्ताव।
- ✓ Sustainable and Inclusive Tourism Development Project in Himachal Pradesh के अंतर्गत राज्य में Skill Training and Support Consultant Centre की स्थापना करेगी।
- ✓ वर्ष 2026–27 में लगभग 345 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि निम्न विकासात्मक कार्यों पर व्यय की जाएगीः–
- कालेश्वर महादेव में सड़क किनारे सुविधाओं का निर्माण।
- शिमला में वेलनेस सेंटर का निर्माण।
- नगरोटा बगवां में अत्याधुनिक फव्वारे का निर्माण।
- माउंटेन बाइकिंग मार्गों का निर्माण और विकास, इत्यादि।
- ✓ गगल, कांगड़ा हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए तीन हजार 349 करोड़ रुपये की Rehabilitation and Resettlement Plan को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
- ✓ काँगड़ा एयरपोर्ट के समीप "Kangra Aerocity" नामक एक नए शहर के विकास की योजना।
- ✓ होमस्टे मालिक जो पर्यावरण–अनुकूल स्वच्छता, शून्य–अपशिष्ट प्रणाली, और स्थानीय परंपराओं को अपनाएँगे, उन्हें Sustainability प्रमाणपत्र मिलेगा।
- ✓ Tourism Investment Promotion Council विशेष रूप से 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए Single Window, Timebound Facilitation Platform के रूप में कार्य करेगी।
- ✓ ग्रामीण हिमाचल में स्लो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में चयनित पंचायतों और गाँवों को "स्लो टूरिज्म स्पॉट्स" घोषित कर वहाँ गाँव भ्रमण, पारम्परिक भोजन, हस्तशिल्प, लोककथाएँ और किसानों–कारीगरों से संवाद जैसे अनुभवों को पर्यटन उत्पादों में बदला जाएगा।

- ✓ प्रदेश में "HP Women's Tourism Fund" बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है।
- ✓ "She Travels" शीर्षक से महिला–केंद्रित एकल यात्रा प्रोटोकॉल प्रारम्भ किया जाएगा।
- ✓ पर्यटन को नए और अनुभवात्मक रूप (Experiential Tourism) में विकसित करने के लिए चयनित पर्यटन स्थलों पर "रात्रि पिकनिक" की एक अभिनव अवधारणा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव।
- ✓ होमस्टे ब्याज अनुदान योजना की सफलता के बाद अब नए बनने वाले मध्यम दर्जे के होटलों और उच्च–स्तरीय ढाबों (High-end Dhabas) के लिए ब्याज अनुदान योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव।
- ✓ हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जिला मुख्यालयों तथा जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। रक्कड़ एवं पालमपुर (कांगड़ा), जसकोट (हमीरपुर), सुल्तानपुर (चम्बा) और रोड़ा (ऊना) में हेलीपोर्ट इस वर्ष पूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ ही रिकांगपिओ (किन्नौर), रंगरिक व फूंक्यार (लाहौल–स्पीती), किलाड़ (पांगी) व भरमौर (चंबा), बसाल (सोलन) तथा धारक्यारी (नाहन–सिरमौर) में भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- ✓ १०० प्रतिशत VGF के अंतर्गत Fixed Wing हवाई सेवा के तौर पर दिल्ली–शिमला–दिल्ली तथा शिमला–धर्मशाला–शिमला मार्ग पर हफ्ते के सभी सात दिन उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, हेलीकॉप्टर सेवा चण्डीगढ़–संजौली–चण्डीगढ़ मार्ग पर हफ्ते में छह दिन, प्रतिदिन दो बार संचालित की जाएगी। इसके अलावा, चण्डीगढ़–संजौली, संजौली–मनाली, संजौली–रामपुर–रिकांगपिओ तथा मण्डी–चण्ड़ीगढ़ मार्गों पर भी नई हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रस्तावित हैं।
- ✓ RCS-UDAN के अंतर्गत चल रही सेवाओं के साथ–साथ Private, Commercial Operators को शामिल कर हेली ऑपरेशन्स का पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।

8. नशामुक्त हिमाचल, युवा सशक्तिकरण एवं खेल विकास

- ✓ वर्ष 2026–27 में 12 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय से एक Flagshsip Policy Initiative **"खेलो हिमाचल–चिट्टा मुक्त अभियान"** प्रारम्भ किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत, विशेषकर "**चिट्टा**" जैसी घातक प्रवृत्ति से दूर कर खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक जीवनशैली की ओर अग्रसर करना है।
- ✓ वित्त वर्ष 2026–27 में हमीरपुर ज़िले के नादौन (Kharidi) में Multipurpose Sports Complex at Kharidi, Nadaun को एक State-of-the-Art Centre of Excellence for Sports and Youth Development Centre के रूप में क्रियाशील किया जाएगा। यह अत्याधुनिक खेल परिसर प्रदेश के युवाओं एवं खिलाड़ियों के लिए समर्पित होगा तथा इसे August 2026 तक आम जनता एवं खिलाड़ियों के लिए समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ✓ सरकार Indoor Stadium at Kalpa, Ghumarwin व कटासनी का कार्य शीघ्र पूर्ण करेगी।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2026–27 में एक व्यापक नीति के अंतर्गत युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गैर–सट्टेबाजी (Non-Betting) आधारित ई–स्पोर्ट्स जो जो ओलंपिक के अंतर्गत भी आयोजित होते हैं एवं खेल आधारित डिजिटल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ✓ ओलम्पिक 2036 को ध्यान में रखते हुए 10 से 12 साल के बच्चों के Potential की पहचान व उनके प्रशिक्षण पर एक सघन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

9. स्वच्छ जल मिशन– स्वस्थ हिमाचल

- ✓ सरकार लगभग 2 हज़ार करोड़ रूपये की एक व्यापक परियोजना तैयार करेगी, जिसका लक्ष्य Water Quality में सुधार करना होगा व पुरानी स्कीमों का आधुनिकीकरण करना होगा। इसके लिए World Class Standards वाली Latest Technologies जैसे RO(Reverse Osmosis), Ozonation, Gaseous Chlorination इत्यादि को प्रयोग मे लाया जाएगा।

- ✓ राज्य में इस वित्त वर्ष में 15 योजनाओं में पेयजल शोधन हेतु RO/ Ozonation/Gaseous Clorination के प्रयोग के साथ–साथ जल भण्डारण हेतु Latest Technology के Non-Reactive Tanks का उपयोग किया जाएगा।
- ✓ प्रभावी क्लोरिनेशन के लिए, शुरू में एक हज़ार जल आपूर्ति योजनाओं में ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग को पूर्ण रूप से Chlorine Gas प्रणाली से बदल दिया जाएगा।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2026–27 में 500 सतही एवं भूजल आधारित योजनाओं में जल शोधन संयंत्रों के निर्माण का प्रयास किया जाएगा।
- ✓ प्रथम चरण में 55 सीवरेज़ ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) में Treated Wastewater को प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ने से पूर्व गैसीय क्लोरीनीकरण की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ लगभग 200 किलोमीटर पाइपों जिनकी उपयोगी आयु समाप्त हो चुकी है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।
- ✓ शिमला शहर की पेयजल परियोजना में सतलुज नदी पर बने जल शोधन संयंत्र में लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से Ozonization System of Disinfection लगाया जाएगा। इस वर्ष चिन्हित क्षेत्र में पायलट आधार पर RO System भी स्थापित होगा। साथ ही, लगभग 10 हजार घरों को इस वर्ष से 24X7 जल आपूर्ति दी जाएगी।

10. अवसंरचना प्रोत्साहन– सड़कें एवं परिवहन

- ✓ काँगड़ा से कुल्लू के बीच शिल्हा–बधानी–भुभु जोत–कुल्लू सड़क दो लेन और भुभु–जोत सुरंग के निर्माण का कार्य NHAI जल्द ही किया जाएगा। मुध–भावा सड़क के निर्माण का जल्द ही किया जाएगा।
- ✓ मुध–भावा सड़क जो दो भागों में विभाजित है, एक भाग स्पीति घाटी में और दूसरा भाग भावा टॉप से शुरू होकर किन्नौर में। स्पीति भाग के 62 किलोमीटर के भाग पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा, शेष सड़क के लिए विभिन्न औपचारिताएं पूर्ण कर कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

- ✓ PMGSY–IV के तहत, राज्य ने ग्राम सड़क क लिए एक हज़ार 460 Uncovered बस्तियों का सर्वे किया है और इसे पीएम गति शक्ति पोर्टल पर Integrate करके एक हज़ार 538 किलोमीटर सड़कों के लिए 294 विस्तृत परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 2 हज़ार 244 करोड़ 23 लाख रूपये है। PMGSY–IV के बैच–।। के अंतर्गत एक हज़ार 200 करोड़ रूपये की लागत से 800 किलोमीटर की सड़कों के लिए स्वीकृति प्राप्त करवाने का प्रस्ताव है।
- ✓ राज्य के निरंतर प्रयासों से, PMGSY–I के तहत निर्माणाधीन सड़कें जो अधूरी थीं जैसे डोडरा क्वार को पूरा करने के लिए 31–3–2027 तक का समय विस्तार भी प्राप्त हो गया है।
- ✓ मण्डी–गगल–चैलचोक–जंजैहली रोड का कार्य जल्दी शूरू होगा।
- ✓ छैला–नेरीपुर–यशवंतनगर–ओछघाट–लवास चौकी–प्रीत नगर सड़क (लगभग 204 करोड़ रूपये) की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।
- ✓ कल्लर से बागछाल सड़क (लगभग 166 करोड़ रूपये) और हमीरपुर–सुजानपुर–थुरल–मरण्डा सड़क (लगभग 186 करोड़ रूपये) के प्रस्ताव भी तैयार हैं। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत, राज्य ने ब्यास नदी पर बसंतीपट्टन से खेरी सड़क पर 116 करोड़ की अनुमानित लागत से एक पुल और डाडासिबा–बौंगटा सड़क पर ब्यास नदी पर 315 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पुल का प्रस्ताव भी तैयार कर भेजा गया है।
- ✓ वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 500 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों, एक हज़ार 255 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज कार्यों, 950 किलोमीटर मेटलिंग और टारिंग, 47 पुलों के निर्माण, और एक हज़ार 500 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का प्रस्ताव करती है।
- ✓ पर्यावरण को ध्यान रखते हुए, Tunneling पर Focus करते हुए चम्बा जोत टनल और जलोड़ी जोत टनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- ✓ लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग में Joint Cadre के माध्यम से 149 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों को भरा जाएगा।

11. ग्रामीण, पंचायती राज एवं शहरी विकास

- ✓ Survey के माध्यम से BPL की सूची को बदले बिना प्रदेश के गरीब परिवारों में से अति गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी Targeted तरीके से मदद की जाएगी।
- ✓ एक लाख अति गरीब परिवारों को सरकार 'अपने सुखी परिवार' बनाएगी तथा इन परिवारों के लिए "मुख्य मंत्री अपना सुखी परिवार योजना" की घोषणा।
- सरकार द्वारा अपनी गारंटी को Implement करते हुए इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह देने की घोषणा।
- जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता।
- इन एक लाख "मुख्य मंत्री अपना सुखी परिवारों" की बहनों को "इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना" का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1500 रुपए प्रतिमाह की सम्मान राशि देने की भी घोषणा।
- ✓ सरकार मानती है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को समाप्त कर VB-G RAM-G योजना लागू करना गलत है। यह रोजगार गारंटी की मूल भावना को कमजोर करता है और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है। अगले वर्ष हम 4 करोड़ Mandays सृजित करना चाहते हैं, जो आपदाओं और सीमित कृषि मौसम के कारण आवश्यक है। 60 दिवसीय विराम और लक्ष्य–आधारित प्रावधान से 300–600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा। हम भारत सरकार से विशेष परिस्थितियों पर विचार करने का आग्रह करेंगे।
- ✓ पंचायत सचिव के 150 पदों को भरे जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से पंचायत चौकीदार के खाली पद भी भरे जाएंगे।
- ✓ चम्बा, घुमारवीं, नादौन, धर्मशाला, पालमपुर, मनाली, मण्डी, सुन्दरनगर, शिमला, रामपुर, नाहन, बद्दी, ऊना और संतोखगढ़ में Municipal Shared Service Centers(MSSC) स्थापित करेगी। Municipal Call Centre तथा State Level Implementation Centre(SIC) हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा।

- ✓ नवगठित/उन्नयनित शहरी स्थानीय निकायों के विलय क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु नगर परिषद् ज्वाली को 25 लाख रुपये तथा नवगठित 02 नगर पंचायतों (संगड़ाह और बीड़) को 50–50 लाख रुपये का आवंटिन।
- ✓ "Central Business District" (CBD) परियोजना के अंतर्गत शिमला शहर में 400 करोड़ रूपये और हमीरपुर शहर में 200 करोड़ रूपये की लागत से वाणिज्यिक परिसरों का विकास किया जाएगा।
- ✓ प्रदेश के 08 शहरों (शिमला, धर्मशाला, नादौन, ज्वालामुखी, सुबाथू, देहरा, सुन्नी व रामपुर) के मुख्य स्थलों को Creative Redevelopment of Cities/Growth Hubs में रूपांतरण के लिए की 600 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना प्रगति पर है।

12. आईटी एवं नवाचार पहल

- ✓ सोलन स्थित वाकनाघाट में Centre of Excellence– IT स्थापित किया जाएगा। एक Artificial Intelligence एवं Machine Learning Lab तथा Incubation Facility स्थापित की जाएगी। सफल Startups तथा IT/ITES कंपनियों को किराए के आधार पर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
- शिमला में एक Centre of Excellence in Artificial Intelligence स्थापित किया जाएगा।
- जिला सोलन के वाकनाघाट में एक अत्याधुनिक Cyber City स्थापित की जाएगी।
- Green Energy आधारित Data Centres को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ऐसे संस्थानों को 3 रूपये प्रति यूनिट की दर से Green Energy उपलब्ध कराई जाएगी।
- ✓ प्रदेश में e-Governance को और सुदृढ़ बनाने के लिएः–
- Mukhyamantri Seva Sankalp Helpline System एवं State Document Management Portal में Artificial Intelligence का प्रयोग किया जाएगा।
- ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय भाषा में Voice Command से सेवाएँ देने AI आधारित Citizen Services Assistant विकसित होगा।

13. कुशल गवर्नेंस– राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

- ✓ लम्बित राजस्व मामलों को कम करने हेतु सरकार ने अक्टूबर 2023 से तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें शुरू कीं, जिनसे लाखों मामलों का निपटारा हुआ और विशेष लोक अदालतों से लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आई।
- ✓ आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण पर 2 करोड़ 12 लाख खर्च किए जाएंगे।
- ✓ Online Mutation Module अंतिम चरण में है, जिससे आवेदन, सत्यापन और अनुमोदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे।
- ✓ सरकार लाइव जमाबंदी की ओर बढ़ रही है, जिससे म्यूटेशन के बाद स्वामित्व विवरण तुरंत अपडेट होंगे और नागरिकों को वास्तविक समय में प्रमाणिक अभिलेख मिलेंगे।
- ✓ Sub-Registrar Offices को आधुनिक सेवा केंद्रों में बदला जाएगा;National Generic Document Registration System लागू किया है और अब पायलट परियोजना सोलन में शुरू होगी।
- ✓ राजस्व विभाग में 645 पटवारी पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे, जिसके लिए विज्ञापन जारी हो चुका है।
- ✓ महिलाओं को संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में रियायत दी गई है; 80 लाख से 1 करोड़ रूपये तक की ख़रीद पर दर 4 प्रतिशत रहेगी।
- भविष्य में आपदा जोखिम कम करने हेतु 400 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिसमें Flood Zonation Mapping, जोखिम वित्तपोषण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।

14. उद्योग, आवास एवं आबकारी तथा कराधान

- ✓ कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन को मजबूत करने हेतु आगामी औद्योगिक नीति के अंतर्गत "One District Three Products" Programme शुरू होगा।

- ✓ हिमाचल में रेशम पालन की चुनौतियों को दूर करने हेतु 2 करोड़ रूपये के बजटीय प्रावधान के साथ HIM Silk Mission शुरू किया जाएगा।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 हजार युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक प्रशिक्षु को दो हज़ार रूपये का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा।
- ✓ तिमाही आधार पर एक सप्ताह का जीएसटी करदाता स्वैच्छिक अनुपालन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से कर विवादों को कम करना और पारदर्शी जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
- ✓ हिमाचल को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के कारण देश-विदेश के नागरिकों की पहली पसंद बनाने हेतु सरकार शिवालिक पहाड़ियों में दो योजनाबद्ध आधुनिक टाउनशिप बनाने का निर्णय ले रही है।
- ✓ सोलन जिले के शीटलपुर क्षेत्र में "हिम चण्ड़ीगढ़" और सिरमौर जिले में "हिम पंचकूला टाउनशिप" स्थापित किए जाएंगे। धौलाधार क्षेत्र में "कांगड़ा वैली टाउनशिप" बनाई जाएगी, प्रत्येक शहर दस हजार बीघा भूमि पर विकसित होगा।
- ✓ एशियाई खेलों के पदक विजेताओं और वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानस्वरूप रियायती दरों पर आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे, जिसके लिए सरकार शीघ्र नीति अधिसूचित करेगी।

15. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

- ✓ वर्ष 2026-27 में सरकार नीति लाते हुए Piped Natural Gas नेटवर्क को मजबूत करेगी और सीएनजी स्टेशन स्थापित करेगी।
- ✓ राज्य के 5,300 उचित मूल्य दुकानों/डिपो को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने हेतु अन्य गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बेचने का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा।
- ✓ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु इस वर्ष Weight and Measures के लिए Online Verification System लागू की जाएगी।

16. हरित पर्यावरण एवं जलवायु–सुरक्षित भविष्य

- ✓ " Green Livelihood Initiative " शुरू होगा, जिसके तहत औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन और हर वर्ष किसानों को Elite Germplasm के 12 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।
- ✓ पाइन नीडल्स और अन्य Biomass से Biochar उत्पादन हेतु समझौता किया गया है, जिससे जंगल की आग कम होगी और स्थानीय समुदायों को रोजगार मिलेगा।
- ✓ निजी कृषि भूमि पर वनीकरण और पुनर्स्थापन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- ✓ HiBiSCUS योजना शुरू होगी, जिसके तहत औषधीय पौधों का संरक्षण, सतत् दोहन, नर्सरी विकास और पारंपरिक ज्ञान का Documentation किया जाएगा।
- ✓ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुटाए गए संसाधनों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाएगा।
- ✓ शोघी में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से से 3 करोड़ 31 लाख रूपये की निधि दी जाएगी।
- ✓ राज्य की पारंपरिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु नौ उत्पादों को जीआई पंजीकरण की स्वीकृति मिली है।
- ✓ चार और उत्पादों को GI Framework में शामिल करने की पहल होगी, जिससे किसानों और कारीगरों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा।
- ✓ आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु संस्थागत व तकनीकी क्षमता मजबूत की जाएगी, जिसमें बेहतर नीतियाँ, चेतावनी प्रणाली और विभागीय समन्वय शामिल होगा। इसके लिए 22 करोड़ 25 लाख रुपये सभी 12 जिलों में खर्च होंगे।

17. कर्मचारी कल्याण

- ✓ पिछली सरकारों द्वारा वेतन और पेंशन बकाया का भुगतान न होने से लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की देनदारी बन गई है। वर्तमान सरकार सभी बकाया का समयबद्ध भुगतान करने का संकल्प लेती है।

- ✓ वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026–27 में किया जायेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनाँक 01.01.2016 से 31.12.2021 के दौरान सेवानिवृत हुए हैं उनके बकाया ग्रेच्युटी व Leave Encashment एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026–27 में किया जायेगा। उपरोक्त एरियर के भुगतान पर लगभग 300 करोड़ रूपये खर्च किए जाएगें।
- ✓ आगामी वित्तीय वर्ष से Study Leave पर जाने वाले सभी कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले Study Leave लिया है, उन्हें भी शेष वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- ✓ अनुबंध आधार तथा दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जो वर्तमान में वर्ष में केवल एक ही बार नियमित किए जाते हैं को अब पूर्व की भान्ति 31 मार्च, 2026 तथा 30 सितम्बर, 2026 को निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने पर नियमितीकरण किया जाएगा।
- ✓ दैनिक वेतनभोगियों का वेतन 25 रुपये बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 13,750 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।

18. मानदेय

- ✓ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 11,500 रुपये मासिक मानदेय।
- ✓ मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 1000 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 8,300 रुपये मिलेंगे।
- ✓ आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 1000 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 6,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
- ✓ आशा वर्कर को 1000 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 6,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
- ✓ सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1000 रूपये बढ़ाया जाएगा।

- ✓ मिड डे मील वर्कर्ज़ को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ जल रक्षक को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ लोक निर्माण विभाग के Multi Task Workers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी ।
- ✓ पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ पंचायत चौकीदार को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ राजस्व चौकीदार को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ राजस्व लम्बरदार का 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी।
- ✓ IT Teachers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी।
- ✓ SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी।
- ✓ Part Time Multi Task Workers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी।

19. वित्तीय अनुशासन

- ✓ मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत, उप–मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30 प्रतिशत तथा माननीय विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से Defer ।
- ✓ सभी Chairman, Vice-Chairman, Deputy Chairman and all Advisors (Political Appointees) के वेतन का 20 प्रतिशत भी इसी अवधि के लिए अस्थायी रूप से Defer।

- ✓ Chief Secretary, Additional Chief Secretaries एवं सभी Principal Secretaries के वेतन का 30 प्रतिशत।
- ✓ Secretaries एवं सभी Heads of Departments (HoDs) का 20 प्रतिशत अस्थायी रूप से Defer।
- ✓ DGP एवं ADGPs का 30 प्रतिशत तथा IGPs, DIGs, SSPs एवं SPs स्तर तक के पुलिस अधिकारियों का 20 प्रतिशत, और HOFF, सभी PCCFs एवं Additional PCCFs का 30 प्रतिशत तथा CCFs, CFs एवं DFOs स्तर तक के अन्य वन अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन अस्थायी रूप से Defer।
- ✓ इसके साथ ही, Group-A एवं Group-B के अधिकारियों के वेतन का 3 प्रतिशत हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से Defer किया जाएगा, जबकि Group-C एवं Group-D कर्मचारियों को पूर्णतः इससे बाहर रखा जाएगा और उन्हें पूरा वेतन मिलता रहेगा।
- ✓ Boards, Corporations, PSUs, Autonomous Bodies, Universities तथा अन्य प्रमुख Societies, जो राज्य सरकार से Grant-in-Aid या किसी भी प्रकार का Budgetary Support प्राप्त करते हैं, वे भी इस निर्णय को सरकार के अनुरूप (In line with Government) अपनाएं।
- ✓ न्यायपालिका की संवैधानिक गरिमा और Independence का पूरा सम्मान करते हुए, राज्य सरकार यह आशा करती है कि वर्तमान Financial Situation को ध्यान में रखते हुए District Judges एवं Additional District Judges के स्तर पर 20 प्रतिशत तथा Judicial Establishment के Group-A एवं Group-B अधिकारियों के स्तर पर 3 प्रतिशत वेतन के Temporary Deferment पर, माननीय उच्च न्यायालय अपने Guidance एवं Concurrence से, सरकार के अनुरूप विचार करेगा। माननीय उच्च न्यायालय अपने विवेक से Senior Levels पर Voluntarily 30 प्रतिशत तक Deferment पर भी विचार कर सकता है।
- ✓ यह केवल Temporary Deferment है, और जैसे ही राज्य की Financial Condition बेहतर होगी, यह राशि वापस दे दी जाएगी।

20. अन्य

- ✓ शिमला के बैंटोनी भवन में आधुनिक संग्रहालय का निर्माण पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा, चम्बा के भूरी सिंह संग्रहालय में कला एवं शिल्प गैलरी का नवीनीकरण और केलांग का जनजातीय संग्रहालय पूर्ण रूप से कार्यशील बनाया जाएगा।
- ✓ पांगी और लाहौल में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के नए परिसरों का प्रथम चरण पूरा होगा तथा भरमौर विद्यालय का निर्माण कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा।
- ✓ जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु मेले और त्यौहार आयोजित किए जाएंगे।
- ✓ परमवीर चक्र विजेता Honorary Captain संजय कुमार युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए उन्हें उपयुक्त मासिक मानदेय दिया जाएगा और वे बिलासपुर सैनिक कल्याण कार्यालय से सेवाएँ देंगे।
- ✓ सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों के कल्याण और पुनर्वास हेतु राज्य में एक Paramilitary Welfare Board गठित किया जाएगा।
- ✓ वित्तीय वर्ष में 412 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोज़गार दिया है और आगामी वर्ष में भी 15 प्रतिशत आरक्षित पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। साथ ही, युद्ध ज़ागीर (वित्तीय सहायता) राशि 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति वर्ष कर दी जाएगी।
- ✓ विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 200 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये करने की घोषणा।
- ✓ विधायकों को दी जाने वाली Discretionary Grant की वर्तमान सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाया।